"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 305] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 27 मई 2021 — ज्येष्ठ 6, शक 1943

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक 10–3/2021/16. — निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 की 36) की धारा 154, 156 और 158 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा —

(एक) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति नियम, 1962

(दो) छत्तीसगढ़ कर्मकार क्षतिपूर्ति (व्यावसायिक रोग) नियम, 1963

(तीन) छत्तीसगढ़ मातृत्व हितलाभ नियम, 1965

(चार) उपादान भुगतान (छत्तीसगढ़) नियम, 1973

(पाँच) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (विनियमन रोजगार सेवा शर्ते) नियम, 2008, और

(छः) छत्तीसगढ़ कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियम 2010

यथास्थिति कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34), प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53), उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39), भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 48) और असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का 43), के अधीन् उक्त संहिता की धारा 164 द्वारा निरस्त किया गया है, को अधिक्रमित करते हुये, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले कार्यो को अथवा किए जाने को छोडकर, बनाने का प्रस्तावित है और धारा 158 द्वारा अपेक्षित किए ऐसे समस्त व्यक्तियों की जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद् द्वारा सूचित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से इन्हे पैंतालीस दिवस की अवधि के अवसान पर विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव यदि कोई हों, तो उप सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर या श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, द्वितीय तल, तृतीय खण्ड, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, 492002 या ई–मेल द्वारा cglc2012@gmail.com पर भेजा जा सकता है।

अधिसूचना के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्धारित अवसान अवधि से पूर्व प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

अध्याय – एक

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, सीमा और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सामाजिक सुरक्षा संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होंगे।

(3) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख के बाद लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) **''अपील''** से अभिप्रेत है कि धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन दायर अपील;

(ख) **''अपीलीय प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है **(1)** धारा 56 की उप–धारा (8) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार या उप श्रमायुक्त या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी; और

(2) धारा 37 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य कर्मचारी बीमा अदालत;

(ग) **''प्राधिकारी''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार या धारा 72 के उप–धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;

(घ) **''अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी''** का अर्थ है – एक कर्मचारी के संबंध में संहिता के अध्याय IV के अधीन ''अंशदान अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी'' से अभिप्रेत है उन दिनों की संख्या जिनमें ऐसी देय वेतन मजदूरी से उस कालावधि के दौरान उसे देय मजदूरी को विभाजित करते प्राप्त समेकित रकम;

(ङ) **''एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी''** का अर्थ है – संहिता के अध्याय चार के अधीन ''एक मजदूरी अवधि के दौरान औसत दैनिक मजदूरी'' से अभिप्रेत है –

(एक) किसी कर्मचारी के संबंध में जो समय–दर के आधार पर नियोजित किया जाता है, के संबंध में मजदूरी की वह राशि जो उसे पूरी मजदूरी अवधि के लिए देय थी यदि उसने उस वेतन अवधि में सभी कार्य दिवसों पर काम किया होता, जिसे 26 से विभाजित किया गया हो, यदि उसकी पाक्षिक आधार पर दर निर्धारित की जाती है तो 13 से विभाजित हो और यदि उसे साप्ताहिक रूप से निर्धारित किया जाता है तो 6 से विभाजित हो और यदि उसका दैनिक आधार पर निर्धारण किया जाता है तो 1 से विभाजित हो।

(दो) किसी अन्य आधार पर नियोजित कर्मचारी के संबंध में, अंशदान अवधि में पूर्ण वेतन अवधि के दौरान अर्जित मजदूरी की राशि जिसे पूर्ण या भाग में दिनों की संख्या से

विभाजित किया गया है, जिसके लिए उसने उस मजदूरी अवधि में मजदूरी के लिए काम किया है;

परंतु किसी कर्मचारी को ऐसी मजदूरी कालावधि के दौरान किसी भी दिन काम किए बिना मजदूरी मिलती है, तो उसे 26, 13, 6 या 1 दिन या दिन के लिए काम करने के लिए माना जाएगा यदि मजदूरी की अवधि क्रमशः एक महीने, एक पखवाड़े, एक सप्ताह या एक दिन हो।

स्पष्टीकरण – जहाँ कोई भी रात्रि पारी आधी रात के बाद की जारी रहती है, आधी रात के बाद की रात्रि पारी की कालावधि को उस दिन की गणना पूर्व दिन के लिए काम का भाग माना जाएगा;

(च) '' लाभ'' इस नियम के नियम 5 में निर्दिष्ट लाभ।

(छ) **''लाभ कालावधि''** से अभिप्रेत है योगदान अवधि के अनुरूप लगातार छः महीने से अनधिक की कालावधि, जैसा कि निवियमों में निर्दिष्ट किया जाए;

(ज) **''मण्डल''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार कल्याण सामाजिक सुरक्षा मण्डल की धारा 6 एवं धारा 7 के अधीन गठित छत्तीसगढ़ शहरी और ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल और छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल;

(झ) **''केरियर सेंटर''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार के रोजगार विभाग का जिला रोजगार कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य कोई केन्द्र;

(ञ) **''अध्यक्ष''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, छत्तीसगढ़ शहरी और ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मण्डल तथा स्थायी समिति, चिकित्सा लाभ समिति या कार्यकारी समिति, के अध्यक्ष;

(ट) **''चार्टर्ड इंजीनियर''** से अभिप्रेत है, एक व्यक्ति जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया की निगमित (कार्पोरेटेड) सदस्यता है,

(ठ) **''कोड''** से अभिप्रेत है, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (2020 का 36)

(ड) **''न्यायालय''** से अभिप्रेत है सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 50 के अधीन गठित कर्मचारी बीमा न्यायालय;

(ढ) **''इलेक्ट्रॉनिक रूप से''** से अभिप्रेत है संहिता के प्रयोजन के लिए किसी भी मोड में ईमेल द्वारा प्रस्तुत जानकारी या निर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड करने या डिजिटल भुगतान;

(ण) **''अपवर्जित रिक्तिया''** से अभिप्रेत उन रिक्तियों से है, जिन्हें कोड की धारा 140 के खंड (1) (2) के तहत धारा 139 के दायरे से बाहर रखा गया है।

(त) **''प्ररूप''** से अभिप्रेत है कि इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(थ) **''निधि''** से अभिप्रेत है यथाशक्ति धारा 108 तथा धारा 141 में विनिर्दिष्ट सामाजिक सुरक्षा निधि;

(द) **''सरकार''** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ सरकार;

(ध) **"सरकारी प्रतिभूतियों"** से अभिप्रेत है सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 में यथा परिभाषित सरकारी प्रतिभूतियॉं;

(न) **"अचल संपत्ति"** में सम्मिलित है भूमि, भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ, पृथ्वी से जुड़ी चीजें या भूमि से जुडी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ;

(प) **"सदस्य"** से अभिप्रेत है, बोर्ड का सदस्य।

(फ) **"चल संपत्ति"** से अभिप्रेत है, अचल संपत्ति को छोडकर हर ब्यौरे की संपत्ति;

(ब) **"नोडल ऑफिसर"** से अभिप्रेत है, भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल या राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति, जो माइग्रेशन प्रमाण पत्र का पंजीकरण, नवीकरण और जारी करने की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा प्रायवेट सेक्टर, राज्य सरकार केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के सार्वजनिक उपक्रम या निजी रूप से काम करने वाले भवन निर्माण श्रमिकों के किसी भी अन्य कार्य के लिए पदाभिहित है नोडल अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नामित लाभार्थी पंजीकरण अधिकारियों के कार्यो की देखरेख और निगरानी भी करेगा;

(भ) **"नामांकन"** से अभिप्रेत है संहिता की धारा 55 के अधीन किया गया नामांकन;

(म) **"पोर्टल"** से अभिप्रेत है, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का पोर्टल।

(य) **"पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी"** से अभिप्रेत है एक चिकित्सा व्यवसायी, जिसका नाम दवा के चिकित्सकों के पंजीकरण को नियंत्रित करने के किसी भी कानून के अधीन बनाये गये रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है, के लिए लागू होता है;

(र) **"महिला कर्मचारियों का रजिस्टर"** से अभिप्रेत है नियम 55 के अधीन संधारित महिला कर्मचारियों का एक रजिस्टर;

(ल) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है संहिता की अनुसूची;

(व) **"धारा"** से अभिप्रेत है संहिता की धारा;

(ष) **"सचिव"** से अभिप्रेत है, बोर्ड का सचिव

(ष) **"निर्दिष्ट"** से अभिप्रेत है केन्द्र सरकार या राज्य सरकार अथवा ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के आदेश द्वारा निर्दिष्ट;

(स) **"वर्ष"** से अभिप्रेत है, अप्रेल के प्रथम दिवस से प्रारंभ तथा इक्तीस मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष।

(2) उन शब्दो तथा अभिव्यक्तियों का, जिनका इस संहिता में प्रयोग किया गया है, किंतु जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय संहिता में उन्हें दिया गया है।

अध्याय – दो

सामाजिक सुरक्षा संगठन

क. छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल

3. **धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन राज्य असंगठित कर्मकार मंडल द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन की रीति, उपधारा (12) के अधीन मंडल के सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति, उनके पद के निबंधन और सेवा की अन्य शर्तें, उनके द्वारा उनके कृत्यों के निर्वहन, में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और मंडल के सदस्यों की रिक्तियों को भरने की रीति और उपधारा (14) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम;**

छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मण्डल का गठन –

(1) छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मण्डल संहिता की धारा 6 की उपधारा (9) के अधीन गठित मण्डल माना जाएगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :–

(क) श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पदेन अध्यक्ष के रूप में,

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष के रूप में,

(ग) एक सदस्य श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधि,

(घ) राज्य शासन द्वारा नामांकित इकतीस सदस्य जिनमें से –

(एक) सात सदस्य जो कि असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों,

(दो) सात सदस्य जो कि असंगठित कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हो,

(तीन) दो सदस्य जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हों,

(चार) पाँच सदस्य जो कि समाज के प्रतिष्ठित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हों, (सामाजिक कार्यकर्ता)

(पाँच) दस सदस्य जो कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करते हो :

परंतु उपरोक्त सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(ड़) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य समाजिक सुरक्षा मंडल के अध्यक्ष के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अन्य सभी सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंधन, वित्त, कानून और प्रशासन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(2) पदावधि :– नियम 3 के उप नियम (1) के खण्ड (घ) तथा (ड़) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के एक

सदस्य के रूप में उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कोई बर्हिगामी सदस्य, उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अनुसूचित होने तक, पद धारण किए रहेगा,

(3) **त्यागपत्र :–**

(एक) नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(दो) त्याग–पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

(4) **पद में रिक्ति :–** नियम 3 के उपनियम (1) के खण्ड (घ) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि –

(एक) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(दो) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(तीन) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की अनुमति लिए बिना मंडल के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहा हो, या

(चार) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था।

(पाँच) वह राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया है।

(5) **आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :–** किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, या अन्यथा उद्‌भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(6) **रिक्त पदों को भरने का प्रबंध :–** जब बोर्ड की सदस्यता में कोई रिक्ति आती है या होने की संभावना होती है, तो अध्यक्ष राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेंगे और इस तरह की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति को नामांकित कर सकती है। जिस व्यक्ति को नामांकित किया गया है, वह उस सदस्य के पद के शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर वह नामांकित है।

(7) **पता बदलना :–** यदि कोई सदस्य अपना पता बदलता है, तो वह बोर्ड के सदस्य–सचिव को अपना नया पता बताएगा, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में अपना नया पता दर्ज करेगा ;

परंतु यदि कोई सदस्य अपने नए पते को सूचित करने में विफल रहता है, तो सभी उद्देश्यों के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में दिए गए पते को सदस्य का सही पता माना जाएगा।

(8) **मंडल का सम्मिलन एवं गणपूर्ति :–**

(एक) मंडल का सम्मिलन सामान्यतः तीन मास में एक बार होगा :

परन्तु, अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका विशेष सम्मिलन बुला सकेगा।

(दो) मंडल के किसी सम्मिलन में कोई काम–काज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 11 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम तीन उन सदस्यों में से होंगे जो नियम 3 के खण्ड (9) (क), (ख), (ग) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(9) **सम्मिलन की सूचना और कामकाज की सूची :–** प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, सम्मिलन में संपादित किए जाने वाले काम–काज की सूची के स्थान, सम्मिलन से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी :

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, सम्मिलन बुलाते है तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(10) **अध्यक्ष सम्मिलनों की अध्यक्षता करेंगे :–** अध्यक्ष, मंडल की समस्त सम्मिलनों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो उपाध्यक्ष सम्मिलन की अध्यक्षता करेंगे।

(11) **काम–काज का संपादन :–** ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल के किसी सम्मिलन के समक्ष आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(12) **सम्मिलन की कार्यवृत्त :–** मंडल की प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली सम्मिलन में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, सम्मिलन के

पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(13) अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते :– मंडल तथा उसकी उप–समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्यो को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा–भत्ता तथा दैनिक–भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(14) मंडल की उप–समितियॉ :–

(एक) मंडल ऐसी उप–समितियॉ नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे।

(दो) प्रत्येक उप–समितियों की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें असंगठित कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।

(तीन) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप–समिति के उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे।

(चार) उप–समिति के सम्मिलन में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक अवश्य होगा तथा कम से कम एक असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अवश्य होगा।

(पाँच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप–समिति को छोड़कर किसी उप–समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा –

परन्तु उप–समिति जब तक की नई उप–समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी : लेकिन किसी दशा में कोई उप–समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए कार्य नहीं करेगी।

(छः) प्रत्येक उप–समिति की अनुशंसाए, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चिय के लिए रखी जाएंगी।

(15) **सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति :–**

(एक) मंडल, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी या अन्य अधिकारी को मण्डल का सचिव नियुक्त करेगी जो कि उप श्रमायुक्त स्तर के अधिकारी से अन्यून श्रेणी का न हो।

(दो) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(16) **मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य :–**

(एक) संहिता की धारा 6 की उपधारा 15 के अधीन मंडल अपने कर्तव्यों के निष्पादन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाएगा : मंडल विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसूविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्ररूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक स्कीम, जो अधिनियम तथा इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार को अनुशंसित करेगा जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा –

(1) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसूविधाएं देय होंगी

(2) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप,

(3) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा अनुमोदन देने के लिए सक्षम प्राधिकारी,

(4) संवितरण के लिए प्रक्रिया और

(5) कोई अन्य अनुषंगिक मामले

(दो) मंडल संहिता के प्रशासन संबंधी बिन्दुओं पर समय समय पर राज्य सरकार को सलाह दे सकेगा।

(तीन) मंडल, अन्य ऐसे कार्य करेगा जो समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाए।

(17) **मंडल के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें :–**

(एक) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी की राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाएं।

(दो) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्भूत हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

ख. छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

4. धारा 7 (6) की उपधारा (4) के अधीन भवन कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें, वेतन तथा अन्य भत्ते, तथा ऐसे सदस्यों की आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति, नियुक्ति के निबंधन तथा शर्तें और सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तें ;

(1) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का गठन .–

"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" का गठन धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन गठित मंडल माना जाएगा।

मंडल का गठन :– मण्डल का गठन निम्नानुसार होगा –

(एक) श्रम मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, पदेन अध्यक्ष के रूप में या अध्यक्ष के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा नामांकित कोई व्यक्ति,

(दो) एक सदस्य, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा

(तीन) व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता 2020 की धारा 34 की उपधारा (5) के अंतर्गत नियुक्त मुख्य निरीक्षक सह सुविधाप्रदाता, पदेन सदस्य

(चार) राज्य शासन द्वारा नियुक्त चार सदस्य, जो कि शासकीय विभागों का प्रतिनिधित्व करते हों, जिनमें से श्रम विभाग के एक तथा वित्त विभाग का एक प्रतिनिधि होगा तथा दो सदस्य भवन या अन्य संनिर्माण कार्य से संबद्ध विभागों के प्रतिनिधि होंगे,

(पांच) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाऐंगे जो कि भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करते हों; और

(छः) पाँच सदस्य, राज्य सरकार द्वारा, नियुक्त किए जाऐंगे जो कि भवन कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हों :

परंतु भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में राज्य सरकार, नियोजकों और भवन निर्माण कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले बराबर संख्यां में सदस्य सम्मिलित किए जाएंगे और मंडल की कम से कम एक सदस्य महिला होगी।

(2) पदावधि :–

(एक) नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (चार) एवं (पाँच) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, जब तक कि वह अपना पद त्याग नहीं देता या उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या अन्यथा वह पूर्वतर तारीख को अपना पद रिक्त नहीं कर देता, मंडल के एक सदस्य के रूप में

उसे नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(दो) परन्तु कोई बर्हिगामी सदस्य, उसकी उत्तराधिकारी की नियुक्ति राजपत्र में अनुसूचित होने तक, पद धारण किए रहेगा,

(3) त्याग पत्र :–

(एक) नियम 4 के उपनियम (1) के नियम खण्ड (चार) तथा (पांच) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(दो) त्याग–पत्र, राज्य सरकार द्वारा उसकी स्वीकृति की तारीख से प्रभावशील होगा।

(4) पद में रिक्ति :–

(क) नियम 4 के उपनियम (1) के नियम खण्ड (तीन) (चार) तथा (पांच) के अधीन नियुक्त सदस्य द्वारा अपना पद रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा, यदि –

(दो) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त का या अनुन्मोचित दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या

(तीन) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है, या

(चार) वह अध्यक्ष से, अनुपस्थित रहने की स्वीकृति लिए बिना मंडल के लगातार तीन सम्मिलनों से अनुपस्थित रहा हो, या

(चार) वह ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है जिनका कि प्रतिनिधित्व करने के लिए उसे नियुक्त किया गया था।

(पांच) उसे राज्य सरकार द्वारा हटा दिया गया हो।

(5) आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना :– किसी सदस्य की मृत्यु, उसके त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उद्‌भूत हुई आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त किया गया सदस्य, उस सदस्य की पदावधि की शेष कालावधि तक पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गई है।

(6) प्रत्येक मंडल का सम्मिलन एवं गणपूर्ति :–

(एक) मंडल का सम्मिलन सामान्यतः तीन मास में एक बार होगा :

परन्तु, अध्यक्ष, मंडल के कम से कम एक तिहाई सदस्यों से लिखित में अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर उसका विशेष सम्मिलन बुला सकेगा।

(दो) मंडल के किसी सम्मिलन में कोई काम–काज तब तक संपादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि कम से कम 6 सदस्य उपस्थित न हों, जिनमें से कम से कम एक उन सदस्यों में से होंगे जो नियम 4 के उप–नियम (3) के अधीन नियुक्त किए गए हों।

(7) सम्मिलन की सूचना और कामकाज की सूची :– प्रत्येक सम्मिलन की तारीख, समय तथा स्थान सूचित करने वाली सूचना, सम्मिलन में संपादित किए जाने वाले काम–काज की सूची के

स्थान, सम्मिलन से पन्द्रह दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा भेजी जाएगी :

परन्तु जब अध्यक्ष, किसी ऐसे विषय पर विचार करने के लिए, जो उसकी राय में अत्यावश्यक प्रकृति का है, सम्मिलन बुलाते हैं तो कम से कम तीन दिन की सूचना पर्याप्त समझी जाएगी।

(8) **अध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगे :–** अध्यक्ष (चेयर पर्सन) मंडल की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और यदि अध्यक्ष, मंडल के सम्मिलन में उपस्थित रहने में किसी कारण से असमर्थ है तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नाम निर्देशित कोई सदस्य तथा ऐसा नाम निर्देशन न होने पर सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य सम्मिलन की अध्यक्षता करेंगे।

(9) **काम–काज का संपादन :–** ऐसे समस्त प्रश्न, जो मंडल की किसी सम्मिलन के समक्ष आए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों से बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(10) **सम्मिलन के कार्यवृत्त :–** मंडल की प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाही अभिलिखित की जाएगी तथा मंडल की अगली सम्मिलन में पुष्टि के अध्यधीन रहते हुए, सम्मिलन के पश्चात् यथासंभव शीघ्र अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद समस्त सदस्यों को वितरित की जाएगी, ऐसी पुष्टि के पश्चात् वह, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित की जाएगी जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जाएगी।

(11) **अशासकीय सदस्यों को देय भत्ते :–** मंडल तथा उसकी उप–समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए प्रत्येक अशासकीय सदस्य को राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा–भत्ता तथा दैनिक–भत्ता संदत्त किया जाएगा।

(12) **मंडल की उप–समितियॉ :–**

(एक) मंडल ऐसी उप–समितियॉ नियुक्त कर सकेगा, जैसी कि वह उसके कर्तव्यों के समुचित निर्वहन के लिए उचित समझे।

(दो) प्रत्येक उप–समितियों की अध्यक्षता, मंडल के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा उसमें भवन कर्मकारों, नियोजकों तथा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडल के सदस्यों की बराबर संख्या होगी।

(तीन) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उप–समिति के उपस्थित सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक का निर्वाचन करेंगे।

(चार) उप–समिति की सम्मिलन में कोई भी कार्य तब तक संपादित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसके सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हों, जिसमें से नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से कम से कम एक

अवश्य होगा तथा कम से कम एक भवन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अवश्य होगा।

(पाँच) तदर्थ प्रयोजन की अल्प अवधि के लिए गठित उप–समिति को छोड़कर किसी उप–समिति का कार्यकाल, उसके गठन की तारीख से एक वर्ष का होगा। किन्तु उप–समिति जब तक की नई उप–समिति का गठन नहीं होता है, कार्य करती रहेगी :

परन्तु किसी दशा में कोई उप–समिति, उसके मूल गठन की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के परे कार्य नहीं करेगी।

(छः) प्रत्येक उप–समिति की अनुशंसाएं, मंडल के समक्ष उसके विनिश्चिय के लिए रखी जाएगी।

(13) क्षेत्रीय कार्यालय खोलना :– मंडल, राज्य सरकार के अनुमोदन से, उतने क्षेत्रीय कार्यालय खोल सकेगा, जितने वह संहिता के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे।

(14) मंडल के कर्तव्य तथा कृत्य :–

(एक) मंडल, संहिता की धारा 7 उपधारा 6 के अधीन निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा –

(क) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियॉ अभिकथित करना सम्मिलित है,

(ख) संहिता के अधीन शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना,

(ग) संहिता के उपबंधों के अनुसार लेखाओं का समुचित अनुरक्षण तथा उनका वार्षिक संपरीक्षण,

(घ) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,

(ड) संहिता में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना,

(च) मंडल समय–समय पर सरकार को ऐसी जानकारी देगी जैसी उचित समझे

(दो) मंडल, संहिता की धारा 7 की उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट की गई प्रत्येक सुविधा या प्रसूविधाओं के समूह के बारे में, उन प्रक्रियाओं, प्रारूपों तथा अन्य समस्त अवशिष्ट मामलों को अधिकथित करते हुए एक स्कीम, जो संहिता तथा इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं है, तैयार करेगा और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचित करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित होगा –

(क) वे दरें, जिन पर विभिन्न प्रसूविधाएं देय होंगी,

(ख) आवेदन करने की प्रक्रिया तथा प्ररूप,

(ग) मंजूरी देने की प्रक्रिया तथा मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी,

(घ) संवितरण के लिए प्रक्रिया और

(ङ) कोई अन्य अनुषंगिक मामले

(15) सचिव, अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति :–

(एक) मंडल, सरकार की पूर्व सहमति से, किसी अधिकारी को, जो उपश्रमायुक्त से निम्न पदश्रेणी का न हो, मंडल के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(दो) मंडल, ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि वह उसके कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु मंडल में कोई पद तब तक नहीं भरा जाएगा, जब तक कि उसके सृजन को राज्य सरकार द्वारा पहले से अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(16) मंडल के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द की भर्ती प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें :–

(एक) मंडल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वर्गीकरण, वेतनमान, भत्ते, भर्ती की प्रक्रिया तथा सेवा के निबंधन और शर्तें, उस सीमा तक जहाँ तक कि वे उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित नहीं हैं, ऐसी होंगी, जैसी की राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, मंडल द्वारा अवधारित की जाएं।

(दो) यदि किसी विशिष्ट मामले में, किसी उपबंध के निर्वचन या उसके लागू होने के बारे में कोई विवाद या कठिनाई उद्‌भूत हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका निर्णय उस पर अंतिम होगा।

5. धारा 7 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) के अधीन लाभार्थियों की समूह बीमा योजना, खण्ड (घ) के अधीन लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाएं और खण्ड (ङ) के अधीन लाभार्थी की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए चिकित्सा व्यय या इस तरह के आश्रित के लिए प्रीमियम के संबंध में राशि :

संहिता की धारा 7 की उप–धारा (6) में उल्लिखित कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद, मंडल, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों के लिए निम्नलिखित योजनाएं बना सकती हैं, जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं :–

(1) लाभार्थियों की समूह बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी राशि का भुगतान करना;

(2) लाभार्थियों के बच्चों के लाभ के लिए शैक्षिक योजनाओं को तैयार करना; तथा

(3) किसी लाभार्थी या उनके आश्रित की प्रमुख बीमारियों के उपचार के लिए इस तरह के चिकित्सा व्यय को प्रदान करना।

अध्याय – तीन
कर्मचारी भविष्य निधि

अध्याय – चार
कर्मचारी बीमा न्यायालय

6. रीति और समय जिसके भीतर बीमाकृत व्यक्ति या निगम द्वारा धारा 37 की उपधारा (7) के खण्ड (ख) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय में दूसरी अपील दायर की जा सकती है –

यथास्थिति, बीमित व्यक्ति या कॉर्पोरेशन मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल के निर्णय के 90 दिवस के भीतर एक आवेदन प्रस्तुत करके कर्मचारी बीमा न्यायालय में अपील कर सकता है:

परन्तु कर्मचारी बीमा न्यायालय 90 दिवस की अवधि के पश्चात् एक आवेदन पर विचार कर सकता है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण थे।

कर्मचारी बीमा न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और तरीकों के संबंध में नियम इस नियम के अधीन प्रस्तुत आवेदनों पर लागू होंगे।

7. धारा 50 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन नियमों के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(1) न्यायालय की संरचना तथा सम्मिलन का स्थान –

(एक) न्यायालय सामान्यतः एक न्यायाधीश से गठित होगा।

परंतु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी विशिष्ट कार्यवाही या कार्यवाहियों के वर्ग के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो अधिसूचना में उल्लिखित की जाए, न्यायालय के लिए दो या अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगा।

(दो) उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय की सम्मिलन ऐसे स्थान या स्थानों पर तथा ऐसे समय पर होगी, जैसा कि सरकार समय–समय पर उल्लिखित करें।

(2) जहाँ एक से अधिक न्यायालय हों वहाँ कार्य का वितरण :– जहाँ एक ही स्थानीय क्षेत्र के लिये एक से अधिक न्यायालय गठित किए गये हों, वहाँ शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उनके बीच कार्य का वितरण कर सकेगा।

(3) जहाँ दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक ही न्यायालय हों, वहाँ समय का नियत किया जाना, सम्मिलन आदि के संबंध में –

(एक) जहाँ दो या अधिक स्थानीय क्षेत्रों के लिये एक ही न्यायालय गठित किया गया हो, वहाँ न्यायालय, शासन के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, वह समय नियत करेगा जबकि न्यायालय प्रत्येय स्थानीय क्षेत्र के संबंध में या अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी वर्ग के संबंध में बैठेगा।

(दो) उपनियम (1) के अधीन नियत किए गये समय की सूचना ऐसी रीति में प्रकाशित की जायेगी जैसी की शासन समय –समय पर निर्देशित करे।

(4) प्रक्रिया जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश हों –

(एक) जहाँ न्यायालय के लिये एक से अधिक न्यायाधीश नियुक्त किए गये हों, वहाँ शासन उनकी पदस्थिति (रैंक) तथा पूर्वता (प्रिसीडेंस) उल्लेखित करेगा।

(दो) तत्समय वरिष्ठ न्यायाधीश समय–समय पर न्यायाधीशों के बीच न्यायालय के कार्य के वितरण के संबंध में ऐसी व्यवस्था करेगा जो कि वह उचित समझे।

(तीन) जब दो या अधिक न्यायाधीशों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद हो, तब ऐसे न्यायाधीशों का बहुमत अभिभावी होगा, जहाँ बहुमत न हो वहाँ जब तक कि सरकार अन्यथा निर्देशित न करे, वरिष्ठतम न्यायाधीश का मत अभिभावी होगा।

(5) न्यायालय की समाप्ति आदि – सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी न्यायालय की समाप्ति कर सकेगा या समान अधिसूचना द्वारा न्यायालय का क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर सकेगा।

(6) नियुक्ति वेतन, भत्ते आदि –

(एक) शासन ऐसे व्यक्ति को जो धारा 48 के अधीन अर्हता रखता हो, न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

(दो) न्यायाधीश ऐसे वेतन व भत्ते प्राप्त करेगा जो कि राज्य सरकार समय–समय पर अवधारित करे।

(तीन) न्यायाधीश मंहगाई भत्ता, प्रतिकात्मक (नगर) भत्ता, ग्रह भाटक तथा अन्य भत्ते ऐसी दरों के तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये प्राप्त कर सकेगा जो कि

उसी स्थान पर नियुक्त किए गए शासन के उसी पदस्थिति (रैंक) के पदाधिकारियों को लागू होती है।

(चार) न्यायाधीश ऐसे अवकाश नियमों के अधीन जो कि समय–समय पर तत्समय स्थिति (स्टेट्स) के तथा उपलब्धियां पाने वाले शासकीय सेवकों को लागू होते हैं अवकाश तथा वेतन का हकदार होगा।

(पाँच) न्यायाधीश शासकीय कामकाज के सिलसिले में की गई यात्राओं के लिए ऐसे मान (स्केल) के अनुसार यात्रा भत्ता का हकदार होगा जो कि उस वर्ग के पदाधिकारियों को, जिससे कि शासन की राय में, ऐसा न्यायाधीश सम्बन्धित हो, लागू होता है।

(छः) न्यायालय ऐसी अन्य सेवा शर्तों के अधीन होगा जो कि राज्य सरकार अवधारित करे।

(सात) उपनियम (2) से (5) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी न्यायाधीश का यदि वह पहले से हो शासन की सेवा में हो वेतन भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जो कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय–समय पर अवधारित करें।

(7) अन्य पदाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति –

(एक) शासन ऐसे अनुसचिवीय पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति कर सकेगा जो कि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कार्यालय को प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रयोग तथा उस पर अधिरोपित किए गए कर्तव्यों के निष्पादन के लिये आवश्यक हो।

(दो) न्यायालय के अनुसचिवीय पदाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो कि न्यायाधीश या यदि एक से अधिक न्यायाधीश हों तो वरिष्ठ न्यायाधीश शासन के किसी आदेश के अधीन रहते हुए समय–समय पर निर्देशित करें।

(तीन) न्यायालय के अनुसचिवीय पदाधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारिवृन्द ऐसी सेवा के अधीन होंगे और ऐसे वेतन तथा अन्य उपलब्धियॉ तथा फायदे प्राप्त करेंगे जो शासन द्वारा निर्धारित किए जाए।

(8) उच्च न्यायालय का प्रशासनिक नियंत्रण – समस्त न्यायालय, उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण और अधीक्षण के अध्यधीन होंगे, तथा –

(एक) ऐसे रजिस्टर, पुस्तकें तथा लेखे रखेंगे जैसे कि उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर विहित किया जाए,

(दो) ऐसी अध्यपेक्षाओं का पालन करेगा जैसा कि सेवा अभिलेख विवरणियॉ (सर्विस रिकार्ड) तथा कथन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जैसा कि अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए की प्रस्तुति के लिए जैसा कि उच्च न्यायालय या सरकार द्वारा की जाए।

(9) मुद्रा – न्यायालय ऐसे आकार, माप तथा रूपांकन की मुद्रा रखेगा जैसा कि शासन द्वारा निर्देशित किया जाए।

(10) आवेदन पत्र –

(एक) संहिता की धारा 49 के अधीन प्रत्येक कार्यवाही न्यायालय को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संस्थित की जाएगी।

(दो) प्रत्येक ऐसा आवेदन पत्र उस रीति में सत्यापित किया जायेगा जिस रीति में सिविल न्यायालय में अभिकथन सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियॉ संलग्न की जाएगी।

(तीन) आवेदन पत्र प्ररूप – एक में प्रस्तुत किया जाएगा। इसे नियमों के अनुसार सम्यक रूप से मुद्रांकित किया जाएगा तथा इसमें निम्नलिखित विशिष्टियॉ अन्तर्विष्ट होंगे –

(क) उस न्यायालय का नाम जिसमें आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो;

(ख) आवेदक का पूरा नाम जिसमें पिता का नाम सम्मिलित है तथा वर्णन आयु, व्यवसाय तथा निवास स्थान सहित;

(ग) विरोधी पक्षकार का पूरा नाम, पिता के नाम सहित तथा वर्णन आयु, व्यवसाय तथा निवास स्थान सहित, जहाँ तक सुनिश्चित किया जा सकता है;

(घ) जहाँ आवेदक या विरोधी पक्षकार अवयस्क हो या विकृत चित्त का व्यक्ति हो वहाँ उस आशय का कथन तथा उसके वाद–मित्र या संरक्षक का पूरा नाम, आयु व्यवसाय तथा पता;

(ड़) वाद कारण (कॉज़ आफ एक्सन) की रचना करने वाले तथ्य तथा वह दिनांक जिसको वह उद्‌भूत हुआ हो;

(च) यह दर्शाने वाला तथ्य कि न्यायालय का क्षेत्राधिकार है;

(छ) न्यायालय के क्षेत्राधिकार के भीतर यह दर्शाने वाली विशिष्टियॉ जिन पर कि सूचना या समन आवेदन पर तामील किए जा सकेंगे; और

(ज) अनुतोष जिसका कि आवेदक दावा करता हो ।

(चार) यदि आवेदन पत्र उपनियम (3) के अनुसार न हो तो उसे मंजूर किया जा सकेगा।

(11) **दस्तावेजों का पेश किया जाना –**

(एक) जब कोई आवेदन किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो वह दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।

(दो) कोई भी अन्य दस्तावेज, जो कि कोई पक्षकार साक्ष्य में प्रस्तुत करना चाहता हो प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।

(तीन) कोई भी दस्तावेज जो यथास्थिति उपनियम (1) या (2) में उल्लेखित समय पर या उसके भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, उस पक्षकार की ओर से, जिसे कि उसे प्रस्तुत करना चाहिये था, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा।

(चार) ऐसे समस्त दस्तावेजों के साथ प्ररूप – दो में विहित रीति में तैयार की गई उनकी सही सूची होगी।

(पाँच) इस नियम में कोई भी बात ऐसे किसी भी दस्तावेज पर लागू नहीं होगी जो कि गवाही देने के लिए जिरह के लिए तैयार किया जाता है या उसकी याददास्त को ताजा करने के लिए किसी गवाह को सौंप दिया जाता है।

(12) **कार्यवाहियों का रजिस्टर –** समस्त आवेदन पत्र ''कार्यवाहियों का रजिस्टकर'' कहलाने वाले एक रजिस्टर में, जो प्ररूप– तीन में होगा, प्रविष्ट किए जाएंगे। ऐसी प्रविष्टियॉ प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के लिये उस क्रम के अनुसार क्रमांकित की जाएंगी जिस क्रम में कि आवेदन–पत्र प्रस्तुत किए गए हों।

(13) **वाद प्रस्तुत करने का स्थान –** ऐसे मामलों में जो नियम 1 के उप नियम (2) के अंतर्गत न आते हों किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही उस न्यायालय में संस्थित की जाएगी जिसके कि क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर –

(एक) विपक्षी पक्षकार या जहाँ एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों वहाँ उनमें से प्रत्येक विपक्षी पक्षकार कार्यवाहियों के प्रारम्भ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करता हो, या कारबार करता हो या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करता हो; या

(दो) जहाँ एक से अधिक विपक्षी पक्षकार हों, वहाँ कोई भी विपक्षी पक्षकार कार्यवाहियों के प्रारंभ के समय वस्तुतः तथा स्वेच्छापूर्वक निवास करते हों या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य न करते हों ऐसे संस्थितिकरण के लिए मौन सम्मति देते हों; या विपरीत पक्षकार जो निवास नहीं करते हैं, या व्यवसाय पर चलते हों या व्यक्तिगत रूप से इस तरह के संस्थान में पूर्वोक्त के रूप में लाभ के लिए काम करते हों या,

(तीन) वाद कारण पूर्णतः या अंशतः उद्‌भूत हुआ हो।

(14) गलत न्यायालय में प्रस्तुत किए गए पत्र –

(एक) यदि आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, न्यायालय को यह प्रतीत हो कि वह किसी अन्य न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो वह उस पर प्रस्तुत किए जाने तथा वापिस किए जाने के दिनांक, उसे वापिस करने का कारण तथा उस न्यायालय का, जिसको कि उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए, पदाभिधान पृष्ठांकित करने के पश्चात् (आवेदन पत्र के) आवेदक को वापस कर देगा।

(दो) यदि आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण के पश्चात्, किसी भी प्रकरण पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि आवेदन पत्र उसी राज्य में किसी दूसरे न्यायालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, तो वह आवेदन पत्र को ऐसे न्यायालय को, जो उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए सशक्त हो, भेजेगा और आवेदक को (तथा विपक्षी पक्षकार को, यदि उसे नियम 18 के अधीन आवेदन पत्र की प्रति प्राप्त हो चुकी है) तद्नुसार सूचना देगा।

(तीन) वह न्यायालय जिसे उपनियम (2) के अधीन आवेदन पत्र अंतरित किया हो, यदि उसका इस बात से समाधान हो जाए कि पक्षकारों के हितों पर इस कारण से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, कार्यवाही को इस प्रकार चालू रख सकेगा मानों की कार्यवाही या उसका कोई भाग उसके समक्ष ही हुआ था।

(15) समन का जारी किया जाना –

(1) न्यायालय, आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, यदि वह आवेदन पत्र के प्राप्त होने के बीस दिन के भीतर ही नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन नामंजूर न कर दिया गया हो, उस पक्षकार को जिससे कि आवेदक अनुतोष का दावा करता हो, (जो इसमें इसके पश्चात् ''विपक्षी पक्षकार'' के नाम से निर्दिष्ट है) ऐसे दिनांक को, जो ऐसे समन के जारी होने के दिनांक से पंद्रह दिन के पश्चात् का नहीं होगा, जो कि उसमें उल्लिखित किया जायगा, उपसंजात होने तथा आवेदन पत्र का उत्तर देने के लिए यथास्थिति प्ररूप चार या प्ररूप पांच में समन भिजवायेगा :

परंतु जब आवेदन पत्र के प्रस्तुत किए जाने पर विरोधी पक्षकार उपसंजात हुआ हो और उसके आवेदन का दावा स्वीकार कर लिया हो, तब ऐसे कोई भी समन जारी नहीं किए जाएंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन समन के साथ आवेदन पत्र की एक प्रति भेजी जायगी।

(16) समन या सूचना की तामील – (1) समन या सूचना, अपेक्षित फीस के भुगतान पर उस न्यायालय द्वारा, जिसके द्वारा वह जारी की गई हो, या तो रजिस्ट्रीकृत डाक से या ऐसी अन्य रीति में, भेजी जा सकेगी जैसा कि न्यायालय उचित समझे।

(2) जहाँ न्यायालय का यह समाधन हो जाता है कि यह विश्वास करने का कारण है कि विपक्षी पक्षकार तामील की अवहेलना कर रहा है या यह किसी कारण से समन या सूचना साधारण ढंग से तामील नहीं की जा सकती, वहाँ न्यायालय यह आदेश देगा कि समन या सूचना की तामील उसकी एक प्रति न्यायालय भवन के किसी सहज दृश्य स्थान पर, तथा उस गृह के, जिसमें कि विपक्षी पक्षकार का अन्ततः निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात हो, किसी सहज दृश्य भाग पर भी चिपकवाकर या ऐसी अन्य रीति में, जो कि न्यायालय उपयुक्त समझे, की जाए और वह तामील उसी प्रकार प्रभावशाली होगी मानो कि वह विपक्षी पक्षकार पर व्यक्तिशः की गई हो।

(3) जहाँ समन या सूचना उपनियम (2) के अधीन तामील हो चुकी हो, वहाँ न्यायालय विपक्षी पक्षकार की उपसंजाति के लिए ऐसा समय नियत करेगा जो कि मामले की परिस्थितियों से अपेक्षित हो।

(17) **समन में अतिरिक्त बातें** – न्यायालय समन जारी करते समय यह अवधारित करेगा कि क्या यह (समन) केवल वादपदों के निर्णयन के लिए होगा तथा/या आवेदन पत्र के अंतिम निपटारे के लिए होगा और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। न्यायालय उस दिनांक को पक्षकारों को कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए भी अपेक्षित कर सकेगा जो वे प्रस्तुत करना चाहते हों।

(18) **निर्योग्यता प्रश्न से जुड़ी कार्यवाही** – ऐसे मामलों में कार्यवाही जहाँ निर्योग्यता का प्रश्न निहित हो – यदि नवीन न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में निर्योग्यता का प्रश्न (जैसा कि संहिता की धारा 37 में परिभाषित किया गया है) उपस्थित हो और जिस पर मेडिकल बोर्ड या मेडिकल अपील ट्रिब्यूनल का निर्णय प्राप्त नहीं किया गया हो और जिस पर ऐसा निर्णय न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रश्न अथवा दावे के निराकरण हेतु आवश्यक हो तो न्यायालय निगम को निर्देशित करेगा कि वह संहिता की धारा 37 के अनुसार ऐसा निर्णय प्राप्त कर प्रस्तुत करे और तत्पश्चात न्यायालय द्वारा धारा 49 के अधीन विवेचनाधीन प्रश्न या दावे के निराकरण हेतु कार्यवाही करेगा।

(19) **लिखित कथन – (एक)** विपक्षी पक्षकार प्रथम सुनवाई पर या उसके पूर्व या ऐसे समय के भीतर, जो कि न्यायालय अनुज्ञात करे, ऐसे दस्तावेज, जिनका कि वह अवलम्बन लेता हो तथा प्ररूप– दो में उनकी सही सूची सहित अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा, और यदि ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किया जाय तो प्रस्तुत करेगा।

(दो) प्रत्येक ऐसा लिखित कथन उसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जिस रीति में कि सिविल न्यायालय में अभिवचन सत्यापित किया जाता है और उसके साथ उसकी दो प्रतियॉ संलग्न की जाएंगी।

(तीन) उपनियम (1) के अधीन प्रस्तुत किए गए किसी भी लिखित कथन में विपक्षी पक्षकार, आवेदन द्वारा अभिकथित तथ्य के प्रत्येक अभिकथन का, जिसकी सत्यता को वह स्वीकार करता हो, स्वीकार न करता हो, या जिससे वह इंकार करता हो, उल्लेख करेगा। लिखित कथन में ऐसी समस्त बातें, जो यह दर्शाती हो कि आवेदन पत्र विशिष्ट रूप से संधारण योग्य नहीं है तथा प्रतिरक्षा के समस्त आधार जिनके प्रस्तुत न किए जाने से सम्भवतः आवेदक विस्मय में पड जाएगा या तो ऐसे तथ्य संबंधी वाद पद से उदाहरणार्थ कपट, असम्यक असर या दबाव, सम्मोचन, निष्पादन या संव्यवहार की अवैधता दर्शाने वाले तथ्य, जो आवेदन पत्र से उद्‌भूत न होते हों, भी अन्तर्विष्ट होने चाहिए।

(20) **न्यायालय द्वारा मांगे गए लिखित कथन को प्रस्तुत करने में चूक** – जहाँ कोई पक्षकार जिससे कि लिखित कथन अपेक्षित किया गया हो, न्यायालय द्वारा विहित किए गए समय के भीतर उसे प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहाँ न्यायालय उसके विरूद्ध निर्णय सुना सकेगा या कार्यवाही के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जो कि वह उचित समझे।

(21) **वाद पदों (विवाद्यकों) की रचना – (एक)** समन जारी कर दिए जाने के पश्चात् आवेदन की प्रथम सुनवाई पर, न्यायालय आवेदन तथा लिखित कथन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् या पक्षकारों या किसी व्यक्ति या किसी दस्तावेज की ऐसी परीक्षण करने के पश्चात्, जो कि आवश्यक प्रतीत हो, यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य या विधि की किस सारवान प्रस्थापना (प्रपोजीशन) पर पक्षकारों में असामंजस्य है, और तदुपरि ऐसे वाद पद (विवाद्यक) विरचित तथा अभिलिखित करेगा, जिन पर कि न्यायोचित निर्णय का निर्भर होना प्रतीत होता हो।

(दो) अभिलिखित करने में न्यायालय उन वाद पदों (विवाद्यकों) जो उसकी राय में तथ्य की बातों से संबंध रखते हों तथा उन वाद पदों जो विधि की बातों से संबंध रखते हों, के बीच भेद करेगा।

(तीन) न्यायालय वैसी ही रीति में अपना अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, किसी भी समय वाद पदों में, ऐसे निबन्धनों पर, जैसे कि वह उचित समझे, कुछ जोड़ सकेगा, उसमें से कुछ हटा सकेगा, या उन्हें किसी भी प्रकार संशोधित कर सकेगा।

(22) **उस मामले में आदेश जहाँ पक्षकार विवादग्रस्त न हो –** जहाँ मामले की किसी भी सुनवाई में यह प्रतीत हो कि पक्षकार विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर विवादग्रस्त नहीं है, न्यायालय तत्काल अपना अंतिम आदेश सुना सकेगा।

(23) **पक्षकारों का उपसंजात होना और उपसंजात न होने के परिणाम – (एक)** विरोधी पक्षकार को उपसंजात होना तथा उत्तर देने के लिए समन में नियत किए दिन को पक्षकार या तो व्यक्तिशः या अपने–अपने विधि व्यवसायियों या संहिता की धारा 51(2) के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होंगे और यदि न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित न कर दी जाय, तो आवेदन की सुनवाई की जाएगी।

(दो) आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, जब कोई भी पक्षकार उपसंजात न हो, न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए।

(तीन) जहॉ कि आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, विरोधी पक्षकार उपसंजात हो और आवेदक उपसंजात न हो, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि आवेदन खारिज कर दिया जाए, जब तक कि विरोधी पक्षकार दावा या उसके किसी भाग को स्वीकार न करता हो, जिस दशा में न्यायालय ऐसी स्वीकारोक्ति पर विरोधी पक्षकार के विरूद्ध आदेश करेगा, और जहाँ दावे का केवल कोई भाग स्वीकार किया गया हो, वहाँ वह मामले को, जहाँ तक कि वह शेष भाग संबंधित हो, खारिज कर देगा ।

(चार) जहॉ कि आवेदन की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने पर, आवेदक उपसंजात हो और विरोधी पक्षकार समन प्राप्त हो जाने के पश्चात् भी उपसंजात होने में असफल रहे, न्यायालय एक पक्षीय कार्यवाही कर सकेगा।

(पाँच) जहाँ आवेदन उपनियम (2) या (3) के अधीन पूर्णतः या अंशतः खारिज कर दिया गया हो, आवेदक ऐसे खारिज किए जाने (डिसमिसल) के तीस दिन के भीतर ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने के लिए प्ररूप– छः में आवेदन कर सकेगा और न्यायालय, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि वह (आवेदक) कार्यवाही की सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह खर्चे या अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबन्धनों पर, जो कि वह उचित समझे, ऐसे खारिज किए जाने को अपास्त करने का आदेश दे सकेगा और मामले में आगे कार्यवाही कर सकेगा या मामले में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा।

परंतु इस उपनियम के अधीन ऐसे आवेदन के संबंध में, जो उपनियम (3) के अधीन खारिज कर दिया गया हो, कोई आदेश तब तक नहीं

किया जाएगा, जब तक कि आवेदन की सूचना प्ररूप –7 में विरोधी पक्षकार पर तामील न कर दी गई हो।

(छः) किसी भी ऐसे आवेदन में, जिसमें कि विरोधी पक्षकार के खिलाफ एक पक्षीय आदेश दिया गया हो, वह (विरोधी पक्ष) ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर उस न्यायालय को, जिसने की वह आदेश दिया हो, उस आदेश को अपास्त करने के लिए प्ररूप– छः में आवेदन कर सकेगा और यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि वह कार्यवाही या सुनवाई के लिए पुकार लगाये जाने के समय किसी पर्याप्त कारण से उपसंजात नहीं हो सका था, तो वह उसकी सूचना प्ररूप– सात में आवेदक पर तामील करने के पश्चात् खर्चे तथा अन्य बातों के संबंध में ऐसे निबंधनों पर, जो कि वह उचित समझे, आदेश को अपास्त करने का आदेश कर सकेगा और मामले में कार्यवाही कर सकेंगा या उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिए दिन नियत कर सकेगा।

(24) साक्षियों को समन –

(एक) विवाद्यक विरचित हो जाने के पश्चात् किसी भी समय, न्यायालय पक्षकारों को विवाद्यकों के समर्थन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये बुला सकेगा।

(दो) न्यायालय, किसी भी पक्षकार के आवेदन पर किसी साक्षी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए प्ररूप– आठ में समन जारी कर सकेगा।

(तीन) न्यायालय, उपनियम (2) के अधीन आवेदन पर किसी साक्षी को समन करने के पूर्व; यह अपेक्षा कर सकेगा कि न्यायालय में हाजिर होने के लिए होने वाले उसके (साक्षी के) युक्ति–युक्त व्यय न्यायालय में जमा कर दिए जाएं।

(25) समय का दिया जाना तथा सुनवाई का स्थगन – (एक) न्यायालय, यदि पर्याप्त कारण बतलाया जाए, आवेदन के किसी भी प्रक्रम पर, पक्षकारों को या उनमें से किसी को समय दे सकेगा, और समय–समय पर आवेदन की सुनवाई स्थगित कर सकेगा।

(दो) ऐसे प्रत्येक स्थगन में, न्यायालय आवेदन की आगे की सुनवाई के लिए ऐसा दिन नियत करेगा जो उस दिनांक से, जिसको कि ऐसा स्थगन किया गया हो, पन्द्रह दिन से अधिक का नहीं होगा तथा स्थगन द्वारा होने वाले खर्चे के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे :

परंतु जब एक बार साक्ष्य की सुनवाई प्रारंभ हो चुकी हो, आवेदन की सुनवाई, जब तक कि न्यायालय को अभिलेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, सुनवाई को आगामी दिन के लिए स्थगित करना आवश्यक प्रतीत न हो, प्रतिदिन तक चालू रखी जाएगी, जब तक कि समस्त हाजिर साक्षियों की पृच्छा न हो जाए।

(26) **कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकार** – आवेदक को (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार होगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार आवेदक द्वारा अभिकथित तथ्यों को स्वीकार न करे और यह प्रतिवाद न करे कि या तो विधि के बिंदु पर या विरोधी पक्षकार द्वारा अभिकथित किन्हीं अतिरिक्त तथ्यों पर आवेदक उसके द्वारा चाहे गए अनुतोष का हकदार नहीं है, उस दशा में कि विरोधी पक्षकार को (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार होगा।

(27) **कथन तथा साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना – (एक)** आवेदन की सुनवाई के लिए नियत दिन को या किसी अन्य दिन को, जिस दिन के लिए कि सुनवाई स्थगित की गई हो, वह पक्षकार जिसको कि (कार्यवाही) प्रारंभ करने का अधिकार हो, अपने मामले का कथन करेगा तथा अपने मामले को प्रस्तुत करेगा और उन विवाद्यको के, जिन्हें कि सिद्ध करने के लिए वह बाध्य हो, समर्थन में अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

(दो) जब दूसरा पक्षकार अपने मामले का कथन करेगा और अपनी साक्ष्य (यदि कोई हो) प्रस्तुत करेगा और तब न्यायालय को सामान्यतः सम्पूर्ण मामले के संबंध में निवेदन करेगा।

(तीन) कार्यवाही प्रारंभ करने वाला पक्षकार तब सामान्यतः सम्पूर्ण मामले पर उत्तर दे सकेगा।

(चार) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण या न्यायालय को किया जाने वाला निवेदन किसी ऐसे क्रम में होगा, जो वह उचित समझे।

(28) **साक्ष्य अभिलिखित करने की रीति** – प्रत्येक साक्षी का साक्ष्य न्यायाधीश द्वारा या जहाँ एक से अधिक न्यायाधीश हों, वहाँ कनिष्ठ न्यायाधीश द्वारा या किसी भी ऐसे न्यायाधीश के लिखवाने पर खुले न्यायालय में, न्यायालय की भाषा में, साधारणतः प्रश्नोत्तर के रूप में लेखबद्ध न की जाकर वर्णनात्मक रूप में लिखित की जाएगी, और पूरा हो जाने पर वह ऐसे न्यायाधीश की उपस्थिति में साक्षी को पढ़कर सुनाई जाएगी या जहाँ आवश्यक हो वहाँ उसका अनुवाद कर साक्षी को दिया जाएगा और ऐसा न्यायाधीश, यदि आवश्यक हो, उसे सुधारेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(29) **किसी साक्षी को वापस बुलाया जाना** – न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी साक्षी को, जिसका परीक्षण किया जा चुका हो, वापस बुला सकेगा और (तत्समय प्रवृत्त साक्ष्य विधि के अध्यधीन रहते हुए) उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा, जो कि न्यायालय उचित समझे।

(30) **न्यायालयों द्वारा निरीक्षण** – न्यायालय, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर, किसी भी ऐसी सम्पत्ति या वस्तु का, जिसके संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो, निरीक्षण कर सकेगा।

(31) **आदेश का सुनाया जाना** – न्यायालय, आवेदन की सुनवाई के पश्चात् अपना अंतिम आदेश खुले न्यायालय में या तो तुरंत या किसी आगामी दिन को सुनाएगा जिसकी कि सम्यक सूचना पक्षकारों को दी जाएगी।

(32) **आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना** – अंतिम आदेश उसके सुनाए जाने के समय खुले न्यायालय में दिनांकित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा और एक बार हस्ताक्षरित हो जाने पर तत्पश्चात उसमें लोप या आकस्मिक चूक के कारण उदभूत होने वाली लिपिकीय या गणितीय भूल की दशा में के अतिरिक्त कोई अन्य परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जाएगा।

(33) **प्रत्येक विवाद्यक पर निर्णय का कथन किया जाना** – उन मामलों में, जिनमें विवाद्यक विरचित किए गए हों, न्यायालय प्रत्येक पृथक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष या निर्णय उसके कारणों सहित, अलग–अलग कथित करेगा, जब तब कि किसी एक या अधिक विवाद्यक पर निष्कर्ष मामले के निर्णय के लिए पर्याप्त न हो।

(34) **वाद का समझौता** – जहाँ न्यायालय के समाधान पद रूप में यह सिद्ध हो जाए कि किसी विधिपूर्ण करार या समझौते द्वारा मामला पूर्णतः या अंशतः समायोजित किया जा चुका है, या जहाँ विरोधी पक्षकार मामले की विषय–वस्तु के संबंध में आवेदक का पूर्ण या आंशिक समाधान कर दे, वहाँ न्यायालय ऐसे करार, समझौते या समाधान को अभिलिखित किए जाने का आदेश देगा और उसके अनुसार, जहाँ तक कि वह मामले से संबंधित है, अंतिम आदेश पारित करेगा।

(35) **आदेश की अन्तिमता** – संहिता की धारा 52 में यथा उपबन्धित के अतिरिक्त, न्यायालय का आदेश अंतिम तथा पक्षकारों पर बंधनकारी होगा।

(36) **खर्चे – (एक)** आवेदन के तथा उससे आनुषंगिक खर्चे न्यायालय के विवेक पर होगें, और न्यायालय को यह अवधारित करने की, कि किसके द्वारा या किस सम्पत्ति में से तथा किस सीमा तक ऐसे खर्चो की भुगतान की जाएगी, तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये समस्त आवश्यक निर्देश देने की पूर्ण शक्ति होगी। यह तथ्य कि न्यायालय को वाद का परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसी शक्तियों के प्रयोग को वर्जित करने वाला नहीं होगा।

(दो) जहाँ न्यायालय यह निदेश देता है कि कोई खर्च परिणाम के अनुरूप नहीं होगा, वहाँ न्यायालय अपने कारण लिखित में कथित करेगा।

(37) **डिक्री की अन्तर्वस्तु – (1)** प्ररूप– नौ में कोई डिक्री न्यायालय द्वारा किए गये आदेश के अनुरूप तैयार की जाएगी, उसमें आवेदन पत्र का क्रमांक, पक्षकारों के नाम तथा वर्णन तथा दावे की विशिष्टियॉ अन्तर्विष्ट होंगी और वह मंजूर किए गए अनुतोष या कार्यवाही के अन्य अवधारण स्पष्ट करेगा।

(2) डिक्री में कार्यवाही के संबंध में हुए खर्चे की रकम तथा ऐसे खर्चे किसके द्वारा किन अनुपातों में चुकाए जाएंगे भी वर्णित किया जाएगा।

(3) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि एक पक्षकार को अन्य पक्षकार द्वारा देय खर्चे का, किसी ऐसी राशि के प्रति मुजरा किया जाएगा, जो कि एक पक्षकार द्वारा अन्य पक्षकार को शोध्य होना स्वीकार किया जाए।

(38) **आदेश, डिक्री आदि की प्रमाणित प्रतिलिपियों का प्रदान किया जाना – (1)** पक्षकारों को, अंतिम आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य आदेश या मामले की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ न्यायालय को आवेदन किए जाने पर उनके व्यय पर प्रदान की जाएंगी।

(2) यदि कोई पक्षकार यथास्थिति, न्यायालय द्वारा किए गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियॉ चाहता है तो वह न्यायालय को उसके लिये आवेदन प्रस्तुत करने के अड़तालीस घण्टे के भीतर, उसे प्रदान की जाएगी, प्रत्येक ऐसी प्रतिलिपि के लिये वह दो रूपए की अतिरिक्ति फीस का भुगतान करेगा।

(3) यदि कोई पक्षकार यथास्थिति न्यायालय द्वारा दिए गए या उसे प्रस्तुत किए गए किसी आदेश, डिक्री या अभिलेख में के किसी अन्य मामले की प्रतिलिपियों के लिये यथास्थिति इस प्रकार दिए जाने या प्रस्तुत किए जाने के तारीख से बारह माह समाप्त होने के पश्चात् आवेदन करे तो वह दो रूपए की अतिरिक्त खोज (सर्चिंग) शुल्क का भुगतान करेगा।

(39) **निष्पादन – (1)** कोई व्यक्ति, जिसके पक्ष में आदेश पारित किया गया हो, आदेश की तारीख से एक वर्ष के भीतर, में उस न्यायालय को, जिसने कि वह आदेश दिया हो, उसके निष्पादन के लिये प्ररूप– दस में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसे आवेदन पर, न्यायालय उसे आवश्यक अभिलेख सहित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय को उसके निष्पादन हेतु भेजेगा, और ऐसे सिविल न्यायालय को उस आदेश का निष्पादन करने के लिए वही शक्तियॉ प्राप्त होंगी, मानो कि वह आदेश उसके द्वारा ही पारित किया गया था।

(40) **निष्पादन के तथ्य या अन्यथा की संसूचना** – वह सिविल न्यायालय, जिसे कोई डिक्री निष्पादन के लिए भेजी गई हो, ऐसे निष्पादन की वास्तविकता कोई या जहाँ वह न्यायालय उसका निष्पादन करने में असफल रहा हो, वहाँ ऐसी असफलता की परिस्थितियॉ उस न्यायालय से, जिसने की उसे पारित किया हो, प्रमाणित करेगा।

(41) **फीस – (1)** संहिता की धारा 49 में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में आवेदन पर देय फीस दस रूपए होगी।

(2) इन नियमों के अधीन न्यायालय द्वारा तलब किए गए लिखित कथन के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदन के संबंध में देय फीस पॉच रूपए होगी :

परंतु अभिलेख पर किसी दस्तावेज या यथास्थिति न्यायालय को प्रस्तुत किए गए कथन या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आदेश या डिक्री की प्रतिलिपि या उसका अनुवाद प्राप्त करने के लिये आवेदन की फीस दो रूपए होगी।

(3) अभिलेख पर किसी दस्तावेज या कथन या आदेश या डिक्री की प्रतिलिपियों के लिए फीस ऐसी होगी, जो कि शासन द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(4) किसी मामले में पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार की ओर से धारा 79 के अधीन किसी व्यक्ति की उपसंजाति हेतु किसी प्राधिकरण के लिये फीस दस रूपए होगी।

(5) किसी न्यायालय में किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ फाइल करने के लिए फीस पॉच रूपए होगी।

(6) इस नियम में निर्दिष्ट समस्त फीस साधारण न्यायालयों में उपयोग की जाने वाली न्यायालय फीस मुद्रांकों के रूप में संग्रहीत की जाएगी और कोई भी दस्तावेज, जिसे इन नियमों के अधीन मुद्रांकित होना चाहिये, तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक वह समुचित रूप से मुद्रांकित न किया गया हो :

परंतु जहाँ ऐसा कोई दस्तावेज भूल से या अनवधानता से समुचित रूप से मुद्रांकित किए बिना ही न्यायालय में ले लिया हो, फाइल कर लिया गया हो, या उपयोग में लाया गया हो, वहाँ न्यायालय यदि वह उचित समझे, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसा दस्तावेज इस प्रकार मुद्रांकित किया जाए जैसा कि वह निदेशित करे और ऐसे दस्तावेज के तद्नुसार मुद्रांकित किए जाने पर वह तथा उससे संबंधित प्रत्येक कार्यवाही उसी प्रकार विधिमान्य होगी मानो वह, पहले से ही समुचित रूप से मुद्रांकित किया गया था।

(7) किसी भी ऐसे दस्तावेज पर, जो इस नियम के अधीन मुद्रांकित किए जाने के लिये अपेक्षित हो, न्यायालय की किसी भी कार्यवाई में तब तक कोई कार्यवाई नहीं की जाएगी जब तक कि मुद्रांक को रद्द न कर दिया गया हो।

(42) **समन आदि की तामील के खर्चे का भुगतान – (1)** किसी मामले में समन या सूचनाओं की तामील के खर्चे या साक्षियों के व्यय, या किसी भी ऐसे विषय के संबंध में, जो पूर्ववर्ती नियम में निर्दिष्ट न किया गया हो, देय फीस, ऐसी रकम होगी, जो कि न्यायालय द्वारा प्रत्येक मामले में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसी रकम या इन नियमों के अधीन देय कोई अन्य धनराशि की भुगतान ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के भीतर किया जाएगा, जो कि वह (न्यायालय) उसके लिये उल्लिखित करे।

(2) ऐसी कोई रकम, जो उन व्ययों की पूर्ति करने के पश्चात्, जिनके लिए वह आशयित थी, यदि कोई हो, बची रहे, न्यायालय द्वारा उस पक्षकार को लौटा

दी जाएगी जिसके द्वारा या जिसकी ओर से रकम मूलतः न्यायालय में जमा की गई थी ।

(3) न्यायालय उपनियम (1) के अधीन प्राप्त तथा संवितरित की गई रकम के समुचित लेखे रखेगा।

(43) **निर्धन व्यक्तियों की फीस तथा खर्चे** – न्यायालय, जब कभी भी वह उचित समझे, ऐसे व्यक्तियों से जो अकिंचन हों, इस संहिता के अधीन संस्थित की गई कार्यवाहियों तथा इन नियमों के अधीन दिए गए आवेदन प्राप्त कर सकेगा और उन्हें रजिस्टर कर सकेगा और उपनियम (41) तथा (42) में वर्णित फीस तथा खर्चे के भुगतान के बिना या आंशिक भुगतान पर ऐसे व्यक्तियों की ओर से समन या सूचना जारी कर सकेगा।

(44) **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के उपबंधों का लागू होना** – प्रक्रिया या साक्ष्य के प्रतिग्रहण से संबंधित विषयों के संबंध में जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध न किया गया हो, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) जिसमें उसके अधीन बनाये गये नियम सम्मिलित हैं तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (क्रमांक 1 सन् 1872) के उपबंध अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को जहॉ तक हो सके लागू होंगे।

8. **धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू करने की रीति, उसकी फीस और प्रक्रिया – (1)** निगम, यथास्थिति पीड़ित व्यक्ति या किसी स्थापना के नियोक्ता, जैसी भी स्थिति हो के आवेदन द्वारा कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की जाएगी।

(2) संहिता के अध्याय चार के उपबंधों और सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियॉ उस स्थानीय क्षेत्र के लिए नियुक्त न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसमें बीमित व्यक्ति उस समय कार्य कर रहा था जब प्रश्न या विवाद उद्भूत हुआ था।

(3) यदि न्यायालय को समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित किसी कार्यवाही से उत्पन्न कोई भी मामला उसी राज्य में किसी अन्य कर्मचारी बीमा न्यायालय द्वारा अधिक आसानी से निपटाया जा सकता है, तो वह राज्य सरकार द्वारा इस बाबत् बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए इस तरह के मामले को निपटाने के लिए ऐसे अन्य न्यायालय में अंतरित करने का आदेश दे सकेगा और उस मामले से जुड़े अभिलेखों को तुरंत ऐसे अन्य न्यायालय को प्रेषित करेगा।

(4) राज्य सरकार, राज्य के किसी भी कर्मचारी बीमा न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को किसी अन्य राज्य के ऐसे किसी न्यायालय में उस राज्य की सहमति से अंतरित कर सकेगी।

(5) ऐसा न्यायालय जिसको किसी भी मामले को उपनियम (3) एवं उपनियम (4) के अधीन अंतरित किया जाता है, वह इस प्रकार अपनी कार्यवाही जारी रखेगी जैसे कि वे मूल रूप से इसमें संस्थित किए गए थे।

अध्याय – पाँच

उपदान भुगतान

9. बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान जिसमें धारा 53 की उप–धारा (1) के तृतीय परंतुक के अधीन अवयस्क के लाभ के लिए उपादान का निवेश किया जाएगा।

नामनिर्देशिती (नॉमिनी) या उत्तराधिकारी के मामले में, जो अवयस्क है, सक्षम प्राधिकारी ऐसे अवयस्क के लाभ के लिए उसके पास जमा की गई उपादान राशि का निवेश भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक में करेगा।

स्पष्टीकरण – **''राष्ट्रीयकृत बैंक''** से अभिप्रेत है बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक या बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई तत्स्थानी नवीन बैंक।

10. धारा 55 की उपधारा (1) के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशन का समय, प्ररूप और रीति, उपधारा (4) के अधीन नवीन नामनिर्देशन करने का समय, उपधारा (5) के अधीन किसी नामनिर्देशन में उपांतरण का प्ररूप और रीति और उपधारा (6) के अधीन नवीन नामनिर्देशन के लिए प्ररूप –

(1) कोई नामांकन प्ररूप–ग्यारह में होगा और कर्मचारी द्वारा दो प्रतियों में या तो व्यक्तिगत सेवा द्वारा उचित रसीद लेने के पश्चात् या नियोक्ता को किसी पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(एक) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख पर एक वर्ष या उससे अधिक से पहले से ही नियोजित है, परन्तु ऐसी तारीख से नब्बे दिनों के भीतर, आमतौर पर, नामांकन प्रस्तुत नहीं किया है; तथा

(दो) किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख के बाद सेवा का एक वर्ष पूर्ण किया है, जो सामान्यतया सेवा के एक वर्ष पूरा होने के तीस दिनों के भीतर है :

परन्तु प्ररूप– ग्यारह में नामांकन विनिर्दिष्ट अवधि के बाद नियोक्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा, अगर दायर किया गया है और इस प्रकार स्वीकार किया गया कोई नामांकन केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि यह विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् दायर किया गया था।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्ररूप– ग्यारह में नामांकन की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, नियोक्ता नामांकन के प्ररूप यथालिखित कर्मचारी के सेवा विवरण प्राप्त करेगा, स्थापना के अभिलेखों के संदर्भ में सत्यापित और कर्मचारी को वापसी के पश्चात् एक रसीद प्राप्त करने के बाद, प्ररूप– ग्यारह में नामांकन की डुप्लिकेट कॉपी विधिवत रूप से नियोक्ता या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाती है जो कि नियोक्ता द्वारा नामांकन की रिकॉर्डिंग के टोकन के रूप में रखा जाएगा और नामांकन की दूसरी प्रति अभिलिखित की जाएगी।

(3) कोई एक कर्मचारी जिसके पास नामांकन करने के समय कोई परिवार नहीं है, परिवार होने के 90 दिनों के भीतर उप–नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में एक नवीन नामांकन, जैसा कि धारा 55 की उप–धारा (4) के अधीन अपेक्षित है दो प्रतियों में प्ररूप– ग्यारह में नियोक्ता को प्रस्तुत करेगा और उसके बाद उप–नियम (2) के उपबंध परिवर्तनों सहित इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि यह उप–नियम (1) के अधीन किया गया था।

(4) किसी नामांकन के संशोधन की कोई सूचना, उन मामलों सहित जहाँ कोई नामनिर्देशिती (नॉमिनी) कर्मचारी के पहले मर जाता है, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति में नियोक्ता को प्ररूप– ग्यारह में दो प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी, और उसके बाद उपनियम (2) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(5) कोई नवीन नामांकन या नामांकन के संशोधन की कोई सूचना कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी या, यदि वह निरक्षर है, तो उसके अंगूठे का निशान लगाना होगा तथा कर्मचारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(6) नवीन नामांकन या नामांकन के संशोधन की सूचना नियोक्ता द्वारा उसकी प्राप्ति की तारीख से प्रभावी होगी।

11. वह समय जिसके भीतर और वह प्ररूप जिसमें उप–धारा (1) के अधीन कोई लिखित आवेदन किया जाएगा और धारा 56 की उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को आवेदन का प्ररूप –

(1) उपादान के लिए आवेदन :–

(क) प्ररूप– बारह में नियोक्ता को, कोई कर्मचारी जो संहिता के अधीन उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, या उसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए लिखित रूप में अधिकृत कोई भी व्यक्ति, सामान्यतः उपादान के देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्ररूप– बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा :

परन्तु जहॉ किसी कर्मचारी अर्द्धवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख ज्ञात हो, कर्मचारी अर्द्धवार्षिकी या सेवानिवृत्ति की तारीख के तीस दिन पहले नियोक्ता को आवेदन कर सकेगा।

परन्तु यह और कि नियतकालिक रोजगार पर नियुक्त कोई कर्मचारी उपदान के लिए पात्र होगा, यदि वह संविदा के अंतर्गत एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है और उसे 15 दिनों के वेतन की दर पर उपदान का भुगतान किया जाएगा जो उसके द्वारा सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष अथवा उसके भाग, जो छः माह से अधिक हो, के लिए उसके द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी की दर पर आधारित होगा।

(ख) किसी कर्मचारी का कोई नामनिर्देशिती जो धारा 53 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, जो कि, सामान्यतः उस उपादान देय होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्ररूप– बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा :

परन्तु सुसंगत ब्यौरे के साथ सादे कागज में कोई आवेदन भी स्वीकार किया जाएगा। नियोक्ता ऐसे अन्य ब्यौरे प्राप्त कर सकेगा जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

(ग) किसी कर्मचारी का कोई विधिक उत्तराधिकारी, जो धारा 53 की उप–धारा (1) के दूसरे परन्तुक के अधीन उपादान के भुगतान के लिए पात्र है, सामान्यतः उस उपादान देय होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, प्ररूप– बारह में नियोक्ता को आवेदन करेगा :

(घ) जहाँ इन नियमों के प्रारंभ होने से पहले संहिता के अधीन उपादान देय हो जाती है, वहॉ उप–नियम (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट समयसीमा की अवधि या ऐसे प्रारंभ होने की तारीख से प्रभावशील मानी जाएंगी।

(ङ) इस नियम में विनिर्दिष्ट अवधियों की समाप्ति के पश्चात् उपादान के भुगतान के लिए दायर किया गया कोई आवेदन नियोक्ता भी नियोक्ता द्वारा स्वीकार दिया जाएगा, यदि आवेदक अपने दावे को प्रस्तुत करने में देरी के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत करता है, और संहिता के अधीन उपादान के लिए कोई दावा केवल इसलिए अमान्य होगा, कि दावेदार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना

आवेदन प्रस्तुत करने में विफल रहा। इस संबंध में किसी भी विवाद को सक्षम प्राधिकारी को उसके निर्णय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

(च) इस नियम के अधीन कोई आवेदन नियोक्ता को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत सेवा द्वारा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उपादान के भुगतान के लिए सूचना :–

(क) उप–नियम (1) के अधीन उपादान के भुगतान के लिए किसी आवेदन के प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर, नियोक्ता –

(एक) यदि सत्यापन पर दावा स्वीकार्य पाया जाता है, तो यथास्थिति आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) या विधिक उत्तराधिकारी को देय उपादान की राशि विनिर्दिष्ट करते हुए और उसके भुगतान के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीसवें दिन के अपश्चात् की कोई तारीख तय करते हुए प्ररूप– तेरह में एक सूचना जारी करेगा।

(दो) यदि उपादान के लिए दावा स्वीकार्य नहीं पाया जाता है, तो यथास्थिति, आवेदक कर्मचारी, नामनिर्देशिती (नॉमिनी) या विधिक उत्तराधिकारी को कारण बताते हुए कि उपादान के लिए दावे को स्वीकार्य क्यों नहीं माना गया, प्ररूप– तेरह में एक सूचना जारी करेगा।

उपादान अस्वीकार किए जाने की दशा में सूचना की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को पृष्ठांकित की जाएगी।

(ख) यदि उपादान का भुगतान नियोक्ता के कार्यालय में किए जाने योग्य है, तो उप नियम (2) के उप–खंड (एक) के अधीन, प्ररूप– तेरह में सूचना में इस प्रयोजन के लिए तय की गई तारीख नियोक्ता द्वारा फिर से तय की जाएगी, अगर इस संबंध में एक लिखित आवेदन आदाता द्वारा बताते हुए किया गया है कि उसके लिए विनिर्दिष्ट तारीख पर व्यक्तिशः उपस्थित होना क्यों संभव नहीं है।

(ग) यदि उपादान के लिए दावेदार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी है, तो नियोक्ता ऐसे गवाह या सबूत की मांग सकेगा जो यथास्थिति उसकी पहचान स्थापित करने या उसके दावे के पोषण के लिए सुसंगत माना जा सके। उस दशा में, नियोक्ता को उप–नियम (2) के खंड (क) के अधीन सूचना जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट समय सीमा यथास्थिति नियोक्ता द्वारा बुलाया गये ऐसे साक्षी या साक्ष्य के नियोक्ता को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रभावशील होगी।

(घ) प्ररूप– तेरह में कोई सूचना आवेदक को या तो रसीद लेने के बाद व्यक्तिगत या पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तामील की जाएगी।

(ङ) धारा 56 की उप–धारा (2) के अधीन कोई सूचना प्ररूप– तेरह में होगी।

(3) **उपादान के भुगतान का तरीका** – संहिता के अधीन देय उपादान का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या यथास्थिति पात्र कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा :

परन्तु भुगतान के ब्यौरे के बारे में सूचना नियोक्ता द्वारा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी।

(4) **धारा 56 की उप–धारा (5) के खंड (ख) के अधीन निर्देश के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन :–**

(क) यदि कोई नियोक्ता –

(एक) धारा 34 के अधीन नामांकन को स्वीकार करने या उप–नियम (1) के अधीन दायर किए जाने के लिए आवेदन को लेने से इनकार करता है; या

(दो) उप–नियम (2) के खंड (क) के अधीन उपादान की कोई राशि, जो आवेदक द्वारा देय से कम समझी जाए विनिर्दिष्ट करते हुए या उपादान के भुगतान के लिए पात्रता को अस्वीकार करते हुए कोई सूचना जारी करता

(तीन) उप–नियम (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होते हुए, उप–नियम (2) के अधीन आवश्यक सूचना उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर जारी करने में विफल रहता है, तो यथास्थिति दावेदार कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी आवेदन के लिए कारण उत्पन्न होने के एक सौ अस्सी दिनों के भीतर, धारा 56 के उप–खंड (5) के अधीन कोई दिशा–निर्देश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्ररूप– चौदह में आवेदन कर सकेगा जिसके साथ उतनी अतिरिक्त प्रतियॉ होंगी जितने कि पक्षकार हैं :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उस उप–नियम के अधीन किसी भी आवेदन को निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के बाद आवेदक द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर स्वीकार कर सकेगा।

(ख) उप–नियम (4)के खंड (क) के अधीन आवेदन और इस तरह के आवेदन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जाएगा।

(5) **निदेश के लिए आवेदन पर कार्यवाही की प्रक्रिया :–**

(क) उप–नियम (4) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या व्यक्तिशः प्ररूप– पंद्रह में सूचना जारी करके, आवेदक के साथ–साथ नियोक्ता को भी या तो स्वयं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सभी संबंधित दस्तावेजों और गवाहों के साथ, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर अपने समक्ष पर बुलाएगा।

(ख) कोई भी व्यक्ति नियोक्ता जो यथास्थिति कर्मचारी, नामनिर्देशिती या विधिक उत्तराधिकारी की ओर से कार्रवाई करने की इच्छा रखता है, सक्षम प्राधिकारी को यथास्थिति, नियोक्ता या संबंधित व्यक्ति से अधिकार पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसकी ओर से वह इस मामले में लिखित बयान के साथ अपनी रुचि को स्पष्ट करते हुए मिलकर इस प्रकार कार्रवाई करने की अनुमति चाहता है। सक्षम प्राधिकारी अपने अनुमोदन या अनुमति देने से इनकार करने के मामले में इनकार करने के कारण विनिर्दिष्ट करते हुए एक आदेश अभिलिखित कराएगा।

(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित होने वाला कोई पक्षकार प्रतिनिधि के कृत्यों से आबद्ध होगा।

(घ) खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख पर सुनवाई पूरी होने के बाद, या ऐसी अन्य साक्ष्य, दस्तावेजों, गवाहों के परीक्षणों, सुनवाई और जांच, जैसा कि आवश्यक समझा जाए, के पश्चात् सक्षम अधिकारी अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि क्या संहिता के अधीन आवेदक को राशि देय है। प्रत्येक पक्षकार को निष्कर्ष की एक प्रति दी जाएगी।

(ङ) यदि संबंधित नियोक्ता सूचना की उचित तामीली के बाद पर्याप्त कारण के बिना सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सक्षम अधिकारी आवेदन एक पक्षीय सुनने और निर्धारित करने के लिए आगे कार्यवाही कर सकेगा यदि आवेदक सुनवाई की विनिर्दिष्ट तारीख पर पर्याप्त कारण के बिना उपस्थित होने में विफल विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी आवेदन को खारिज कर सकेगा :

परन्तु उप–नियम (5) के खंड (ङ) के अधीन कोई आदेश की उक्त आदेश के तीस दिनों के भीतर उचित कारण दर्शाए जाने पर समीक्षा की जाएगी और विरोधी पक्षकार को पुनः सुनवाई के लिए नियत तारीख से चौदह अनिम्न दिनों की सूचना देने के पश्चात् आवेदन की पुनः सुनवाई की जाएगी।

(6) **सुनवाई का स्थान और समय** – सक्षम प्राधिकारी की बैठकें ऐसे समय पर और ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी, जैसा कि वह नियत करे और वह उसके पक्षकरों को ऐसी रीति में सूचित करेगा जैसी कि वह ठीक समझे।

(7) **शपथ का दिलाया जाना** – शपथ पत्र बनाने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी अपने कार्यालय के किसी लिपिक को शपथ पत्र बनाने के प्रयोजन से शपथ दिलाए जाने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(8) **गवाहों की समन और उनकी उपस्थिति** – सक्षम प्राधिकारी, उसके समक्ष कार्यवाही में शामिल किसी भी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर या उसके बिना कार्यवाही के किसी भी स्तर पर, ऐसे निबंधनों पर जो कि सक्षम प्राधिकारी को उचित प्रतीत हो प्ररूप– पंद्रह में, किसी भी व्यक्ति को, किसी निर्दिष्ट तारीख, समय और स्थान पर, या तो सबूत देने के लिए या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए या दोनो प्रयोजनों हेतु दोनों उद्देश्यों के लिए समन जारी कर सकेगा।

(9) **समन या सूचना की तामीली** –

(क) खंड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई सूचना, समन, आदेशिका या आदेश या तो व्यक्तिशः या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन यथा विहित किसी अन्य रीति में तामीली किया जा सकेगा।

(ख) जहाँ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही के लिए (पक्षों के रूप में) कई व्यक्ति हों, और ऐसे व्यक्ति किसी भी ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के सदस्य हों या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किए जा रहे हों, सचिव पर सूचना की तामीली, या जहाँ कोई सचिव नहीं है, ट्रेड यूनियन या एसोसिएशन के प्रमुख अधिकारी पर, या किसी प्राधिकृत व्यक्ति पर सूचना की तामीली को ऐसे व्यक्तियों पर तामीली समझा जाएगा।

(10) **सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामलों के अभिलेखों का रखरखाव – (क)** सक्षम प्राधिकारी धारा 56 के अधीन प्रत्येक मामले के ब्यौरे अभिलिखित करेगा और आदेश पारित करते समय इस प्रकार अभिलिखित विवरण पर हस्ताक्षर करेगा और दिनांक डालेगा।

(ख) सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक मामले में आदेश पारित करते समय, मामले के गुणों पर निष्कर्ष भी अभिलिखित करेगा और आदेश पत्र के साथ साक्ष्य के ज्ञापन के साथ–साथ इसे अभिलिखित करेगा।

(ग) किसी भी आदेश या निर्देश के अभिलेख से भिन्न कोई भी अभिलेख, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के लिए इन नियमों द्वारा अपेक्षित है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजनार्थ लिखित रूप में नियुक्त किसी भी

अधीनस्थ अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की ओर से और उसके निर्देशन के अधीन हस्ताक्षर किए जा सकेगें।

(11) **उपादान के भुगतान हेतु निर्देश :–** यदि कोई उप–नियम (5) के खंड (घ) के अधीन किया जाता है कि आवेदक संहिता के अधीन उपादान के भुगतान का हकदार है, तो सक्षम प्राधिकारी इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक पावती की वजह से या नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचना के अधीन आवेदक को यथास्थिति देय राशि और उसके भुगतान का निर्देश निर्दिष्ट करता है। सूचना की एक प्रति आवेदक कर्मचारी, नामित या विधिक उत्तराधिकारी को भी दी जाएगी। प्रपत्र– चौदह की वजह से या नियोक्ता द्वारा नोटिस प्राप्त होने या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।

(12) **अपील – (क)** संहिता की धारा 56 की उप–धारा (8) के अधीन अपील का ज्ञापन, अपीलीय प्राधिकारी को उसकी प्रति और पक्षकार में सक्षम प्राधिकारी को उसकी प्रति के साथ या पंजीकृत डाक पावती द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरे पक्षकार को भी दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी या तो व्यक्ति के माध्यम से या पंजीकृत डाक पावती या इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिदान करेगा।

(ख) अपील के ज्ञापन में मामले के तथ्य, सक्षम प्राधिकारी का निर्णय, अपील का आधार और मांगी गई राहत शामिल होगी।

(ग) उपादान के भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकारी और निर्देशों की खोज की प्रमाणित प्रति अपील के ज्ञापन के लिए संलग्न की जाएगी।

(घ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकारी को मामले के अभिलेख को अग्रेषित करेगा।

(ङ) अपील के ज्ञापन की प्रति प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर, विपरीत पक्षकार अपीलकर्ता को एक प्रति के साथ अपीलीय प्राधिकारी को, अतिरिक्त दलीलों के साथ, ज्ञापन के प्रत्येक अनुच्छेद की अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।

(च) अपील प्राधिकारी अपील को सुनने का एक युक्तियुक्त अवसर पक्षों को देने के बाद अपना निर्णय अभिलिखित करेगा। निर्णय की एक प्रति पक्षों को इलेक्ट्रॉनिक या पंजीकृत डाक या व्यक्ति द्वारा अपील करने के लिए दी जाएगी और उसकी एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को मामले के अपने अभिलेख को वापस भेज दी जाएगी।

(छ) सक्षम प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, उसके द्वारा बनाए गए मामले के अभिलेख में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

(ज) अपील प्राधिकारी के निर्णय की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी, यदि उस निर्णय के अधीन आवश्यक हो, तो उपादान के भुगतान के लिए उसके निर्देश में उपांतरण

और प्ररूप– सोलह में संबंधित नियोक्ता को उपांतरित राशि देय और निर्देशन को विनिर्दिष्ट करने के लिए एक सूचना, सूचना के अधीन जारी कर सकेगा। नियोक्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित सूचना की एक प्रति के साथ–साथ अपीली कर्मचारी, नामित या विधिक उत्तराधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी को यथास्थिति, अपीलीय प्राधिकारी को दी जा सकेगी।

(13) **उपादान की वसूली के लिए आवेदन** – जहाँ एक नियोक्ता उप–नियम (11) या उप–नियम (12) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना के अनुसार संहिता के अधीन उपादान का भुगतान करने में विफल रहता है, जैसा यथास्थिति संबंधित कर्मचारी, उसका नामांकित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी, यथास्थिति जिसको उपदान देय हो, संहिता की धारा 129 के अधीन उसकी वसूली के लिए प्ररूप–17 में डुप्लिकेट में सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।

12. **धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी की अर्हताएं और अनुभव** – सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

अध्याय – छः

प्रसूति प्रसुविधा

13. **प्राधिकरण जिसे धारा 72 की उपधारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी** –

(1) **धारा 72 के अधीन शिकायत** – **(क)** धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन एक शिकायत यथास्थिति प्ररूप– अट्ठारह में लिखित से की जाएगी।

(ख) जब तक की निरीक्षक–सह–सुविधा प्रदाता द्वारा धारा 72 में संदर्भित शिकायत प्राप्त होती है, तो वह नियोक्ता द्वारा इस निमितं बनाए गए सुसंगत अभिलेखों की जांच करेगा, स्थापना में कार्यरत किसी भी व्यक्ति की जांच करेगा और उद्देश्य के लिए आवश्यक बयान लेगा। जांच और अगर वह संतुष्ट है कि प्रसूति प्रसुविधा या राशि अनुचित रूप से रोक दी गई है, तो वह नियोक्ता को धारा 63 के अधीन भुगतान का दावा करने वाली महिला या व्यक्ति को यथास्थिति शीघ्रता पूर्व या विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भुगतान करने का निर्देश देगा।

(2) **धारा 72 के अधीन अपील** – **(क)** धारा 72 के उप–धारा (2) के अधीन निरीक्षक–सह–प्रसुविधाप्रदाता के निर्णय के विरूद्ध एक अपील सक्षम प्राधिकारी को होगी।

(ख) व्यथित व्यक्ति प्ररूप– उन्नीस में विहित प्राधिकारी को लिखित में अपील करेगा और अन्य सहायक दस्तावेज दाखिल करेंगे।

(ग) जब कोई अपील प्राप्त होती है, तो निर्धारित प्राधिकारी निरीक्षक–सह–सुविधाकर्ता से नियत तारीख से पहले बुलाकर मामले का अभिलेख अभिलिखित करेगा। यदि आवश्यक हो, तो विहित प्राधिकारी भी व्यथित व्यक्ति और निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के बयानो को अभिलिखित करेगा और यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांग सकता है।

(घ) दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, उनके सामने प्रस्तुत किए गए सबूत और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य या उनके द्वारा पता लगाया गया, विहित प्राधिकरण अपना निर्णय देगा।

अध्याय – सात
कर्मचारी प्रतिकर

14. **धारा 76 की उपधारा (7) के अधीन नियोक्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के साथ कर्मचारी की अंत्येष्टि के व्यय हेतु रकम का जमा कराना –**

अंत्येष्टि हेतु रकम – यदि कर्मचारी को हुई क्षति के परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोक्ता उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्ति सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसे कर्मचारी के अंत्येष्टि के व्यय के लिए कर्मचारी के सबसे बड़े उत्तरजीवी आश्रित को, अथवा जहाँ कर्मचारी का कोई आश्रित नहीं है, या वह अपनी मृत्यु के समय अपने आश्रितों के साथ नहीं रह रहा था, वहाँ उस व्यक्ति को, जिसने वास्तव में ऐसा व्यय उपगत किया है, संदाय के लिए राशि जो 15000 रूपये से कम न हो जमा करेगा।

15. **धारा 79 की उपधारा (1) की अधीन शर्ते, जब चिकित्सा व्यवसायी के प्रमाण पत्र के बिना पुनर्विलोकन के लिए आवेदन किया जाता है –**

(1) जब चिकित्सीय प्रमाण पत्र के बिना आवेदन किया जा सकता है – संहिता की धारा 79 के अधीन अर्द्धमासिक संदाय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन साथ में चिकित्सीय प्रमाण–पत्र संलग्न किए बिना किया जा सकता है –

(क) नियोजन द्वारा, इस आधार पर कि जब से प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है कर्मचारी की मजदूरी बढ़ गई है;

(ख) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि जब से प्रतिकर के अधिकार का निर्धारण हुआ है उसकी मजदूरी कम हो गई है;

(ग) कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि नियोजन ने प्रतिकर अदा करना प्रारम्भ करके प्रतिकर अदा करना रोक दिया है, यह तथ्य होते हुए भी कि कर्मचारी की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इस प्रकार रोक का उचित कारण बताना;

(घ) या तो नियोक्ता द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि तत्समय प्रवृत प्रतिकर की दर का निर्धारण कपट अथवा अनुचित प्रभाव अथवा अन्य अनुचित साधनों से किया गया था;

(ङ) नियोक्ता द्वारा या कर्मचारी द्वारा, इस आधार पर कि प्रतिकर के निर्धारण में अभिलेख में प्रत्यिक्षतः भूल अथवा गलती हुई है।

(2) **पुनर्विलोकन के लिए आवेदन पर प्रक्रिया –** नियोक्ता द्वारा पुनर्विलोकन के लिए दिए आवेदन जिसमें उसने अर्द्ध मासिक संदाय के रोक या कटौती को चाहा है के परीक्षण करने पर अगर सक्षम प्राधिकारी को यह मालूम पड़े कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि नियोक्ता को ऐसी कटौती या रोक का अधिकार है तो वह आवेदन के निर्णय के लम्बित रहते अर्द्ध मासिक संदाय को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से रोकने का आदेश दे सकता है।

(3) **सारांशीकरण के लिए आवेदन पर प्रक्रिया – (1)** जहाँ एक मुश्त राशि के संदाय रूप में अर्द्ध मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार से छुटकारे के लिए धारा 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आवेदन किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और संपूर्ण अर्द्ध–मासिक संदाय के बराबर राशि अधिनिर्णीत करेगा जो उस कालावधि के लिए देय होगी जब तक उसके अनुमान से निःशक्तता जारी रहेगी, उस कालावधि के प्रत्येक महीने की कुल राशि की आधा प्रतिशत कम घटा कर होगी;

परंतु इस प्रकार संगणना में सम्मिलित रूपयों की भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

(2) किसी ऐसे मामले में जिस पर उपनियम (1) लागू होता हो, जब सक्षम प्राधिकारी निःशक्तता की अधिसंभाव्य अवधि का अनुमान आंकलन करने में असमर्थ रहे तो वह समय–समय पर एक अवधि के लिए जो किसी एक समय पर दो महीने से अधिक नहीं हो आवेदन पर निर्णय टाल सकता है।

16. **धारा 82 की उपधारा (4) के अधीन कर्मचारियों का वर्ग और सूचना पुस्तिका का प्रारूप –** समुचित सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि विहित वर्ग के नियोक्ता जैसा कि उस सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपने परिसर में जहाँ कर्मचारी नियोजित है एक सूचना–पुस्तक रखेंगे, (प्ररूप– बीस देखिए) जिसे उस सरकार द्वारा विहित किया जाए, ऐसे प्ररूप में परिसर

में नियोजित किसी भी क्षतिग्रस्त कर्मचारी की या सद्भावपूर्वक उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की सभी युक्तियुक्त समयों पर आसानी से पहुंच हो सकेगी।

17. **धारा 84 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन चिकित्सा परीक्षण के लिए बारंबार अंतराल –**

(1) **नियमों के अनुसार के अलावा कर्मचारी चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं** – कर्मचारी जो धारा 11 की उपधारा (1) के द्वारा चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने को अपेक्षित है इस भाग अन्तर्विष्ट नियमों के अनुसार ही ऐसा करने को बाध्य होगा और अन्यथा नहीं।

(2) **कर्मचारी और चिकित्सीय व्यवसायी दोनों के परिसर में होने पर परीक्षण** – जब ऐसा कर्मचारी नियोक्ता के परिसर में उपस्थित हो, और नियोक्ता, उसे प्रत्येक चिकित्सीय व्यवसायी जो उपस्थित है से उसकी निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहता है तो कर्मचारी तुरंत परीक्षण के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेगा।

(3) **अन्य मामलों में परीक्षण** – उन मामलों में जिनमें नियम 14 लागू नहीं होता है, नियोक्ता –

(क) उस स्थान पर चिकित्सा व्यवसायी को भेज सकेगा जहाँ कर्मचारी उस समय रह रहा हो और इस दशा में कर्मचारी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षण के लिए आवेदन किए जाने पर अपने को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा;

(ख) कर्मचारी के पास अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा निःशुल्क चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के लिए लिखित प्रस्ताव भेज सकेगा, इस दशा में कर्मचारी नियोक्ता के परिसर में अथवा उसके सामीप्य में ऐसे स्थान पर जैसा कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसे समय पर जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होगा।

परन्तु :–

(एक) इस प्रकार विनिर्दिष्ट समय कर्मचारी की लिखित सहमति के सिवाय शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य नहीं होगा; और

(दो) उन मामलों में जिनमें कर्मचारी की दशा ऐसी हो जिसमें उसके स्थान जहाँ तत्समय वह रह रहा है, को छोड़ना असंभव हो या बुद्धिमानी न समझा जाए तो वह चिकित्सीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने को इस स्थान के सिवाय अपेक्षित नहीं होगा।

(4) **परीक्षणों की संख्या पर निर्बंधन** – यदि कर्मचारी अर्द्ध–मासिक संदाय प्राप्त कर चुका है वह दुर्घटना के बाद प्रथम महीने में दो बार से अधिक अथवा बाद के किसी महीने में एक से अधिक बार उस स्थान पर जहाँ वह तत्समय रह रहा है से भिन्न स्थान पर चिकित्सकीय परीक्षण के लिए प्रस्तुत होने के लिए अपेक्षित नहीं होगा।

(5) **प्रतिकर के अधिकार के निलम्बन के बाद परीक्षण –** यदि कोई कर्मचारी जिसका प्रतिकर का अधिकार संहिता की धारा 11 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निलम्बित कर दिया है बाद में चिकित्सीय परीक्षण के लिए स्वयं प्रस्तुत होता है तो उसका चिकित्सीय परीक्षण नियोक्ता के परिसर में या सामीप्य में ऐसे स्थान पर जैसा नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए और कर्मचारी की अभिव्यक्त सहमति के सिवाय ऐसे समय पर जो नियोक्ता द्वारा नियत किया जाए पर कर्मचारी द्वारा अपने को प्रस्तुत करने के बाद बहत्तर घंटों से अधिक नहीं हो।

(6) **महिलाओं का परीक्षण – (एक)** किसी भी महिला की उसकी सहमति के बगैर अन्य महिला की उपस्थिति के सिवाय पुरूष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण नहीं किया जाएगा।

(दो) किसी भी महिला को पुरूष व्यवसायी द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण के लिए अपेक्षित नहीं किया जाएगा यदि वह इतनी राशि जमा कर देती है जो किसी महिला व्यवसायी द्वारा परीक्षण के खर्चों के लिए पर्याप्त हो।

18. **धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा विहित प्ररूप में प्रस्तुत किया गया कथन –**

(एक) संहिता की धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के द्वारा भेजी जाने वाली सूचना प्ररूप– ईक्कीस में होगी और वह प्ररूप– बीस की सादी प्रतिलिपि के साथ होगी।

(दो) धारा 88 के अधीन नियोक्ता के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला कथन प्ररूप– बाईस में प्ररूप– बीस के साथ होगा।

(तीन) धारा 88 की उपधारा (1) के अधीन दुर्घटना के सम्बन्ध में रिपोर्ट उस प्राधिकारी को भेजी जा सकेगी, जिसके पास ऐसी दुर्घटना की सूचना भेजी जानी आवश्यक है।

19. **धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा रजिस्टर में ज्ञापन अभिलिखित करने की रीति –**

(1) **ज्ञापन का प्रारूप –** धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया करार का ज्ञापन, यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे, दो प्रतियों में होगा और प्ररूप– तैइस अथवा प्ररूप– चौबीस अथवा प्ररूप– पच्चीस के उतने अनुरूप होगा जितनी मामले की परिस्थितियां ग्रहण करें।

(2) **प्रक्रिया जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह नहीं मानता कि उसे ज्ञापन अभिलिखित करने से इन्कार करना चाहिए –**

(एक) करार का ज्ञापन प्राप्त करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी यह नहीं मानता कि ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार करने के आधार है तो वह उन्हें अभिलिखित करने के लिए तारीख तय करेगा और सम्बन्धित पक्षकारों को

प्ररूप– छब्बीस में लिखित में एक सूचना जारी करेगा कि आपत्ति के व्यतिक्रम वह इस प्रकार तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलिखित करने का प्रस्ताव करता है :

परंतु सूचना किन्हीं भी पक्षकारों को मौखिक रूप से संसूचित की जा सकती है जो उस समय, जब सूचना लिखित रूप में अन्यथा जारी होती, उपस्थित हों।

(दो) इस प्रकार नियत तारीख पर, सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करेगा यदि किन्हीं पक्षकारों को जो प्रस्तुत होकर सुने जाने की इच्छा प्रकट करे जब तक कि वह यह न समझे कि इसे अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए :

परंतु उपनियम (1) के अधीन सूचना के विवाद्यक सक्षम प्राधिकारी को इस प्रकार तय तारीख पर ज्ञापन को अभिलिखित करने के लिए इन्कार करने से नहीं रोक सकेंगे चाहे सम्बन्धित किसी पक्षकार द्वारा आपत्ति न की गई हो।

(तीन) यदि इस तारीख को सक्षम प्राधिकारी निर्णय करता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए तो वह अपने निर्णय व इसके कारणों की सूचना उपस्थित पक्षकारों को देगा और यदि ज्ञापन को अभिलिखित कराने की चाह रखने वाला कोई पक्षकार उपस्थित नहीं है, तो वह प्ररूप– सत्ताईस में पक्षकार को सूचना देगा।

(3) प्रक्रिया जहाँ सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि ज्ञापन अभिलिखित करने से इन्कार करना चाहिए –

(एक) करार के ज्ञापन को प्राप्त करने पर, यदि सक्षम प्राधिकारी यह समझता है कि ज्ञापन अभिलिखित करने से इंकार करने के पर्याप्त आधार हैं तो वह पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के लिए जो ज्ञापन को अभिलिखित कराने की इच्छा रखते हैं; तारीख नियत करेगा और ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को और यदि वह उचित समझे, किसी अन्य सम्बन्धित पक्षकार को इस प्रकार नियत तारीख और आधार जिन पर वह यह समझता है कि ज्ञापन अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, की सूचना देगा।

(दो) यदि सूचना दिए जाने वाले पक्षकार उपस्थित नहीं हो तो प्ररूप– अट्ठासईस अथवा प्ररूप– उन्नतीस में यथास्थिति, एक लिखित सूचना उन्हें दी जाएगी, और इस सूचना में नियत तारीख, सूचना जारी होने की तारीख के बाद से सात दिन से कम की नहीं होगी।

(तीन) उपनियम (1) के अधीन तय तारीख पर यदि ज्ञापन को अभिलिखित कराने की चाह रखने वाला पक्षकार या वाले पक्षकार ज्ञापन को अभिलिखित करने के लिए कार्यवाही करने के लिए उचित कारण दर्शाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी यदि सम्बन्धित सभी पक्षकारों को पहले ही सूचना दी जा चुकी है, करार

अभिलिखित कर सकेगा। यदि इन सभी पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई है तो वह नियम 20 (2) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(चार) इस प्रकार नियत तारीख पर, यदि सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन अभिलिखित करने से इंकार करेगा, तो वह उस किसी भी पक्षकार को प्ररूप– सत्ताईस में सूचना भेजेगा जिसने उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त नहीं की थी।

(4) ज्ञापन अभिलिखित करने से इन्कार पर प्रक्रिया – (एक) यदि किसी मामले में सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इन्कार करता है तो वह अपने इस इन्कार के कारणों का संक्षिप्त रूप से अभिलेखन करेगा।

(दो) यदि, सक्षम प्राधिकारी करार के ज्ञापन को अभिलिखित करने से इंकार करेगा तो वह करार में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक किसी राशि या रकम या संदाय करने को निर्देशित करने वाला आदेश पारित नहीं करेगा, यदि राशि अदा करने के उत्तरदायी पक्षकार को यह कारण बताने का कि राशि अदा क्यों नहीं की जानी चाहिए अवसर न दे दिया गया हो।

(तीन) जहाँ करार एक मुश्त राशि के संदाय के द्वारा अर्द्ध मासिक संदायों के छुटकारे के लिए हो, और सक्षम प्राधिकारी यह माने कि करार का ज्ञापन करार में यथा नियत ऐसी राशि की रकम की अपर्याप्तता के कारण अभिलिखित नहीं किया जाना चाहिए, तो वह कर्मचारी की निःशक्तता की संभाव्य अवधि का अपना आंकलन अभिलिखित करेगा।

(5) अभिलेख के लिए स्वीकार किए गए ज्ञापन का रजिस्ट्रीकरण – करार के ज्ञापन अभिलिखित करने में, सक्षम प्राधिकारी इसको प्ररूप– तीस में एक रजिस्टर में अभिलिखित कराएगा और ज्ञापन की एक प्रति पर अपने हस्ताक्षर द्वारा पृष्ठांकन करवाएगा जो निम्नलिखित निबंधनों में उसके द्वारा रखी जाएगी, यथा :–

''20. ..... को क्र. नं. ..... वाला करार का ज्ञापन

20. ..... के दिन ..... को रजिस्टर में अभिलिखित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

20. धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में ऐसा अन्य अनुभव और अहर्ताएं –

सक्षम प्राधिकारी की अर्हता –

(एक) जो राज्य न्यायिक सेवा का 5 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए सदस्य है; या

(दो) कम से कम पाँच वर्ष की वकालत करने वाला अधिवक्ता; या

(तीन) 5 वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए ऐसा राजपत्रित अधिकारी, जो कार्मिक प्रबंध, मानव संसाधन विकास, और औद्योगिक सम्बन्धों तथा विधिक मामलों में शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो।

(चार) श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का ऐसा अधिकारी जो अंतर्गत सहायक श्रम /उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से अन्यून पदश्रेणी का न हो।

21. **धारा 93 की उपधारा (3) के अधीन दावे या समझौते के लिए आवेदन करने के लिए प्ररूप रीति और फीस एवं उपधारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे की समय–सीमा और कार्यवाही के आनुषंगिक की लागत –**

(1) परिचय – इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम अथवा नियमों के अधीन मामलों का निपटारा करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों द्वारा और ऐसे मामलों में पक्षकारों द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया इस भाग में निहित नियमों के अनुसार अधिनियमित की जाएगी।

(2) आवेदन – धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का कोई आवेदन के पास पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जा सकता है अथवा उसके पास प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है और इस प्रकार भेजा गया या प्रस्तुत किया गया आवेदन यदि सक्षम प्राधिकारी अन्यथा निर्देशित नहीं करता समुचित प्ररूप में दो प्रतियों में बनाया जाएगा, यदि कोई हो तो, और आवेदक द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में विहित रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा। (प्ररूप ईक्कीस, बत्तीस तथा तैंतीस देखिए)

(3) दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना – (एक) जब राहत के लिए आवेदन दस्तावेज पर आधारित हो तो दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(दो) कोई अन्य दस्तावेज जो कोई पक्षकार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहे पहली सुनवाई के दौरान अथवा पहले प्रस्तुत किया जाएगा।

(तीन) कोई दस्तावेज जिसे यथास्थिति उपनियम (1) अथवा उपनियम (2), में विनिर्दिष्ट समय पर या समय में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो वे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना पक्षकार के आवेदन की ओर से साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं होगा।

(चार) इस नियम में कुछ भी किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होता जो गवाह की प्रति–परीक्षण के प्रयोजन के लिए पेश किया गया हो या गवाह को उसकी याददाश्त ताजा करने के लिए दे दिया गया हो।

(4) गलत सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत आवेदन – (एक) आवेदन प्राप्त करने पर यदि सक्षम प्राधिकारी को यह लगता है कि यह किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को पेश किया जाना चाहिए था तो वह उस समय पर पेश होने व वापस करने की तारीख, वापस करने का कारण और उस सक्षम प्राधिकारी का नाम जिसकों यह भेजा जाना चाहिए, पृष्ठांकित कर आवेदक के वापस भेजेगा।

(दो) यदि वाद में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी को यह महसूस हो कि आवेदन किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए था तो वह उस सक्षम प्राधिकारी को यह आवेदन भेज देगा जो इसकी सुनवाई करने के लिए सशक्त है और आवेदक को (और विरोधी पक्षकार को) यदि उसने नियम 8 के अधीन आवेदन की एक प्रति प्राप्त कर ली है, तद्नुसार सूचित करेगा।

(तीन) वह सक्षम प्राधिकारी जिसको उपनियम (2) के अधीन आवेदन अन्तरित किया गया है कार्यवाहियां उसी प्रकार जारी रखेगा मानो पूर्व की कार्यवाहियां अथवा उनमें से कोई कार्यवाही उसके समक्ष की गई हो, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि पक्षकारों के हित पर तद्द्वारा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(5) आवेदक का परीक्षण – (एक) धारा 93 में निर्दिष्ट प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद सक्षम प्राधिकारी आवेदक की शपथ पर परीक्षण कर सकता है, अथवा आवेदन को इस निमित्त में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकता है और ऐसे अधिकारी को आवेदक की व उसके गवाहों की परीक्षण लेने का निर्देश दे सकता है और अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का निर्देश दे सकता है।

(दो) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी परीक्षण का सार उसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जैसा धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

(6) आवेदन का संक्षिप्त रूप में खारिज होना – (एक) सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर उपनियम 5 के अधीन आवेदक की किसी परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद आवेदन को, यदि वह उन कारणों की वजह से अभिलिखित किए जाएं इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उस पर कार्यवाही आगे करने के कोई पर्याप्त आधार नहीं हैं संक्षिप्त रूप में खारिज कर सकता है।

(दो) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की खारिजी आवेदक को उसी मामले के निपटारे के लिए नया आवेदन प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी।

(7) आवेदन में प्रारम्भिक जांच – यदि उपनियम (6) के अधीन किसी आवेदन को खारिज नहीं किया गया हो, तो सक्षम प्राधिकारी उन कारणों की वजह से जो अभिलिखित किये जायेंगे किसी अन्य पक्षकार को बुलाने से पहले आवेदक को आवेदन के समर्थन

में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है, और ऐसे साक्ष्य पर विचार करने के बाद यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय बनती है कि दावा की गई राहत के लिए मामला नहीं बनता तो वह ऐसा करने के लिए अपने कारणों के संक्षिप्त कथन के साथ आवेदन को खारिज कर सकेगा।

(8) **विरोधी पक्षकार को सूचना** – यदि सक्षम प्राधिकारी उपनियम 06 या उपनियम 07 के अधीन आवेदन खारिज नहीं करेगा, तो वह आवेदन की एक प्रति उस तारीख को सूचना सहित जिस तारीख को वह आवेदन का निस्तारण करेगा उस पक्षकार (यह इसके विरोधी पक्षकार के रूप में विनिर्दिष्ट है) के पास भेजेगा जिससे आवेदक राहत का दावा कर रहा है और पक्षकारों को इस तारीख पर किसी साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जो वे प्रस्तुत करना चाहें।

(9) **विरोधी पक्षकार की पेशी व परीक्षण – (एक)** विरोधी पक्षकार प्रथम सुनवाई के पहले या उस समय जैसी कि सक्षम प्राधिकारी अनुमति दे आवेदन में किए गए दावे से सम्बन्धित लिखित कथन दायर कर सकता है, और यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, तो लिखित कथन दायर करेगा और ऐसा कोई भी लिखित कथन अभिलेख का हिस्सा होगा।

(दो) यदि विरोधी पक्षकार दावे का विरोध करता है, तो सक्षम प्राधिकारी दावे पर उसकी परीक्षण लेने के लिए कार्यवाही कर सकता है, और यदि कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया है, तो कार्यवाही करेगा और परीक्षण के परिणाम को लेखबद्ध करेगा।

(10) **विवाद्यकों की विरचना– (एक)** किसी लिखित कथन और पक्षकारों की किसी परीक्षण के परिणाम पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि तथ्य अथवा विधि के किस प्रतिपादन पर पक्षकारों में मतभेद है और तदुपरान्त उन विवाद्यकों को विरचित व अभिलिखित करेगा जिस पर मामले का सही निर्णय निर्भर करता है।

(दो) विवाद्यकों अभिलेखित करने में, सक्षम प्राधिकारी उन विवाद्यकों जो उसकी राय में तथ्यों से की हैं और उन विवाद्यकों जो विधि बिन्दुओं से सम्बन्धित हैं में भेद करेगा।

(11) **तथ्यों के विवाद्यकों के विचारण के स्थगन की शक्ति जहाँ विधि विवाद्यक पैदा होते हों** – जहाँ एक ही मामले में तथ्य के विवाद्यक व विधि के विवाद्यक पैदा हों और की यह राय हो कि मामले का निपटारा केवल विधि के विवाद्यकों के आधार पर हो सकेगा तो वह उन विवाद्यकों का पहले विचारण करेगा और उस उद्देश्य के लिए, अगर वह उचित समझे, तथ्य के विवाद्यकों को तब तक स्थगित रख सकेगा जब तक कि विधि के विवाद्यकों का निर्धारण नहीं हो जाता।

(12) **डायरी** – सक्षम प्राधिकारी आवेदन पर की गई कार्यवाहियों की एक संक्षिप्त डायरी स्वंयर बनाए रखेगा।

(13) **निर्णय – (एक)** सक्षम प्राधिकारी आदेश पारित करने में संक्षिप्त रूप से निर्णय और विरचित विवाद्यकों के प्रत्येक विवाद्यक पर अपने निष्कर्ष को और अपने निष्कर्ष के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(दो) हस्ताक्षर करते समय व निर्णय पर तारीख डालते समय सक्षम प्राधिकारी अपने निर्णय को सुनायेगा, और उसके पश्चात् किसी आकस्मिक भूल अथवा लोप से उत्पन्न लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि को सुधारने से भिन्न निर्णय में कुछ भी जोड़ा या परिवर्तित नहीं किया जायेगा।

(14) **गवाहों को बुलाना** – यदि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा गवाहों को बुलाने के लिए आवेदन करता है तो सक्षम प्राधिकारी विहित खर्चो व फीस अदा होने पर ऐसे गवाहों को बुलाने के लिए सम्मन जारी करेगा। जब तक कि वह यह विचार करें कि उनकी उपस्थिति मामले के सही निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है।

(15) **स्थानीय निरीक्षण के लिए प्रवेश करने का अधिकार** – सक्षम प्राधिकारी जिसके समक्ष दुर्घटना द्वारा हुई क्षति से सम्बन्धित कोई कार्यवाही लम्बित हो, स्थानीय निरीक्षण करने के लिए अथवा कार्यवाहियों से सम्बन्धित सूचना देने वाले किसी व्यक्ति की परीक्षण करने के लिए उस स्थान में कभी भी प्रवेश कर सकता है जहाँ कर्मचारी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अथवा जहाँ साधारण तौर पर कर्मचारी कार्य करता था :

परंतु सक्षम प्राधिकारी नियोक्ता अथवा स्थापना के प्रबन्धंन के लिए उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी किसी व्यक्ति की अनुमति के सिवाय उस स्थापना के सामान्य कार्य समय के दौरान को छोड़कर किसी औद्योगिक स्थापना के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(16) **स्थानीय निरीक्षण के सम्बन्ध में प्रक्रिया – (एक)** यदि सक्षम प्राधिकारी उन परिस्थितियों की जिनमें दुर्घटना घटी की घटना–स्थल पर जांच करने की दृष्टि से स्थानीय निरीक्षण करने के लिए प्रस्ताव रखता है तो वह ऐसा निरीक्षण करने के अपने आशय की सूचना पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों को देगा, यदि उसकी राय मे मामले की आवश्यकता इस प्रकार के सूचना को असाध्य न बना दे।

(दो) ऐसी सूचना मौखिक या लिखित दी जा सकती है, और नियोक्ता के मामले में, उसे किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है जिस पर धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन दावे का सूचना तामील की जा सकती है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के किसी प्रतिनिधि को दी जा सकती है।

(तीन) स्थानीय निरीक्षण में कोई भी पक्षकार, अथवा किसी पक्षकार का प्रतिनिधि सक्षम प्राधिकारी के साथ हो सकेगा।

(चार) स्थानीय निरीक्षण करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी ज्ञापन में संक्षिप्त रूप से देखे गए तथ्यों को लिखेगा और उस किसी पक्षकार को दिखाएगा जो देखना चाहे, और विहित शुल्क के संदाय के बाद, उसकी प्रति किसी भी पक्षकार को देगा।

(पाँच) ज्ञापन अभिलेख का प्ररूप भाग होगा।

(17) **संक्षिप्त परीक्षण की शक्ति – (एक)** सक्षम प्राधिकारी उसके समक्ष लम्बित किसी मामले की औपचारिक सुनवाई के समय के सिवाय स्थानीय निरीक्षण के दौरान अथवा किसी भी समय किसी भी व्यक्ति का संक्षिप्त परीक्षण कर सकता है, जो ऐसे मामले से सम्बन्धित सूचना देने में समर्थ ज्ञात होता हो, चाहे ऐसा व्यक्ति मामले में गवाह के रूप मे पुकारा गया अथवा जाय या नहीं और चाहे कोई पक्षकार या सभी पक्षकार उपस्थित हो या न हों।

(दो) उपनियम (1) के अधीन परीक्षण लिए जाने वाले व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(तीन) उपनिययम (1) के अधीन जोच किए गए व्यक्तियों द्वारा किये गये कथन, यदि लिखे गये हों, कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं होंगे, न ही यहां इसके पश्चात् जैसा उपबंधित किया गया हो के सिवाय उनको अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा अथवा मामले में निर्णय पर पहुंचने के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा।

(चार) यदि कोई गवाह जिसकी उपनियम (1) के अधीन परीक्षण की गयी है साक्ष्य में कोई सारवान कथन करता है जो ऐसी परीक्षण में उसके द्वारा किए गए और लिखे गए कथन से विरोधात्मक हो तो सक्षम प्राधिकारी उसका ध्यान ऐसे कथन की ओर दिला सकता है और उस स्थिति में निर्देश दे सकता है कि गवाह की परीक्षण अथवा प्रति–परीक्षण लेने के प्रयोजन के लिए ऐसे कथन का सुसंगत भाग पक्षकारों को दे दिया जाएगा।

(पाँच) कोई कथन अथवा कथन का हिस्सा जो उपनियम (4) के अधीन पक्षकारों को दिया गया है अभिलेख में सम्मिलित किया जाएगा।

(छः) जहाँ कोई मामला पक्षकारों के मध्य करार द्वारा निपटा लिया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी भी कथन को अभिलेख में सम्मिलित कर सकेगा और किए गए करार को स्वीकार करने, अथवा करने से इनकार करने, को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजन के लिए ऐसे कथन का प्रयोग कर सकेगा।

(18) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने का करार – (एक) यदि कोई पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने की अपनी इच्छा लिखित रूप में करता है तो सक्षम प्राधिकारी इसकी जांच करेगा कि क्या पक्षकार निर्णय मानने का इच्छुक है।

(दो) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को मानने के लिए सहमत होगा तो उसके करार का तथ्य लिखित में अभिलिखित किया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(तीन) यदि अन्य पक्षकार सक्षम प्राधिकारी के नर्णय को मानने के लिए सहमत नहीं होगा, तो प्रथम पक्षकार भी निर्णय मानने के लिए बाध्यता के अधीन नहीं रहेगा।

(19) प्रक्रिया जहाँ धारा 85 (2) के अधीन क्षतिपूर्ति का दावा किया गया हो –

(एक) जहाँ विरोधी पक्षकार यह दावा करता है कि प्रतिकर उसके विरूद्ध वसूला गया तो वह धारा 85 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति का हकदार होगा, जो मामले का पक्षकार नहीं है तो आवेदन का प्रथम बार उत्तर देने के लिए बुलाए जाने पर वह विहित शुल्क के साथ ऐसी सूचना सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्ररूप– चौतीस के अधीन में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा।

(दो) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना तामील कराई गई है आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की इच्छा करता है, अथवा विरोधी पक्षकार के दावे की क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह मामले की सुनवाई के लिए नियत तारीख पर या किसी उस तारीख पर जब तक के लिए मामले को स्थगित किया गया है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि इस प्रकार वह प्रस्तुत होता है, तो कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार उसे प्राप्त होंगे, प्रस्तुत होने का व्यतिक्रम करने पर यह माना जाएगा कि विरोधी पक्षकार के विरूद्ध दिया गया कोई अधिनिर्णय उसे स्वीकार है और उससे वसूले गए किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने का उसका स्वयं का दायित्व स्वीकार है :

परंतु इस प्रकार सूचना तामील किया गया व्यक्ति वाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके प्रस्तुत न हो का पर्याप्त कारण था तो उपर्युक्त विरोधी पक्षकार को सूचना देने के बाद सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और इन नियमों और ऐसे निबंधनों के अधीन जैसा कि न्यायसंगत हो दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त कर सकेगा अथवा परिवर्तित कर सकेगा।

(तीन) यदि कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना तामील कराई गई है, चाहे वह आवेदक का प्रतिकर के दावे का अथवा विरोधी पक्षकार की क्षतिपूर्ति किए जाने के दावे का विरोध करने की इच्छा करे या न करे, दावा करता है कि ठेकेदार होते हुए वह स्वयं मालिक है और उस व्यक्ति द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार है जो उस ठेकेदार जिससे कर्मचारी प्रतिकर वसूली के सम्बन्ध में उसके विरोध में है तो वह उपनियम (1) के अधीन दिए गए सूचना में नियम दिनांक पर या पहले विहित शुल्क के साथ सक्षम प्राधिकारी को ऐसे दावे की एक सूचना देगा और सक्षम प्राधिकारी इस पर प्ररूप– पैंतीस में ऐसे व्यक्ति को सूचना जारी करेगा।

(चार) यदि कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन सूचना तामील किया गया है आवेदक के प्रतिकर के दावे का विरोध करने की अथवा उपनियम (3) के अधीन क्षतिपूर्ति किए जाने की इच्छा प्रकट करता है तो वह प्ररूप– पैंतीस में
तय की गई दिनांक पर या उस दिनांक पर जिसको मामला स्थगित किया गया है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होगा और यदि वह इस प्रकार प्रस्तुत हो जाता है तो उसे कार्यवाही के पक्षकार के सभी अधिकार प्राप्त होंगे और इस प्रकार प्रस्तुत होने के व्यक्तिक्रम में यह माना जाएगा कि मूल पक्षकार के विरोधी अथवा उस व्यक्ति के विरोधी जिसे उपनियम (1) के अधीन सूचना तामील कराया गया है दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार करता है और उस पक्षकार की क्षतिपूर्ति करने को स्वयं का दायित्व स्वीकार करता है जिसके विरूद्ध उससे वसूल किये जाने वाले किसी प्रतिकर के लिए अधिनिर्णय दिया गया है :

परंतु यदि कोई व्यक्ति जिसे इस प्रकार सूचना तामील करा दिया गया है बाद में प्रस्तुत होकर सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसे प्रस्तुत होने से पर्याप्त कारण ने रोका था तो अभिलेख पर दिए गए सभी पक्षकारों को सूचना देने के बाद, सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनेगा और ऐसे निबंधनों पर जो न्यायोचित हों इस नियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को अपास्त या परिवर्तित कर सकेगा।

(पाँच) उस किसी प्रक्रिया में जिसमें उपनियम (1) अथवा उपनियम (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सूचना तामील करा दी गई है, तो सक्षम प्राधिकारी, अगर वह प्रतिकर का अधिनिर्णय देता है, प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में निष्कर्ष को अपने निर्णय में अभिलिखित करेगा चाहे वह व्यक्ति किसी विरोधी पक्षकार को क्षतिपूर्ति करने का उत्तरदायी हो या नहीं और पक्षकार को यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट करेगा जिसकी क्षतिपूर्ति का वह उत्तरदायी है।

(20) **संसक्त मामलों में प्रक्रिया – (एक)** जहाँ एक ही दुर्घटना से उत्पन्न दो या दो से अधिक मामले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लम्बित हों और इसके अंतर्वलित कोई भी विवाद्यक दो या अधिक ऐसे मामलों में समान हो तो, जहाँ तक ऐसे विवाद्यकों में साक्ष्य का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों की सुनवाई साथ–साथ की जा सकती है।

(दो) जहाँ उपनियम (1) के अधीन कार्रवाई की जाती है तो उस समान विवाद्यक या विवाद्यकों के साक्ष्य का अभिलेखन एक मामले का अभिलेख अभिलिखित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी अन्य मामले के अभिलेख पर अपने हस्ताक्षर करके उसे प्रमाणित करेगा, उस विस्तार तक कि इस प्रकार अभिलेखित किया गया साक्ष्य ऐसे अन्य मामले में हो, और यह तथ्य कि ऐसे अन्य मामले के पक्षकारों को प्रस्तुत होने का अवसर मिला हो, और यदि वे उपस्थित रहे हों, तो गवाहों की प्रति–परीक्षण का अवसर मिला हो।

(21) **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के कतिपय उपबंधों का लागू होना –** अधिनियम या इन नियमों में अन्यथा उपबंधित होने के सिवाय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित उपबंध यथा वे उपबंध जो आदेश V, नियम 9 से 13 और 15 से 30, आदेश IX, XII, नियम 3 से 10, आदेश XVI, नियम 2 से 21, आदेश XVII, और आदेश XVIII, नियम 1 व 2 में निहित हैं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में लागू होंगे, जहाँ तक वे उन पर लागू हों :

परंतु कि ...

(क) उक्त उपबंधों के लागू होने को सुकर बनाने के उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकारी इन उपबंधों का कुछ ऐसे परिवर्तनों के साथ अर्थ लगा सकता है जो इनके सार को प्रभावित किए बगैर उसके समक्ष मामले के प्रति अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हो :

(ख) पर्याप्त कारणों की वजह से, सक्षम प्राधिकारी उपबंधों के अनुसार से भिन्न कार्यवाही कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है पक्षकारों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(22) **प्ररूपों के हस्ताक्षर के सम्बन्ध में उपबंध –** प्रतिकर की रसीद से भिन्न कोई अन्य प्ररूप जो इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना अपेक्षित है उसके निर्देशानुसार व उसकी ओर से इस उद्देश्य के लिए लिखित रूप में उसके द्वारा नियुक्त उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

(23) **आश्रितों में प्रतिकर का प्रभाजन करना –** नियम 08, 09 व 21 में निहित उपबंधों के सिवाय, इस भाग के उपबंध, जहाँ तक हो सके, मृत कर्मचारियों के आश्रितों में प्रतिकर के प्रभाजन से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों के मामले में लागू होंगे ।

(24) **स्थगन के कारण अभिलिखित होंगे** – यदि किसी आवेदन का निस्तारण एक ही सुनवाई में पूर्ण करना संभव नहीं पाता तो वह उन कारणों को अभिलिखित करेगा जो स्थगन को आवश्यक कर रहे हैं।

(25) **खर्चो के संदाय से छूट** – यदि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि गरीबी के कारण आवेदक विहित फीस अदा करने में असमर्थ है तो वह किसी फीस अथवा सभी फीसों से छुटकारा दे सकता है। यदि मामले का निर्णय आवेदक के पक्ष में हो जाता तो विहित फीस को जिसे माफ नहीं किया गया होता तो अदा करने के लिए देय होगी, मामले के खर्चे में जोड़ा जा सकता है और उस तरीके से वसूला जा सकता है जैसा सक्षम प्राधिकारी खर्चे सम्बन्धी अपने आदेश में निर्देशित करें।

22. धारा 93 की उपधारा (4) के तहत आवेदन के निपटान के लिए समय–सीमा और कार्यवाही के लिए आकस्मिक लागत–

मुआवजे से संबंधित मामलों के निपटान की समय सीमा .–

सक्षम प्राधिकारी संदर्भ की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर इस कोड के तहत मुआवजे से संबंधित मामले का निपटारा करेगा और कर्मचारी को उक्त अवधि के संबंध में निर्णय को अंतरण करेगा।

23. धारा 97 के अधीन ज्ञापन के अभिप्रमाणन की रीति –

आवेदक की परीक्षण – (1) धारा 93 में उल्लिखित प्रकृति का आवेदन प्राप्त करने के बाद आवेदक की शपथ परीक्षण ले सकता है, अथवा आवेदन को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास भेज सकता है और ऐसे अधिकारी को आवेदक की व उसके गवाहों की परीक्षण लेने का निर्देश दे सकता है और अभिलेख को सक्षम प्राधिकारी के पास भेजने का निर्देश दे सकता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन की गई किसी परीक्षण का सार उसी तरीके से अभिलिखित किया जाएगा जैसा धारा 97 में साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए उपबंध किया गया है।

अध्याय आठ

भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा और उपकर

24. धारा 101 के अधीन उपकर के विलंबित भुगतान के मामले में उपकर की राशि और ब्याज की दर का भुगतान करने की समय–सीमा – यदि कोई भी नियोक्ता संहिता की धारा 100 के अधीन देय उपकर की किसी भी राशि को, ऐसे समय के भीतर जो कि निर्धारण आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए या, निर्धारण आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर, जो भी पूर्वतर हो, भुगतान करने में असमर्थ रहता है, ऐसे नियोक्ता उस तारीख से ऐसा भुगतान

शोध्य था से ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान नहीं किए जाने तक की कालावधि में समाविष्ट प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए भुगतान किए जाने वाले उपकर की राशि पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

25. धारा 105 की उप–धारा (2) के अधीन अपील के लिए शुल्क –

ऐसे अपील, अन्य बातों के साथ–साथ, आधे प्रतिशत के समतुल्य एक गैर–वापसी योग्य शुल्क के साथ होगी, किन्तु जो यथास्थिति, विवाद या जुर्माने या दोनों की राशि के पच्चीस हजार रुपये की राशि से अनधिक हो, ऐसी अपील के अधीन राज्य सरकार के साइबर कोषालय में श्रम विभाग के मुख्य शीर्ष खाता 0230–01–800–में जमा की जाएगी।

अध्याय – नौ

असंगठित श्रमिक के अंतर्गत गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

अध्याय – दस

वित्त तथा लेखे

26. धारा 120 की उप धारा (1) के अधीन किसी चल या अचल संपति को अर्जित रखने, बेचने, करने, या अन्यथा किसी अंतरण के लिये शर्तें, उपधारा (2) के अधीन पूंजी निवेश, पुनःनिवेश या निवेश वसूल करने संबंधी निबंधन, उपधारा (3) के अधीन ऋण प्राप्त करने एवं ऐसे ऋणों की अदायगी हेतु उपायों के निबंधन तथा उप–धारा (4) के अधीन अधिकारियों एवं कर्मचारिवृंद या उसके किसी वर्ग के लाभ हेतु भविष्य या अन्य निधियों हेतु निबंधन :–

(1) मण्डल, यथाशक्य शीघ्र, इन नियमों के प्रवृत्त में आने के पश्चात् एक निधि का गठन करेगा, जो छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा निधि कहलाएगा तथा जो संहिता और इन नियमों के प्रावधानुसार संचालित होगा। निधि मण्डल में निहीत होगी और मण्डल द्वारा प्रशासित होगी।

(2) विनिवेश; निधि से संबंधित समस्त धन राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 20 के खण्ड (क) से (घ) में निर्दिष्ट प्रतिभूति में निवेशित किया जा सकेगा।

(3) धारा 120 की उपधारा (3) के अनुसार मण्डल राज्य सरकार से अग्रिम में ऋण/निधि प्राप्त कर सकेगा और उन्ही निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार वापस कर सकेगा।

(4) प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा संस्था राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ और ऐसे निबंधनों पर जैसे कि राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाएं, उसके अधिकारीयों तथा

कर्मचारीवृंद या उनके किसी वर्ग के लिए, ऐसी भविष्यनिधि या अन्य लाभ निधि जो वह ठीक समझे, का गठन कर सकेगा।

27. धारा 121 के अधीन अवसूलीय शोध्य को बट्टे खाते में रखने की शर्तें और तरीके –

(1) जहाँ राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का विचार है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड को देय अधिकार, उपकर, ब्याज और नुकसानी की राशि अवसूलनीय है, वहाँ सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल या उसके द्वारा इस बारे में प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उक्त राशि को बट्टे खाते में डालने को मंजूरी दे सकेगी : –

(एक) प्रतिष्ठान को पांच साल से अधिक समय से बंद कर दिया गया है और समस्त संभावित प्रयासों के बावजूद नियोक्ता का पता नहीं लगाया जा सकता है;

(दो) राज्य सामाजिक सुरक्षा मंछल द्वारा प्राप्त फैसले को व्यतिक्रमी नियोक्ता की पर्याप्त संपत्ति की कमी के कारण सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं किया जा सका; या

(तीन) निम्नलिखित द्वारा अंशदान का दावा पूर्ण रूप से नहीं किया गया है –

(क) दिवालियापन की स्थिति में कारखानों/प्रतिष्ठानों के मामले में परिसमापन में जाने की दशा में परिसमापक अधिकारी द्वारा, या

(ख) इकाई का राष्ट्रीयकरण या सरकार द्वारा लिये जाने की दशा में भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा।

अध्याय ग्यारह

प्राधिकार, मूल्यांकन, अनुपालन तथा वसूली

28. धारा 122 की उपधारा (6) के खंड (ड.) के अधीन निरीक्षक–सह–सुकरकर्ता की अन्य शक्तियां – निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता ऐसी शक्तियों का उपयोग कर सकेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाएं।

29. धारा 123 के खंड (क) के अधीन अभिलेखों और रजिस्टरों और अन्य विवरणों और ब्योरों के रखरखाव के लिए प्रारूप और तरीके, खंड (ख) के अधीन कर्मचारियों के कार्य स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने के तरीके और खंड (घ) के अधीन प्राधिकारी और अधिकारियों को विवरणियां दाखिल करने के तरीके और कालावधि –

(1) महिला कर्मचारियों का रजिस्टर – **(क)** प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता जिसमें महिलाएं कार्यरत हैं, वे प्ररूप– छत्तीस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या हार्ड कॉपी में महिला

कर्मचारियों के एक रजिस्टर को तैयार करेगा और संधारित करेगा और इसमें स्थापना की समस्त महिला कर्मचारियों की विशिष्टियां दर्ज होंगी।

इसके अलावा, यह हमेशा निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता के लिए अधिसूचित निरीक्षण योजना के अधीन निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ख) नियोक्ता महिला कर्मचारियों की ऐसी अन्य विशिष्टियां भी रजिस्टर में दर्ज करेगा जैसी कि संहिता के किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(2) **अभिलेख** – संहिता के अध्याय पांच के उपबंधों के अधीन रखे गए अभिलेख और उसके अधीन बने नियमों को उसकी तैयारी की तारीख से दो साल की कालावधि के लिए रक्षित किया जाएगा।

(3) **वार्षिक रिटर्न** – **(क)** वह नियोक्ता जिसके लिए संहिता के अध्याय पांच के उपबंध लागू होते हैं प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम दिन या इससे पूर्व छत्तसीगढ़ शासन के श्रम विभाग के वेब पोर्टल पर उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं (छत्तीसगढ़) नियम 2021 के नियम द्वारा विहित प्रपत्र में पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां की जानकारी देते हुए, एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड करेगा,

परंतु, निरीक्षण के दौरान, निरीक्षक–सह–सुविधाप्रदाता इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य रूप से संधारित किये जाने हेतु खातों, पुस्तकों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :– इस उप–नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति ''इलेक्ट्रॉनिक रूप'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 की 21) की धारा 2 के खंड (द) में वर्णित है।

(ख) यदि वह नियोक्ता जिस पर कोड लागू होता है, स्थापना को बेच देता है, त्याग देता है या काम करना बंद कर देता है, तब वह यथास्थिति, इस तरह की विक्रय या परित्याग की तारीख के एक महीने के भीतर या इस तरह से बंद किये जाने की तारीख के चार महीने के भीतर, राज्य शासन के श्रम विभाग के वेबपोर्टल पर खंड (क) से संदर्भित विहित प्ररूप में एकीकृत विवरणीय ऑनलाईन अपलोड करेगा जो कि पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तथा विक्रय, परित्याग या समाप्ति की तारीख के बीच की कालावधि के संबंध में होंगी।

अध्याय बारह

अपराध एवं शास्तियाँ

30. धारा 138 की उप–धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपराधों के शमन का तरीका तथा उप–धारा (4) के अधीन एक अपराध को शमन करने के लिये आवेदन करने का तरीका –

(1) धारा 138 की उप–धारा (1) के अधीन अपराधों के शमन के उद्देश्यों हेतु अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप अड़तीस में उन अपराधों के लिये इलैक्ट्रोनिक रूप में शमन सूचना जारी करेगा जो धारा 138 के अधीन शमनीय हैं।

(2) वह व्यक्ति जिसे इस प्रकार की सूचना दी गई है, प्ररूप अड़तीस के भाग तीन में इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन कर सकेगा तथा सूचना प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिक या किसी अन्य रूप से समस्त शमनीय राशि को जमा करवाएगा।

(3) प्रशमन अधिकारी, शमनीय राशि प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर प्ररूप– अड़तीस के भाग चार में ऐसे व्यक्ति को शमनीय प्रमाण–पत्र जारी करेगा, जिससे ऐसी राशि शमनीय सूचना की पुष्टि में प्राप्त हुई हो।

(4) यदि वह व्यक्ति जिसे सूचना भेजी गई है, विहित समय के भीतर शमनीय राशि जमा करने में असफल रहता है, तो सक्षम न्यायालय के समक्ष या उस अपराध के संबंध में, जिसमे ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध सूचना जारी की गई थी, अभियोजन संस्थित किया जाएगा।

(5) अभियोजन संस्थित करने के पश्चात समझौता – **(क)** न्यायालय संहिता की धारा 138 के अधीन एक शिकायत दायर करने के पश्चात् किसी भी समय किसी शमनीय अपराध का शमन कर सकेगा।

(ख) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320 के प्रावधान ऐसे समझौतों पर लागू होंगे।

अध्याय – तेरह

नियोजन सूचना और मॉनिटरी

31. धारा 139 की उप–धारा (2) के अधीन संबंधित कैरियर सेंटर को नियोक्ता द्वारा रिक्तियों को रिपोर्ट करने का तरीका तथा फार्म एवं विवरणी फाईल करना –

(1) कैरियर सेंटर को रिक्तियाँ प्रस्तुत करना :– **(क)** किसी भी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में यह संहिता लागू होने के पश्चात् उस राज्य या उस क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापना में नियोक्ता, उस स्थापना में किसी नियोजन में किसी रिक्ति को भरने से पूर्व कैरियर सेंटर को उस रिक्ति की रिपोर्ट करेगा या रिपोर्ट करने का कारण प्रेषित करेगा, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) निजी क्षेत्र के स्थापना में या निजी क्षेत्र में स्थापना की किसी श्रेणी या वर्ग से संबंधित प्रत्येक स्थापना में नियोक्ता उस स्थापना में किसी भी नियोजन में किसी रिक्तियों को भरने से पूर्व, उस तारीख से इस प्रकार के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को प्रेषित करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ग) राज्य सरकार नियोक्ताओं द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों की प्राप्ति हेतु एक तंत्र (डिजिटल सहित) उपलब्ध करवाएगी। कैरियर सेंटर जिसमें ये रिक्तियाँ प्रेषित की गई हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिये एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या उपलब्ध करवाएंगे तथा इसे तुंरत लिखित में, ई–मेल या डिजिटल या अन्य किसी प्रकार के मीडिया के माध्यम से सूचित करेंगे, किन्तु किसी भी दशा में रिक्तियों की रिपोर्टिंग प्राप्ति की तारीख से तीन दिन से अधिक नहीं होंगी।

स्पष्टीकरण : (1) "सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापना" से अभिप्रेत है, एक स्थापना जिसका स्वामित्व हक, नियंत्रण अथवा प्रबंधन निम्नलिखित के द्वारा होगा –

(एक) सरकार अथवा सरकार का कोई विभाग

(दो) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 की संख्या 18) की धारा 2 के खंड (45) में यथा परिभाषित कोई सरकारी कंपनी;

(तीन) किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई निगम (जिसमें सहकारी संस्था सम्मिलित है) या कोई स्वायत्त संगठन या कोई प्राधिकारी या कोई निकाय जिसका स्वामित्व, नियंत्रण या प्रंबंधन सरकार द्वारा किया जाता हो; और

(चार) कोई स्थानीय प्राधिकारी

(2) "निजी क्षेत्र में स्थापना" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी स्थापना, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना नहीं है तथा जिसमें सामान्यतः 20 या इससे अधिक कर्मचारी या ऐसी संख्या में कर्मचारी नियोजित हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

(3) राज्य सरकार जिसके पास स्वयं को कोई कैरियर सेंटर या पोर्टर नहीं है, उस क्षेत्र के स्थाना की रिक्तियों की रिपोर्टिंग अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार के डिजिटल पोर्टल या कैरियर सेंटर को की जा सकेगी।

(2) रिक्तियों का प्रकार और रिक्तियों की रिपोर्ट करने हेतु संबंधित कैरियर सेंटर –

(क) निम्नलिखित रिक्तियां, अर्थात –

(एक) स्थापनों में उत्पन्न होने वाली न्यूनतम वेतन या वेतन स्तर या दोनों की तकनीकी और वैज्ञानिक प्रकृति के पदों में, केन्द्र सरकार द्वारा

अधिसूचित ऐसी सभी रिक्तियां, जिनके संबंध में संहिता के अधीन केन्द्र सरकार ही समुचित सरकार है; और

(दो) उन रिक्तियों को जिसमें नियोक्ता उसकी स्थापना जहाँ वह स्थित है से राज्य व केन्द्र शासित प्रदेश के बाहर के कैरियर सेंटर को प्रचालित करने की अपेक्षा रखता है, वह ऐसे कैरियर सेंटर (केन्द्र) को रिपोर्ट करेगा जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(ख) उपर्युक्त उप–धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट रिक्तियों से भिन्न रिक्तियों को संबंधित कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जा चुकी हैं और जिनके लिए भर्ती राज्य या अन्तर–राज्य या अखिल भारतीय आधार पर की जानी है, को भी कैरियर सेंटर (केन्द्र) को रिपोर्ट किया जाएगा या अधिसूचना द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट डिजिटल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

(3) रिक्तियों की रिपोर्टिंग का तरीका व प्ररूप –

(क) रिक्तियों को लिखित रूप में अथवा वैध–कार्यालयीन ई–मेल के द्वारा अथवा डिजिटल रूप में, समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए कैरियर सेंटर को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख) प्ररूप–उनचालीस में दिए गए प्ररूप के अनुसार, प्रत्येक प्रकार की रिक्ति के संबंध में जितना भी व्यौरे व्यवहारिक रूप से संभव हो, पृथक रूप में देते हुए, रिक्तियों को रिपोर्ट किया जाएगा।

(ग) उप–नियम (3) के खंड (क) के अधीन कैरियर सेंटर को पहले ही प्रदान की जा चुकी विशिष्टियों में हुए बदलाव के बारे में, यथास्थिति, लिखित अथवा कार्यालयीन ई–मेल अथवा डिजिटल रूप से, विनिर्दिष्ट कैरियर सेंटर को रिपोर्ट किया जाएगा।

(4) रिक्तियों को रिपोर्ट करने की समय–सीमा –

(एक) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के प्रयोजन हेतु अथवा साक्षात्कार लिए जाने अथवा परीक्षण लिए जाने हेतु संभावित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(दो) रिक्तियां, जो कि कैरियर सेंटर (केन्द्र), को रिपोर्ट की जानी आवश्यक हैं, रिपोर्ट की गई रिक्तियों के लिए नियुक्ति के प्रयोजन हेतु अथवा साक्षात्कार लिए जाने

अथवा परीक्षण लिए जाने हेतु संभावित अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त होने की आखिरी तारीख से कम से कम चालीस दिन पहले रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(5) **अभिलेखों का संधारण – (क)** किसी राज्य या उसके क्षेत्र में इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात् उस राज्य अथवा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक स्थापना के नियोक्ता द्वारा मैनुअली या इलैक्ट्रानिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित अभिलेख संधारित किए जाएंगे –

(एक) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदा या नियत अवधि रोजगार)

(दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त व्यक्ति।

(तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक व्यौरे।

(चार) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे; और

(पांच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या।

(ख) समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा, अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ऐसी तारीख से अपेक्षा कर सकेगी कि निजी क्षेत्र में प्रत्येक स्थापना अथवा निजी क्षेत्र में किसी भी वर्ग अथवा श्रेणी के स्थापना से संबंधित प्रत्येक स्थापना का नियोक्ता हाथ से या इलैक्ट्रानिक रूप से या डिजिटल रूप से निम्नलिखित रिकार्ड संधारित करेगा :–

(एक) प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को कर्मचारियों की कुल संख्या (नियमित, संविदा या नियत अवधि रोज़गार)

(दो) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए व्यक्ति।

(तीन) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को अपने कर्मचारियों का व्यावसायिक ब्यौरे।

(चार) 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसी रिक्तियां जिनके लिए उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे; और

(पांच) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या।

(6) **विवरणियों को जमा करना –** प्ररूप– उन्चालीस में दिए गए अनुसार नियोक्ता प्ररूप– ई आई आर (रोज़गार सूचना रिटर्न) में वार्षिक विवरणियों को संबंधित कैरियर सेंटर क्षेत्रीय को प्रेषित करेगा। संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट नियत तारीख के तीस दिनों के भीतर अर्थात् वर्ष की 31 मार्च को वार्षिक विवरणियों को यथास्थिति, हाथ से या इलैक्ट्रॉनिक रूप से या डिजिटल रूप से, प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) **कार्यकारी अधिकारी की घोषणा – (क)** निदेशक, रोजगार या उसके समकक्ष अथवा उच्च श्रेणी का अधिकारी, जो संबंधित राज्य सरकार के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) का कार्य

नियंत्रित कर रहा हो, संहिता के अध्याय– आठ (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु प्रत्येक जिले में कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) के कार्य की देख–रेख के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित में एक अधिकारी को घोषित करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि संहिता की धारा 139 में संदर्भित अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा अथवा उन अधिकारों के प्रयोग और कर्तव्यों के निर्वहन हेतु लिखित में किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करेगा।

(ख) निदेशक, रोजगार या उसके समकक्ष अथवा उच्च श्रेणी का अधिकारी, जो रोजगार महानिदेशालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली का कार्य नियंत्रित कर रहा हो, संहिता के अध्याय– आठ (रोजगार सूचना और निगरानी) के प्रवर्तन/कार्यान्वयन के प्रयोजन हेतु कैरियर सेंटर (केन्द्रीय) के कार्य की देख–रेख के लिए "कार्यकारी अधिकारी" के रूप में लिखित में एक अधिकारी को घोषित करेगा। वह ऐसा अधिकारी होगा जो कि संहिता की धारा 139 में संदर्भित अधिकारों का प्रयोग करेगा और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(8) संहिता के अध्याय – आठ के अधीन शास्ति अद्हण – निदेशक, रोजगार या उसके समकक्ष अथवा उच्च श्रेणी का अधिकारी, जो कि संबंधित राज्य के कैरियर सेंटर (क्षेत्रीय) के कार्य को नियंत्रित कर रहा हो, संस्थान को अनुमोदित या संहिता के अधीन धारा 133 में यथा वर्णित किसी अपराध हेतु संस्थान पर शास्ति के उद्हण की मंजूरी देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।

(9) दिशा–निर्देशों को जारी करना – सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय – तेरह से संबंधित उपबंधों तथा उसके नियमों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर सकेगी जिनमें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संबंधित राज्य सरकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय– चौदह

प्रकीर्ण

32. धारा 141 की उप–धारा (5) के अधीन निधि के ऐसे अन्य स्त्रोत और प्रशासन तथा निधि का व्यय करने की रीति .–

(1) असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए गठित राज्य सरकार किसी सामाजिक सुरक्षा निधि के निम्निलिखित स्त्रोर होंगे जिसमें प्राप्त हुई राशि को जमा किया जाएगा :–

(एक) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित;

(दो) भागतः केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित और भागतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित;

(तीन) भागतः योजना के हिताधिकारियों या कर्मचारियों से संग्रहित अंश्दाय, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, अश्दाय से वित्तपोषित;

(चार) किसी अन्य स्त्रोत वित्तपोषित जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अर्थ के भीतर सामाजिक दायित्व निधि या अन्य ऐसा स्त्रोत जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए सम्मिलित है;

(पाँच) केन्द्र सरकार से प्राप्त कोई भी अनुदान या ऋण;

(छः) राज्य सरकार द्वारा बजट से वित्तपोषित निधि;

(सात) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य स्त्रोत :

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार से इसके द्वारा बनायी गयी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकेगी।

(2) योजना, हितग्राही के रूम में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकारों और उसके परिवार के लिए, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से असंगठित सामाजिक सुरक्षा मण्डल, द्वारा तैयार की जाएगी और निधि अधिसूचित योजना के अधीन उपयोग की जाएंगी।

33. धारा 143 की उप–धारा (1) के अधीन ऐसा समय जिसके भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड या निगम की, समुचित सरकार को अपना दृष्टिकोण अग्रेषित करेगा, उप–धारा (2) के अधीन ऐसा शर्तें जिनका यथास्थिति, छुट प्राप्त स्थापन या स्थापनों का वर्ग या कर्मचारी या कर्मचारियों का वर्ग ऐसी छुट के पष्चात् पालन करेंगे और उप–धारा (5) के अधीन न्यास के प्रबंध की शर्तें –

(1) राज्य मण्डल, संहिता की धारा 143 के अधीन छूट की मांग करने वाले आवेदन पर अपने विचार समुचित सरकार को छूट के लिए प्रस्ताव के प्राप्त होने के छह महीने के भीतर अग्रेषित करेगा। यदि राज्य मण्डल, उक्त कालावधि के भीतर अपने विचार प्रदान करने में असमर्थ रहता है, तो राज्य समुचित सरकार समय–सीमा का विस्तार कर सकेगी या छूट के आवेदन पर जैसा भी ठीक समझे, कार्रवाई कर सकेगी।

(2) संहिता के अध्याय – चार के उपबंध से छूट प्राप्त स्थापना –

(क) छूट दिए गए कर्मचारियों के संबंध में ऐसे अभिलेख संधारित करेगा और निगम को ऐसी विवरणियां और अन्य जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विनियमों में केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए; और

(ख) विलय, डीमर्जर, अधिग्रहण, विक्रय, समामेलन, सहायता रूपांतरण, चाहे पूर्ण स्वामित्व हो या नहीं, आदि के कारण ऐसे किसी स्थापना जिसे संहिता की धारा 143 के अधीन छूट दी गई है, की विधिक स्थिति में हुए परिवर्तन के मामले में, छूट को रद्द समझा जाएगा और छूट के लिए स्थापना को समुचित सरकार का नवीन आवेदन करना अपेक्षित होगा।

प्रारूप - एक

(नियम 7 का उप नियम 10 देखे)

कर्मचारी बीमा न्यायालय ..... के समक्ष

क, ख (वर्णन तथा निवास स्थान लिखिये) ..... आवेदक

विरुद्ध

ग, घ (वर्णन तथा निवास स्थान लिखिये) ....विरूद्ध पक्षकार को

नियम 13 में उल्लेखित की गई आवेदन-पत्र की अन्य विशिष्टियां -

दिनांक .....।

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन**)**

इस आवेदन पत्र में अन्तर्विष्ट तथ्य, कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

दिनांक .....

.....

हस्ताक्षर

प्रारूप – दो

(नियम 7 का उप नियम 11 देखे)

आवेदक के विरूद्ध पक्षकार शीर्षक द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों की सूची उदाहरणार्थ, वर्णन, विषय, न्यायालय का नाम क्रमांक आदि

क्रमांक	दस्तवेज का वर्णन	दिनांक यदि कोई है, जो दस्तावेजों में अंकित हो	पक्षकार या अधिवक्ता या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)

प्रारूप –तीन

(नियम 7 का उप नियम 12 देखे)

कार्यवाहियों का रिज़िस्टर

कर्मचारी बीमा न्यायालय .....कार्यवाहियों का रजिस्टर वर्ष.....20

आवेदक					विरूद्ध पक्षकार		
आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	कार्यवाहियों का क्रमांक	नाम	वर्णन	निवास स्थान	नाम	वर्णन	निवास स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8

दावा			उपसंजाति		
विशिष्टियाँ	मूल्य की रकम यदि कोई हो	बाद कारण कब उद्‌भूत हुआ	पक्षकारों के लिये उपसंजाति होने के लिए दिनांक	आवेदक	विरूद्ध पक्षकार
9	10	11	12	13	14

अंतिम आदेश			अपील	
दिनांक	किसके लिए	किस बात के लिये या रकम	अपील यदि कोई हो, विनिश्लय का दिनांक	अपील का निर्णय
15	16	17	18	19

निष्पादन			अन्य टिप्पणीयां		
आवेदन पत्र का दिनांक	किसके विरूद्ध	किस बात के लिए तथा धन राशि	खर्चे की रकम	..... में स्थित अन्य सिविल न्यायलयको अंतरित करने की आज्ञा की तारीख	यदि कोई हो
20	21	22	23	24	25

प्रारूप – चार

(नियम 7 का उपनियम 15 देखे)

कार्यवाही के निपटान के लिए समन (शीर्षक)

प्रति,

.....

(वर्णन तथा निवास स्थान)

चूँकि ..... ने आपके विरूद्ध ..... के लिए कार्यवाहियों संस्थित की हैं, अत : आपकों एतद्वारा समय किया जाता है कि आप दिनांक ..... के पूर्वान्ह/अपरान्ह में .....बजे या तो स्वयं या प्रधिकृत अभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक्रूपेण अनुदेशित हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान् प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूँकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अंन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अत :आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तवेजों को, जिन पर की आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अविलम्बित रहने का आशय रखते हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिये। आप सूचित हों पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक .....मास.....सन् .....20 को जारी किया गया।

न्यायालय

सूचना (1) **-** यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थिति तथा ऐसे किसी दस्तावेज की जिसके प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी से अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हों, प्रस्तुती बाध्य करने के लिए इस न्यायालय में समन न्यायालय को आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके जारी करवा सकते है।

(2)यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, तो आपकी डिक्री के, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरूद्ध पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्चे सहित धन न्यायालय को चुका देना चाहिये।

प्रारूप –पांच

(नियम 7 का उपनियम 15 देखे)

वाद पदों के विनिश्चयन के लिए समन

प्रति,

.....

(वर्णन तथा निवास स्थान)

चूँकि ..... ने आपके विरूद्ध ..... के लिए कार्यवाहियों संस्थित की हैं, अत : आपकों एतद्वारा समय किया जाता है कि आप दिनांक ..... सन् ..... 20 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में .....बजे या तो स्वयं या प्रधिकृत अभिकर्ता के मार्फत, जो सम्यक्रूपेण प्राधिकृत हो तथा मामले से सम्बन्धित समस्त सारवान् प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो या जिसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो समस्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने के योग्य हो, इस न्यायालय में दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात हो, और चूँकि आपकी उपसंजाति के लिए निश्चित किया गया दिन कार्यवाहियों के अंन्तिम निपटारे के लिए नियत किया गया है, अत :आपको उस दिन ऐसे समस्त साक्षियों को, जिनकी साक्ष्य पर तथा ऐसे समस्त दस्तवेजों को, जिन पर आप अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में अविलम्बित रहने का आशय रखते हों, प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप सूचित हों कि पूर्व वर्णित दिन को आपके उपसंजात होने में चूक होने पर मामला आपकी अनुपस्थिति में सुना जाकर अवधारित किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक ..... मास.....सन् .....20 को दिया गया।

न्यायालय

सूचना (1) **-** यदि आपको यह शंका हो कि आपके साक्षीगण स्वेच्छा से उपस्थित नहीं होंगे तो आप किसी साक्षी को उपस्थिति तथा ऐसे किसी दस्तावेज की जिसके प्रस्तुत करने के लिए किसी साक्षी से

अपेक्षा करने का आप अधिकार रखते हों, प्रस्तुती बाध्य करने के लिए इस न्यायालय में समन न्यायालय को आवेदन करके तथा आवश्यक व्यय जमा करके जारी करवा सकते है।

(2)यदि आप दावा स्वीकार करते हैं, तो आपकी डिक्री के, जो आपके स्वयं के या आपकी सम्पत्ति के या दोनों के विरूद्ध पारित की जा सकेगी, निष्पादन से बचने के लिए कार्यवाहियों के खर्चे सहित धन न्यायालय को चुका देना चाहिये।

प्रारूप – छः

(नियम 7 का उपनियम 23 देखे)

एक पक्षीय आदेश की अपास्त करने के लिए आवेदन-पत्र जिसका कि नाम ऊपर अंकित है, निम्नानुसार कथन करता है -

(आवेदन के आधार पर उल्लेखित किए जाने चाहिए)

दिनांक .....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक द्वारा सत्यापन)

आवेदन पत्र में अन्तर्दिष्ट तथ्य कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है।

दिनांक .....

स्थान ....

हस्ताक्षर

प्रारूप –सात

(नियम 7 का उपनियम 23 देखे)

(शीर्षक)

प्रति,

.....

.....

चूंकि: ऊपर उल्लिखित .....ने इस न्यायालय को आवेदन-पत्र दिया है कि सन् .....को पूर्वान्ह/अपराहन् में ..... बजे इस न्यायालय में या तो स्वयं या सम्यक्रूपेण अनुदेशित अधिवक्ता के मार्फत आवेदन-पत्र के विरूद्ध कारण बतलाने के लिए उपसंजात हो, ऐसा न करने प उक्त आवेदन-पत्र एक पक्षीय सुना जाकर अवधारित किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक ..... मास ..... सन् .....20को दिया गया।

न्यायालय

प्रारूप – आठ

(नियम 7 का उपनियम 24 देखे)

साक्षी को समन

(शीर्षक)

प्रति,

.....

.....

चूँकि ऊपर वर्णित कार्यवाहियों में .....की ओर से ..... के लिये आपकी उपस्थिति अपेक्षित है, अत :आपसे एतद्वारा अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक ..... सन्..... 20 के पूर्वान्ह/अपरान्ह में ..... बजे इस न्यायालय के समक्ष) स्वयं (उपसंजात हो और अपने साथ .....लायें) या ..... इस न्यायालय को भेजें(।

आपके यात्रा तथा अग्य खर्चे एवं एक दिन के निर्वाह भत्ते के लिये ..... रूपये की राशि इस न्यायालय में जमा की गई है, जिसकी देनगी आपको उस दिन की जायेगी जिसको कि आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आप विधिसंगत हेतुक बिना इस आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप व्यवहार

प्रक्रिया संहिता,) 1908 क्रमांक 5 (1908के आदेश 16 के नियम 12 में निर्धारित अनुपस्थिति के परिणामों के अधीन होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक ..... मास ..... सन् 20 ..... को दिया गया।

न्यायालय

सूचना (1) - यदि आपको केवल दस्तावेज पेश करने के लिये ही समन किया हो, साक्ष्य देने के लिये नहीं, तो आप ऐसा दस्तावेज पूर्वोक्त दिन को तथा समय पर इस न्यायालय में पेश कर दें, तो यह समझा जायेगा कि आपने समय का पालन किया है।

(2)यदि आप पूर्वोक्त दिन के परे रोके गये, तो आपको उल्लिखित किये गये दिनांक के परे प्रत्येक दिन उपस्थिति के लिये .....रूपये की राशि दी जायेगी।

प्रारूप – नौ

(नियम 7 का उपनियम 37 देखे)

मामले की डिक्री

शीर्षक

दावा वास्ते.....

यह मामला आज ..... के समक्ष आवेदक की ओर से ..... की तथा विरूद्ध पक्ष की ओर से ..... की उपस्थिति में अंतिम निपटारे के लिये प्रस्तुत होने पर, यह आदेश तथा डिक्री दी जाती है कि .....ओर यह कि इस वाद के खर्चेके मद्दे ..... द्वारा .....को रूपये ..... की राशि उस पर ..... प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष की दर से आज के दिनांक से वसूली के दिनांक तक के ब्याज सहित चुकाई जाये।

मेसे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन आज दिनांक ..... मास ..... सन् ..... 20को दी गई।

वाद के खर्चे

रू. न. पै.	रू. न. पै.
आवेदन पत्र के लिये मुद्रांक	मुख्तार नामा के लिये मुद्रांक .....
मुख्तार नामा के लिये मुद्रांक	लिखित कथन के लिये मुद्रांक .....
प्रदर्शी के लिये मुद्रांक	अधिवक्ता की फीस .....
अधिवक्ता की फीस	साक्षियों का निर्वाह व्यय .....
साक्षियों का निर्वाह भत्ता	समन तथा सूचनाओं की तामील .....
कमिश्नर की फीस	कमिश्नर की फीसस .....
समन तथा सूचनाओं को तामील	
योग	योग .....

प्रारूप –दस

(नियम 7 का उपनियम 39 देखे)

डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन पत्र

.....के न्यायालय में डिक्रीधारी एतद्वारा इसके नीचे उपवर्णित की गई डिक्री के निष्पादन के लिये आवेदन करता है।

कार्यवाहियों का क्रमांक	**पक्षकार/पक्षकारों के नाम**	**डिक्री का दिनांक**	**क्या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील की गई है**	**की गई देनगी या किया गया समायोजन यदि कोई हो**
1	2	3	4	5
1-11 सन् 1949 का III	क, ख, आवेदक विरूद्ध ग, घ वि. पक्षकार		नहीं	कोई नहीं

पूर्ववर्ती आवेदन पत्र यदि कोई हो, उसके दिनांक तथा परिणाम सहित	**डिक्री पर देय रकम ब्याज सहित या उसके द्वारा दिया गया कोई अन्य अनुतोष, किसी प्रति (काउन्टर) डिक्री की विशिष्टियों सहित**	**खर्चे की रकम यदि कोई हो जो प्रदान की गई हो**	**किसके विरूद्ध निष्पादन की जानी है वह प्रणाली जिसमें न्यायालय की सहायता अपेक्षित है**
6	7	8	9
आवेदन पत्र दिनांक 9 अप्रैल, सन् 1949 पर 72 रू. चार आने अभिलेखबद्ध किये गये	मूलधन रूपया 314-82 (आदेश के दिनांक से देनगी की जाने तक 6 रूपये प्रति सैकड़ा प्रतिवर्ष की दर से ब्याज)	डिक्री जैसी की हो रूपये, आना पा. प्रदान की गई हो बाद में किये गये खर्च	विरूद्ध पक्षकार ग, घ के विरूद्ध

(जब जंगम सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय चाहा जाये)
10
1. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ..... रूपये की रकम (मूल धनराशि पर देनगी के दिनांक तक ब्याज सहित) तथा इस निष्पादन को करने के खर्चे, विरूद्ध पक्षकार की,जंगम सम्पत्ति की, जो कि उपबंध सूची में दी गई है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा उगाही जाकर मुझे चुकाई जाये। (जब स्थावर सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय चाहा जाये) मैं प्रार्थना करता हूँ कि ..... रूपये की कुल रकम (मूल धनराशि पर देनगी के दिनांक तक ब्याज सहित) तथा इस निष्पादन को करने के खर्चे विरूद्ध पक्षकार की स्थावर सम्पत्ति की, जो कि इस आवेदन पत्र के अधोभाग अल्लिखित की गई है, कुर्की तथा विक्रय द्वारा उगाही जाकर मुझे चुकाई जाये।

मैं ..... घोषित करता हूँ कि इसमें वर्णित तथ्य मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सच एवं सही हैं।

दिनांक..... मास..... सन्..... 20

.....

हस्ताक्षर डिक्रीधारी

प्रारूप – ग्यारह

[(नियम 10 के उपनियम (1), (2), (3) और (4) देखें]

नामांकन/नया नामाकंन/ नामांकन में संशोधन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में.....

(यहां प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखे)

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखे) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है, एतद्द्वारा नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को / सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में अपनाए गए परिवार को.....(यहां तारीख लिखें) से निम्नलिखित इंगित तरीके से नामित करता/करती हूं और इसलिए नीचे उल्लेखित व्यक्ति (यों) को मेरी मृत्यु के उपरांत देय उपदान और साथ ही मेरी मृत्यु की स्थिति में मुझे क्रेडिट होने वाले उपदान की राशि जो मुझे देय हो गई है, या देय होने का भुगतान नहीं किया गया है और उक्त उपदान राशि को नामिति/यों को उनके नाम के आगे दर्शाये गए अनुपात में बांट दी जाने का निर्देश देता/देती हूं।

या

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी.....(यहां पूरा नाम लिखें) जिसका विवरण नीचे अभिव्यक्त किया गया है एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे द्वारा दिनांक.....को नामांकन भरा गया है तथा आपके दिनांक.....के सदर्भ संख्या.....के तहत रिकार्ड किए गए को निम्नानुसार संशोधित किया जाए-

*आनावश्यक भाग को काट दें।

2. मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूं कि उल्लेखित व्यक्ति (यों) सामजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरे परिवार का/के सदस्य (यें) हैं।

3. मैं एतद्द्वारा घोषाणा करता/करती हूं कि उक्त संहित की धारा 2 के खंड (33) के अर्थ में मेरा कोई परिवार इसके अतंर्गत नहीं है।

.4(क) मेरे पति /माता/माता-पिता/ मुझ पर निर्भर नहीं है ।

(ख) मेरे पति के पिता/माता/माता-पिता मेरे पति पर निर्भर नहीं है

.5मैंने उपरोक्त संहिता की धारा (2) के खंड (33) की शर्तों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी को दिनांक.....को दिए नोटिस के द्वारा अपने परिवार से अपने पति को अलग कर दिया है।

.6यह नामांकन मेरे पुराने नामांकन का निरस्त कर देगा।

नामितियों/

क्रम सं.	नामिति/यों का पूरा नाम एवं पता	कर्मचारी से संबंध	नामिति की आयु	उपदान साझा करने के लिए अनुपान
1. 2. 3.				

"एक परिवार" को अपनाने का तरीका

(यहां इस बात का विवरण दें कि एक परिवार को कैसे अपनाया गया था, अर्थात विवाह या माता-पिता द्वारा आश्रित होने या अन्य प्रक्रिया जैसे गोद लेना के माध्यम से)

विवरणी

.1कर्मचारी का पूरा नाम

.2लिंग

.3धर्म

.4क्या आप अविवाहित विधुर है / विधवा / विवाहित /

5. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां तैनात हैं

6. पदनाम के साथ टिकट या क्रमांक संख्या,यदि कोई हो

8. नियुक्ति की तारीख

9. स्थायी पताः

गांव..... थाना..... उप प्रभाग.....

डाकघर..... जिला..... राज्य.....

ईमेल आईडी..... मोबाइल संख्या.....

स्थानः

दिनांकः

कर्मचारी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

नियोक्त के द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नामांकत का विवरण सत्यपित किया गया है और इसे संस्थान में रिकार्ड कर लिया गया है।

नियोक्ता का संदर्भ संख्यायदि कोई हो ,

नियोक्ता के हस्ताक्षर प्रधिकृत अधिकारी का पदनाम/

संस्थान का नाम एवं पता या उसका रबर मोहर

दिनांक.....:

कर्मचारी के द्वारा पावती

मेरे द्वारा भरे गए और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए गए नामांकत प्रपत्र – XI की डुप्लीकेट कॉपी प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक.....:

कर्मचारी के हस्ताक्षर

प्रारूप – बारह

[(नियम 11 का उप नियम (1) देखें]

कर्मचारी/ नामिति/ कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा उपदान के लिए आवेदन

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा में,.....

(यहा प्रतिष्ठान का नाम या विवरण पूरे पते के साथ लिखे)

महोदय/ महोदया,

मैं, ...(कर्मचारी/नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम)/स्वर्गीय.....

(कर्मचारी का नाम)द्वारा नामित व्यक्ति का नाम/स्वर्गीय.....(कर्मचारी का नाम)कानूनी

उत्तराधिकारीके रूप में, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 की उप-धारा (1) के तहत हकदार हूं, उपदान के भुगतान के लिए आवेदन करता हूँ -

(क) मेरी अर्धवर्षिता /सेवानिवृत्ति / कम से कम पांच वर्ष की निरंतर सेवा के पूरे करने बाद त्यागपत्र /दुर्घटना के कारण कुल विकलांगता/ बीमारी के कारण कुल विकलांगता/..... तिथि से प्रभावी नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति पर या;

(ख) सेवा में रहते हुए उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/सेवा में..... वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दिनांक .....को अर्धवर्षिता/ दिनाकं.....से दुर्घटना या सेवा में रहते हुए में बीमारी के कारण उपर्युक्त कर्मचारी की कुल विकलांगता या;

(ग) सेवा में रहते हुए आपके प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कर्मचारी की मृत्यु/दिनांक.....को अर्धवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात बिना कोई नामांकन के..... वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात/ .....(तिथि) से सेवा में रहते हुए उक्त कर्मचारी की दुर्घटना या बीमारी द्वारा कुल विकलांगता ;

मेरी नियुक्ति से संबंधित आवश्यक विवरण निम्नानुसार है।

1. कर्मचारी का पूरा नाम, (यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

   क. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)

   ख. कर्मचारी का पूरा पता

   या

2. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी का नाम(यदि, किसी कर्मचारी द्वारा उपदान का दावा किया जाता है)

   क. कर्मचारी का नाम

   ख. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)

   ग. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी का कर्मचारी के साथ का संबंध

   घ. नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी पूरा पता

   ड. कर्मचारी की मृत्यु की तिथि और मृत्यु का प्रमाण

   च. रिकार्ड किए गएनामांकन की संदर्भ संख्या यदि उपलब्ध हो

3. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां अंतिम तैनाती थी -

4. कर्मचारी द्वारा धारित पद -

5. नियुक्ति की तारीख -

6. सेवा समाप्ति की तारीख और कारण -

7. मृत्यु की तारीख -

8. कर्मचारी की सेवा की कुल अवधि -

9. कर्मचारी द्वारा आहरित कुल अंतिम वेतन

10. कर्मचारी को देय कुल उपदान/ नामिति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दावा किए गए उपदान का भुगतान-

11. मेरे बैंक खाता संख्या..... में कृपया क्रास बैंक चेक/क्रडिट द्वारा भुगतान किया जाए।

भवदीय/ भवदीया

आवेदक कर्मचारी/ नामिति/ कानूनी उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान.

स्थान:

तारीख:

प्रारूप – तेरह

[(नियम 11 का उपिनयम (2) देखें]

उपदान के दावे का भुगतान/ खारिज किए जाने की सूचना

(जो शब्द लागू न हो काट दें)

सेवा

में,……

……

(आवेदित कर्मचारी / नामितकानूनी उत्तराधिकारी का नाम और पता)

आपको एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि

(क) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (ii) के तहत आवश्यकतानुसार, उक्त नियमों के तहत **फॉर्म-IV** में दिए गए आपके आवेदन पर इंगित उपदान के भुगतान के लिए आपका दावा उल्लिखित कारणों के कारण स्वीकार्य नहीं है:

कारण (यहां कारण स्पष्ट करें); या

(ख) *सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (2) के खंड (क) के उप-खंड (2) के तहत आवश्यकतानुसार, ... रुपये (रुपये.....) की राशि का आपको उपदान के रूप में भुगतान किया जाए/ आपके द्वारा .....पर.....की गई नामांकन की शर्तों में उपदान के भाग के रूप में और इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी.....के कानूनी उत्तराधिकारी रूप में किए गए नामांकन की शर्तों में आपके हिस्से के रूप में .....दिया गया तथा .....रिकोर्ड किया गया।

2. * आपके उपदान के भुगतान का क्रास चेक प्राप्त करने के लिए कृपया.....(स्थान स्पष्ट करें) को ……..(तारीख) पर ……..(समय) पर कॉल करें।

3. आपकी इच्छानुसार देय राशि आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या आपके बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा भेजी जाएगी।

4. केलक्यूलेशन का संक्षेप विवरण

(क) नियुक्ति की तारीख।

(ख) समाप्ति / अर्धवर्षिता / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु की तारीख।

(ग) संबंधित व्यक्ति की कुल सेवा अवधिः: .....वर्ष..... माह.

(घ) अंतिम आहरित वेतन:

(ड) नामांकन/ एक कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय स्वीकार्य उपदान का अनुपातः

(च) देय राशि:

** पैरा जो लागू न हो काट दें*

स्थान:

दिनांक:

नियोक्ता/ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिष्ठान का नाम या विवरण या उसकी रबर की मोहर

उपदान के अस्वीकार्य मामले में सक्षम अधिकारी को सूचना

प्रारूप – चौदह

[(नियम 11 का उपनियम (4) देखें]

सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकारी से समक्ष निर्देश के लिए आवेदन

आवेदन संख्या. दिनांक

(आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता)

तथा

(संबंधित नियोक्ता का पूर्ण पते के साथ पूरा नाम)

के मध्य

आवेदक उपरोक्त नियोक्ता का एक कर्मचारी उपरोक्त नियोक्ता के कर्मचारी स्वर्गीय.....के द्वारा नामांकित / उपरोक्त नियोक्ता का कर्मचारी और स्वर्गीय.....कानूनी उत्तराधिकारी है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 53 के तहत उपदान के भुगतान के लिए स्वयं हकदार है/उक्त कर्मचारी.....(तारीख) को

अर्धवर्षिता की आयु प्राप्त की / स्वयं की सेवानिवृत्ति /.....वर्ष की निरंतर सेवा..... (तारीख) पूरी होने पर उपर्युक्त कर्मचारी का त्यागपत्र / उसकी अपनी/ उपर्युक्त कर्मचारी की .....(तारीख) से दुर्घटना / बीमारी के कारण कुल विकलांगता / ..... तारीख को उपर्युक्त कर्मचारी कीमृत्यु।

2. आवेदक ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम ..... के तहत एक आवेदन.....को किया परंतु उपर्युक्त नियोक्ता ने इसे अस्वीकार्य कर दिया/..... नियम के उप नियम..... के .....खंड के तहत दिनांक..... को मुझे देय उपदान की कम राशि का उल्लेख करता है/ ..... नियम के उप नियम..... के .....खंड के तहत मेरे उपदान के भुगतान की पात्रता को निरस्त करते हुएदिनांक..... को एक नोट जारी किया है।

उक्त सूचना की एक डुप्लीकेट प्रति संलग्न है।

3. आवेदक ने माना है कि मामले पर कोई विवाद है (विवाद स्पष्ट करे).

4. आवेदक यहां अनुलग्नक में आवश्यक विवरण प्रस्तुत करता है और प्रार्थना करता है कि सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता को देय उपदान की राशि को निर्धारित करे और उपर्युक्त नियोक्ता को याचिकाकर्ता को उक्त भुगतान करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

5. आवेदक इस बात की घोषणा करता है कि अनुलग्नक में प्रस्तुत विवरण उसके ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

अनुबंध

1. आवेदक के पूरे नाम सहित पूरा पता :-

2. दावे का आधार (मृत्यु / अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / कर्मचारी की विकलांगता / नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)

3. कर्मचारी का पूरा नाम और पता

4. कर्मचारी की वैवाहिक स्थिति (अविवाहित / विवाहित / विधवा / विधुर)

5. नियोक्ता का नाम और पूरा पता

6. विभाग / शाखा / अनुभाग जहां कर्मचारी अंतिम बार कार्यरत था (यदि ज्ञात हो)

7. टिकट या क्रम संख्या सहित कर्मचारी द्वारा धारित पद, यदि कोई हो (यदि ज्ञात हो)

8. कर्मचारी की नियुक्ति की तारीख (यदि ज्ञात हो)

9. तारीख सहित कर्मचारी की सेवा समाप्ति का कारण (अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति / त्यागपत्र / विकलांगता / मृत्यु / नियत अवधि रोजगार के तहत संविदा अवधि की समाप्ति)

10. कर्मचारी द्वारा सेवा की कुल अवधि

11. कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन

12. यदि कर्मचारी मृत है, तो उसकी तिथि और कारण

13. कर्मचारी की मृत्यु के समर्थन में साक्ष्य / गवाह

14. यदि एक नामिति है, नियोक्ता के साथ नामांकन की संख्या और रिकार्ड की तारीख

15. कानूनी उत्तराधिकारी होने के समर्थन में साक्ष्य / गवाह, यदि उत्तराधिकारी है

16. कर्मचारी को देय कुल उपदान (यदि ज्ञात हो)

17. आवेदक को नामिति / कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में देय उपदान का प्रतिशत

18. आवेदक द्वारा दावा की गई उपदान की राशि

स्थान:

दिनांक: आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

प्रारूप – पंद्रह

[(नियम 11 का उपनियम 5 और 8 देखें]

सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए सूचना / समन

*(*जो शब्द लागू न हो काट दें*)*

सेवा

में,.....

.....

(नियोक्ता / आवेदक का नाम और पता)

जबकि श्री ..... आप के अधीन एक कर्मचारी / श्री ..... उपरोक्त उल्लेखित नियोक्ता के तहत एक कर्मचारी के नामिति(यों) / कानूनी उत्तराधिकारी(यों) हैं ने सामाजिक सुरक्षा (केंद्रीय) नियम, 2020 पर संहिता के नियम 35 के उप-नियम (4) के तहत एक आवेदन दायर किया है जो आरोपित करता है कि ----

(उक्त आवेदन की एक प्रति संलग्न है, यदि, समन जारी किया गया है तो आवेदन की प्रति की आवश्यकता नहीं है)

अब, इसलिए, आपको एतद्वारा आह्वान किया जाता है/ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष.....(स्थान) पर व्यक्तिगत रूप से या उस आवेदन से संबंधित सभी सामग्री सवालों के जवाब देने के उद्देश्य से इस संबंध में विधिवत रूप से अधिकृत किया गए किसी व्यक्ति के माध्यम से पेश होने के लिए ..... दिन ..... 20.....पर..... बजे पूर्वाह्न में /अपराह्न में/ समर्थन में/ आरोप के जवाब देने के लिए;तथा जैसा कि आपके उपस्थिति के लिए तय किए गए दिन को आवेदन के अंतिम निपटान के लिए नियुक्त किया जाता है, आपको उस दिन सभी गवाहों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए जिनके साक्ष्य, और उन दस्तावेजों पर जिन पर आप अपने आरोप / बचाव के समर्थन में देना चाहते हैं।

ध्यान दें कि पूर्व में उल्लिखित तारीख को आपकी अनुपस्थिति पर, आवेदन को खारिज / सुनवाई तथा आपकी अनुपस्थिति में निर्धारित की जाएगी।

जबकि सबूत देने के लिए आपकी उपस्थिति की आवश्यकता होती है / आपको इस सूची में दिए दस्तावेज पेश करने की आवश्यकता होती है, ... प्रपत्र..... के द्वारा उपदान के लिए दावे से उत्पन्न मामले में..... के पक्ष पर और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत आवेदन द्वारा इस प्राधिकारी को संदर्भित किया गया है, आपको एतद्वारा व्यक्तिगत रूप से इस प्राधिकारी के समक्ष ... .. दिन ..... 20... .. पर... ..... बजे पूर्वाह्न में /अपराह्न में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है और उक्त दस्तावेज जो (इस प्राधिकारी को आपके द्वारा भेजे जाने है) आपको अपने साथ लाने हैं।

दस्तावेजों की सूची-

1.

2.

3. आगे

20.....के .....इस दिन.....को मेरे द्वारा सुपर्द और सील की गई।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
के तहत सक्षम प्राधिकारी

नोट: 1. लागू नहीं होने वाले शब्दों और पैराग्राफों को काट दें.

2. जो हिस्सा लागू न होता हो उसे हटा दें।

3. समन डुप्लिकेट में जारी किया जाएगा। डुप्लिकेट पर हस्ताक्षर किया जाना है और निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित व्यक्तियों द्वारा लौटाया जाना है।

4. यदि समन केवल एक दस्तावेज तैयार करने के लिए जारी किया जाता है और सबूत नहीं दिया जाता है तो यह समन के लिए पर्याप्त अनुपालन होगायदि दस्तावेजों को उद्देश्य के लिए निर्धारित दिन और घंटे के लिए सक्षम , प्राधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है।

प्रारूप – सोलह

[नियम 11 का उपनियम (11) और (12) देखें]

सक्षम/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित उपदान संदाय हेतु नोटिस

(लागू न होने वाले शब्द हटा दिए जाएं)

सेवा में,

(नाम और नियोक्ता का पता)

1. जबकि स्वर्गीय..... जो आप के अधीन एक कर्मचारी थे उनके नामित(तों)/कानूनी उत्तराधिकारी(यों) श्री/श्रीमती/कुमारी .....ने मेरे समक्ष सामाजिक सुरक्षा पर संहिता, 2020 की धारा 56 के तहत एक आवेदन दायर किया था; अथवा

जबकि आपको दिनांक ..... को एक नोटिस दिया गया था जिसमें आपसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत उपदान के रूप में .....रुपये का भुगतान करने की अपेक्षा की गई थी।

2. और जबकि आवेदन पर आपकी उपस्थिति में सुनवाई दिनांक ..... की गई थी और सुनवाई के बाद पता चला कि उक्त / श्रीमती / कुमारी .... सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत उपदान के रूप में .....रुपये प्राप्त करने का हकदार है; अथवा

जबकि आप / आवेदक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में गए थे, जिन्होंने फैसला किया है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत रुपये..... की उपदान राशि का श्री / श्रीमती / कुमारी ..... को भुगतान किया जाए।

अत:, अब मैं आपको इसके लिए, इस नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर मुझे सूचित करते हुए श्री/श्रीमती/ कुमारी .....को ..... . रुपये का भुगतान करने का निर्देश देता हूं।

20 .....की .....तारीख को मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अंतर्गत प्रदान किया गया।

सक्षम प्राधिकारी

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अंतर्गत

प्रति:

1. आवेदक- उसे भुगतान प्राप्त करने के लिए नियोक्ता से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

2. अपीलीय प्राधिकारी, यदि लागू हो।

नोट --- (यदि लागू न हों तो पैराग्राफों को हटा दें)

प्रारूप – सत्रह

[(नियम 11 का उपनियम (13) देखे]

उपदान की वसूली के लिए आवेदन

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अध्याय V के लिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष

आवेदन संख्या दिनांक

(पूरे पते के साथ आवेदक का नाम)

तथा

(संबंधित नियोक्ता/न्यास/बीमाकर्ता का पता सहित पूरा नाम)

के बीच

1. आवेदक उपर्युक्त नियोक्ता का कर्मचारी है जो स्वर्गीय ..... का कानूनी प्रतिनिधि है जो उपर्युक्त नियोक्ता के एक कर्मचारी थे और आपने अपने नोटिस में उक्त नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा

(केंद्रीय) नियम, 2020 के तहत निर्देशित किया कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत नियम 35 के उप-नियम (11) या उप-नियम (12) के अंतर्गत देय उपदान के रूप में रूपये..... की राशि का भुगतान किया जाए।

2. आवेदक ने यह सूचित किया है कि हालांकि मैंने भुगतान के लिए उससे संपर्क किया था फिर भी उक्त नियोक्ता आपके द्वारा यथा निर्देशित उपदान राशि का भुगतान करने में विफल रहा है ।

3. आवेदक यह प्रार्थना करता है कि आपके निर्देश के अनुरूप उपदान के रूप में देय ..... राशि की वसूली के लिए संहिता की धारा 129 के तहत एक प्रमाण पत्र जारी किया जाए।

आवेदक के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान।

स्थान:

दिनांक:

नोट — लागू नहीं होने वाले शब्दों को हटा दें।

प्रारूप – अट्ठारह

[नियम 13 उपनियम (1) देखें)

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को शिकायत

सेवा,

निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता

(सामाजिक सुरक्षा, 2020 पर संहिता के तहत)

महोदय,

मैं ..... (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता).....में कार्यरत हूं अथवा मैं ..... (नाम) धारा 62 के तहत नामांकित एक व्यक्ति या..... (महिला का नाम) (नाम और स्थापना का पूरा पता)..... के एक कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नामित हूं, मैं सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एवं उसके अंतर्गत नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मातृत्व लाभ और मेडिकल बोनस के रूप में रुपये ..... पाने का हकदार हूँ और/अथवा धारा 65 के तहत छुट्टी अवधि के लिए वेतन के रूप में देय राशि को नियोक्ता द्वारा सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के इस अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसार अनुचित रूप से रोक दिया गया है/काम से उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसे हटा दिया गया है या बर्खास्त कर दिया गया है।

अत: आपसे अनुरोध किया जाता है कि नियोक्ता को मुझे राशि का भुगतान करने और नियोक्ता द्वारा कार्य से हटाने या बर्खास्तगी को समाप्त करने के लिए निर्देशित करें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि करने में सक्षम नहीं है

तो सत्यापक के

हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान

महिला/नामित/ कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रारूप – उन्नीस

अपील

[नियम 13 के उपनियम (2) देखें]

सेवा में,

प्राधिकारी,

(सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर के तहत नियुक्त)

..... (पता)

महोदय,

मैं.....अधोहस्ताक्षरी, (नाम और स्थापना का पूरा पता) ..... की महिला कर्मचारी हूं, मैं -

*धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश से निराश हूं जिसके कारण इसके साथ संलग्न हैं, धारा 68 की उप-धारा (2) के तहत आपके समक्ष यह अपील करना चाहती हूं और यह अनुरोध करती हूं कि उक्त नियोक्ता को मुझे देय उपर्युक्त राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए। इस संबंध में निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की एक प्रति संलग्न है; या

*श्री ..... निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को धारा 72 की उप-धारा (2) के तहत मातृत्व लाभ या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है ..... (राशि की प्रकृति) जिसे ..... (महिला का नाम) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय V के प्रावधानों के अनुसार हकदार होने/ कार्य से अनुपस्थिति के दौरान या कार्य के अभाव में मेरे द्वारा की गई बर्खास्तगी को रद्द करने के लिए निर्देशित किया गया है। (अनावश्यक भाग हटा दें)

मैं धारा 72 की उप-धारा (3) के तहत अपील करती हूं। ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के मद्देनजर और अन्य दस्तावेजों के साथ यह कहा जाता है कि महिला मातृत्व लाभ या उक्त राशि की हकदार नहीं है और इसलिए निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के आदेश की संलग्न प्रति को निरस्त किया जा सकता है।

* अनावश्यक भाग को हटा दें।

महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

दिनांक.....

यदि महिला/नामित/कानूनी प्रतिनिधि यदि हस्ताक्षर
करने हेतु सक्षम नहीं है तो सत्यापक का
हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान
महिला/नामित/ कानूनी प्रतिनिधि का पूरा पता

प्रारूप – बीस

(नियम 16 देखे)

दुर्घटना की सूचना पुस्तिका

[कर्मकार के द्वारा अथवा उसकी ओर से भरा जाना है]

दुर्घटना की तारीख तथा समय.....

सूचना की तारीख तथा समय .....

क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नाम .....

पता.....

क्षति का कारण.....

सूचना प्रदान करने वाले व्यक्ति का
हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान

[नियोजक अथवा उसके अभिकर्ता के द्वारा भरा जाना है]

पारिश्रमिक की दर .....

दुर्घटना का स्थान .....

क्षतियों की प्रकृति .....

चक्षुदर्शी साक्षियों का नाम .....

परिस्थितियों का उल्लेख .....

प्रारूप – इक्कीस

(नियम 18 का उपनियम (1) देखे)

मैंने यह सूचना प्राप्त किया है कि (1) .....आपके द्वारा नियोजित कर्मकार ..... की मृत्यु नियोजन के अनुक्रम से उद्‌भूत तथा मे दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, मैं एतद् द्वारा आप से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम,1923 की धारा 10-क के अनुसार इस सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर पैरा 1 एवं 2 में आवश्यक प्रविष्ठियों तथा या तो पैरा 3 या 4 में आवश्यक प्रविष्ठियों के साथ क्रमश: रूप में भरे हुए प्ररूप को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता हूं। यदि आप प्रतिकर संदत्त करने के दायित्व को स्वीकार कर लेते है, तब अधिनियम की धारा 10-क (2) के अधीन आवश्यक निक्षेप इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर किया जाना चाहिए।

.....

वास्ते कर्मकार

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – बाईस

(नियम 18 का उपनियम (2) देखे)

1. दिनांक 2.....0की आपकी सूचना....., जो मेरे द्वारा दिनांक ..... वर्ष .....20प्राप्त की गयी थी, के प्रत्युत्तर में यह तर्क किया जाता है कि

(1) नियोजित किया था ....., दिनांक हो को दुर्घटना ग्रस्त .....20 वर्ष ..... गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी दिनांक ..... 20 वर्ष. .....की मृत्यु हो गयी। मृतक का मासिक पारिश्रमिक रूपये की धनराशि है।.....

2. वे परिस्थितियां, जिनमें मृतक की मृत्यु हुई थी, निम्न प्रकार से थी -:

.....

.....

3. मैं मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर के रूप में रूपये करने के दायित्वसंदत्त ..... को स्वीकार करता हूं, जिसे दिनांक ..... 20 वर्ष .....के पहले आपके के पास जमा कर दिया गया थाकर दिया जाएगा। /

4. मैं निम्नलिखित आधारोंपर मृतक की मृत्यु के कारण प्रतिकर संदत्त करने दायित्व को नामंजूर करता हूं -

.....

.....

.....

.....

(1) कर्मकार का नाम अन्त पित कीजिए।स्था:

(2) प्रतिष्ठान का नाम अन्त पित कीजिए।स्था :

.....

नियोजक

प्रारूप – तईस

(नियम 19 का उपनियम (1) देखे)

करार का ज्ञापन

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि नियोजक से उत्पन्न और नियोजन के दौरान हुई दुर्घटना से ..... के निवासी ..... का दिनांक ..... 20 ..... के दिन ..... को व्यक्तिगत क्षति पहुंची और उक्त कर्मचारी की नि:शक्तता का कारण बनी जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि ..... महनो की अवधि के लिए उसकी पूर्व की/कोई किसी मजदूरी से अधिक नहीं अर्जित कर पायेगा। उक्त कर्मचारी अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है जो दिनांक ..... 20 ..... के दिन ..... से दिनांक .....20..... कि दिन ..... तक कुल .....रू. प्राप्त करता रहा।

उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी ..... रू. है। कर्मचारी दिनांक ..... को 15 वर्ष से अधिक आयु का है। यह पुन: प्रस्तुत है कि ..... उक्त कर्मचारी का नियोजक, उक्त दुर्घटना से उत्पन्न अस्थायी प्रकृति की सभी नि:शक्तता के बाबत सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत सभी दावों के पूर्ण निपटारे में चाहे सभी या बाद में प्रकट किया जाए , रू. ..... की राशि को उक्त कर्मचारी का नियोजक अदा करने व उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को राजी हो गये हैं। अत: निवेदन है कि ज्ञापन सम्यक रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक .....20..... नियोजक के हस्ताक्षर .....

गवाह .....

कर्मचारी के हस्ताक्षर .....

गवाह .....

नोट - करार के पंजीकरण का आवेदन किसी एक पक्ष के हस्ताक्षर से पेश किया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो, परंतु जहां संभव हो दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

रसीद

(उस समय भरी जाए जब वास्तव में अदा किया जाए)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने आज .....को ..... रू. प्राप्त किए हैं,

राजस्व स्टाम्प

दिनांक .....20..... .....

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

नोट - यह प्रारूप वाद विशेष वर्गो के अनुकूल करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है उदाहरण के तौर पर, उपजीविका अन्य रोगों से क्षति जब कर्मचारी वैध नि:शक्तता के अंतर्गत हो, इत्यादि।

प्रारूप – चौबीस

(नियम 19 का उपनियम (1) देखे)

करार का ज्ञापन

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक ..... 20 ..... के दिन ..... को ..... में अपने नियोजन से और के दौरान उत्पन्न दुर्घटना से ..... निवासी ..... को व्यक्तिगत क्षति पहुंची।

उक्त क्षतियुक्त कर्मचारी की निम्नलिखित प्रकृति की स्थायी नि:शक्तता का कारण बनी, यथा उक्त कर्मचारी की मासिक मजदूरी ..... रू. आंकी गई है।

उक्त कर्मचारी 15 वर्ष की आयु से अधिक है/दिनांक ..... को 15 वर्ष की आयु का होगा।

दिनांक ..... को .....रू. दिनांक ..... को .....रू.

यह पुन: प्रस्तुत किया जाता है कि उपर्युक्त नि:शक्तता के संबंध में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के तहत सभी दावों के पूर्ण निपटारे में ..... रू. की राशि उक्त कर्मचारी का नियोजक ..... अदा करने व उक्त कर्मचारी स्वीकार करने को सहमत हो गये है और भी नि:शक्तताएं प्रकट हैं। अत: यह निवेदन है कि ज्ञापन सम्यक् रूप से अभिलिखित किया जाए।

दिनांक ..... 20..... नियोजक के हस्ताक्षर .....

गवाह .....

कर्मचारी के हस्ताक्षर .....

गवाह .....

नोट - करार को रजिस्टर कराने के लिए पक पक्ष द्वारा आवेदन दिया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो। परंतु दोनों के हस्ताक्षर जब संभव हो संलग्न हों।

रसीद

(उस समय भरी जाए जब वास्तव में अदा किया जाए)

उपर्युक्त करार के अनुसार मैंने दिनांक ..... को .....रू. प्राप्त लिए हैं,

राजस्व स्टाम्प

दिनांक ..... 20 .....

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और रसीद मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित हुई है।

.....

गवाह

नोट - विशेष मामलों, उदाहरण के लिए, जब कर्मचारी वैध निशक्तता के अंतर्गत के समय उपजीविका-जन्य रोग करार, इत्यादि से क्षति, से अनुकूल करने के लिए इस प्ररूप को परिवर्तित किया जा सकता है।

प्रारूप – पच्चीस

(नियम 19 का उपनियम (1) देखे)

करार का ज्ञापन

एतद् द्वारा प्रस्तुत है कि और नियोजन के दौरानन्नमें नियोजन से उत्प.....
दुर्घटना द्वारा ..... को दिनांक..... पर रहने वाले.....
..... 20को व्यक्तिगत क्षति पहुंची। उक्त क्षति उक्त कर्मचारी की अस्थायी निता का कारण शक्त: करता है।मासिक प्राप्त .रू..... बनी जो वर्तमान में

है। कर्मचारी .रू..... कर्मचारी की मासिक मजदूरी दुर्घटना से पूर्वउक्त ता के अधीन है।शक्त:की वजह से वैध नि .....

शक:यी नि अस्थात है कि उक्तप्रस्तु :पुन्ता काल के लिए की .रू .....
अदा करने को ..... दर से अर्द्ध मासिक संदाय को कर्मचारी का नियोजक और
कर्मचारी की ओर से कार करने को सहमस्वी .....त हो गये हैं। यह करार उस

शर्त के अधीन है कि अर्द्ध कर्मचारी की उपार्जन में ता के दौरान उक्तशक्त:मासिक संदाय की राशि नि- : अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह पुनपरिवर्तन की वजह से उक्त अधिनियम की धाअनुबंधित किया जाता है कि उक्तरा तहत लघुकरण के सभी अधिकार करार द्वारा के 7 क् रूप से अभिलिखित किया जाए।निवेदन है कि ज्ञापन सम्य :अप्रभावित है। अत

दिनांक ..... क्षरनियोजक के हस्ता .....20.....

गवाह .....

कर्मचारी के हस्ताक्षर.....

गवाह .....

नोट –करार को रजिस्टर करने का आवेदन एक पक्ष द्वारा हस्ताक्षरित करके दिया जा सकता है बशर्ते अन्य पक्ष निबंधनों से सहमत हो। परंतु यदि संभव हो, दोनो के हस्ताक्षर संलग्न हों।

रसीद

(व में अदा कर किया जाएतब भरी जाए जब वास्त)

उपर्यक्त करार के अनुसार, मैंने आज कर ली है।की राशि प्राप्त .रू.....

राजस्व स्टाम्प

दिनांक ....20.....

कर्मचारी

धन अदा कर दिया गया है और इस रसीद पर हस्ताक्षर मेरे सामने हुए हैं।

.....

गवाह

नोट - यह प्रारूप वाद विशेष मामलों में जैसे उपजीविका रोग के द्वारा क्षतिअन्य -, कर्मचारी के वैध निता में होने पर समझौताशक्त:, इत्यादि परिवर्तित किया जा सकता हैं।

प्रारूप – छब्बीस

(नियम 19 का उपनियम (2) (i) देखे)

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिकर अदा करने का करार और.....

के दृष्टिगोचर कि हुआ कहा गया है और इस तथ्यके मध्य .....

ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम....., के तहत करार के 28 की धारा 1923

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर दिया है अत करार पर दिनांकएतद् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त : करार के प्रति कोई भी एतराज उसी को विचार किया जाएगा और यह कि उक्त ..... 20..... तारीख को उठाये जाएं। वैध एतराजोें के अभाव मे मैं करार के रजिस्ट्रेशन के लिए कार्यवाही करने के लिए आशयित हूँ।

.....20..... दिनांक.

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – सत्ताईस

(नियम 19 का उपनियम (2) एवं (3) देखे)

सूचना दी जाती है कि दिनांक को आपके.....20 ..... प्रतिकर अदा करने के लिए हुए करारके मध्य ..... व.....का रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया है, यथा :

दिनांक ..... 20.....

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – अट्ठाईस

(नियम 19 का उपनियम (3) देखे)

इस तथ्य के दृष्टिगोचर कि के मध्य.....और .....

प्रतिकर अदा करने का एक करार हुआ कहा जाता है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि .....

ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,शन के लिए आवेदन किया हैके तहत करार के रजिस्ट्रे 28 की धारा 1923 ,

और इस तथ्य को दृष्टिगोचर करते हुए कि यह मुझे मालूम पड़ता है कि उक्त करार निम्नलिखित कारणों से रजिस्टर नहीं होना चाहिए, यथा :

को आपको यह कारण बताने के लिए अवसर..... दिनांकदिया जाएगा कि उक्त करार रजिस्टर क्यों होना चाहिए। अगर उस तारीख को कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया गया करार का रजिस्ट्रेशन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

.....20..... दिनांक

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – उन्तीस

(नियम 19 का उपनियम (3) देखे)

इस तथ्य की वजह से कि ..... और .....के मध्य प्रतिकर अदा करने के लिए एक करार हुआ कहा जाता है और इस तथ्य की वजह से कि ..... ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम,शन के लिए आवेदन कर दिया के तहत करार के रजिस्ट्रे 28 की धारा 1923 लिखित कारणों की वजह से करार निम्न की वजह से ही मुझे मालूम पड़ता है कि उक्ततथ्य है और इस :र नहीं किया जाना चाहिए यथारजिस्ट

.....

.....को कारण बताने के लिए उक्त.....20..... दिनांक

को अवसर दिया जाएगा कि उक्त करार रजिस्टर क्यों किया जाना चाहिए। कोई प्रतिनिधित्व जो आपको उक्त करार के सम्बन्ध में करना हो उसी तारीख को किया जाए। यदि उस समय उचित कारण दर्शाया गया गया तो करार को रजिस्टर किया जा सकेगा।

.....20..... दिनांक

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – तीस

(नियम 19 का उपनियम 5 देखे)

वर्ष .....20 के लिए करारों का रजिस्टर

क्रम सं .	करार की तारीख	रजिस्ट्रेशन की तारीख	नियोजक	कर्मकार	सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर	रजिस्टर परिशोधनकारी आदेशों का निर्देश

प्रारूप – एक्तीस

(नियम 22 का उपनियम (2) देखे)

कर्मचारी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,

.....

.....

.....निवास स्थान .....आवेदक,

बनाम

.....निवास स्थान .....विरोधी पक्ष,

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) दिनांक .....20.....के .....दिन विरोधी पक्ष (के ठेकेदार) द्वारा नियुक्त कर्मचारी.....को रोजगार से व रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई जो दिनांक .....20.....के दिन.....को

क्षति का कारण यह था (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....

(2) आवेदक को निम्नलिखित क्षतियां कारित हुई .....

(3) मृतक की मासिक मजदूरी.....रूपये थी। मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक/कम था।

(4) (क) दुर्घटना का नोटिस दिनांक .....20..... के दिन .....को तामील कराया गया।

(ख) नोटिस जहां तक हो सका उतना शीघ्र तामील कराई गई।

(ग) दुर्घटना का नोटिस .....की वजह से (सही समय पर) तामिल नहीं कराई गई ।

(5) आवेदक तद्नुसार प्रप्ति का हकदार है:

(क) दिनांक .....20.....से दिनांक .....20.....तक का अर्द्ध वार्षिक भुगतान

(ख) .....रूपये की एक मुश्त राशि .....

(6) आवेदक ने करार द्वारा निपटान करने हेतु निम्न कदम उठाए .....परन्तु यह विवादित प्रश्नों का निपटान करने में असफल साबित हुआ क्योंकि .....

अतः आपसे निवेदन है कि निम्न विवादित प्रश्न का निपटारा करें:

(क) क्या आवेदक अधिनियम के अधीन एक कर्मचारी है:

(ख) क्या दुर्घटना नियोजन के दौरान अनुक्रम में घटित हुई

(ग) क्या क्षतिपूर्ति की राशि, या राशि का कोई भाग बकाया है:

(घ) क्या विपक्षी पक्षकार क्षतिपूर्ति जैसा बकाया है, के भुगतान हेतु दायी है:

(ड.) आदि, आदि (अपेक्षानुसार)

दिनांक .....20.....

.....

आवेदक,

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

प्रारूप – बत्तीस

(नियम 22 का उपनियम (2) देखे)

कर्मचारी द्वारा प्रतिकर के लिए आवेदन

(कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त)

.....

.....निवास

स्थान.....आवेदक,

बनाम

.....निवास स्थान.....विरोधी पक्ष,

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि:-

(1) दिनांक .....20.....के .....दिन विरोधी पक्ष (के ठेकेदार) द्वारा नियुक्त कर्मचारी.....को रोजगार से व रोजगार के दौरान उत्पन्न दुर्घटना द्वारा व्यक्तिगत क्षति हुई जो दिनांक .....20.....के दिन.....को उसकी मृत्यु का कारण बनी। क्षति का कारण यह था (साधारण भाषा में क्षति का संक्षिप्त कारण दें).....

(2) उसके ..... नाते आवेदक मूल कर्मचारी का /के आश्रित है/हैं।

(3) मृतक की मासिक मजदूरी .....रूपये थी।

मृतक अपनी मृत्यु के समय 15 वर्ष से अधिक/कम था।

(4) (क) दुर्घटना का नोटिस दिनांक .....20..... के दिन .....को तामील कराया गया।

(ख) नोटिस जहाँ तक हो सका उतना शीघ्र तामील कराई गई ।

(ग) दुर्घटना की नोटिस .....की वजह से (सही समय पर)

तामील नहीं कराई गई।

(5) अपनी मृत्यु से पूर्व मृतक ने कुल ..... रू0 प्रतिकर के रूप में प्राप्त किए।

प्रार्थी तद्नुसार .....रू. की एक मुश्त राशि प्राप्त करने का हकदार है।

इसलिए आपके निवेदन किया जाता है कि आवेदक को उक्त प्रतिकर अथवा कोई अन्य प्रतिकर जिसका कि वह हकदार हो अधिनिर्णीत करें।

दिनांक .....20.....

.....

आवेदक,

(जो लागू न हो उसे काट दें।)

प्रारूप – तैंतीस

(नियम 22 का उपनियम (2) देखे)

सारांशीकरण के लिए आवेदन

सेवा में,

कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त,

.....

.....

..... निवास स्थान .....आवेदक,

बनाम

..... निवास स्थान .... विरोधी पक्ष

एतद्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि .....

(1) आवेदक/विरोधी पक्ष नियोजन से व नियोजन के दौरान से उत्पन्न दुर्घटना से हुई अस्थायी नि:शक्तता के लिए बाबत दिनांक ..... से ..... तक अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करता रहा है।

(2) आवेदक इच्छुक है कि अर्द्ध-मासिक संदायों के प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर दिया जाए।

(3) (क) विरोधी पक्ष अर्द्ध मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार के मोचन से सहमत नहीं है।

(ख) पक्षकार उस राशि के सम्बन्ध में जिसके लिए अर्द्ध-मासिक संदाय प्राप्त करने के अधिकार को मोचित कर दिया जाए सहमत होने से असमर्थ रहे हैं।

अत: आपसे निवेदन है कि-

(क) यह निर्देश हुए कि अर्द्ध मासिक संदाय प्राप्त करने का अधिकार मोचित कर दिया जाए ;

(ख) अर्द्ध मासिक संदाय को प्राप्त करने के अधिकार के मोचन के लिए राशि तय करने के लिए आदेश पारित करें।

दिनांक .....20.....

.....

आवेदक

प्रारूप – चौतीस

(नियम 22 का उपनियम (19) देखे)

नोटिस

आवेदक ..... के द्वारा ..... के विरूद्ध प्रतिकर को दावा किया गया है और उक्त ..... ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 85 (2) के तहत किसी प्रतिकर के तहत किसी प्रतिकर के विरूद्ध उसको क्षतिपूर्ति करने के दायी हैं जो वह उपर्युक्त दावे को अदा करने के लिए दायी है, आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक ..... 20 ..... को मेरे समक्ष पेश हो सकते हैं और उकत आवेदक द्वारा किये गये प्रतिकर के दावे अथवा विरोधी पक्ष द्वारा किये गये क्षतिपूर्ति के दावे का विरोध करें। आपके पेश न होने के व्यतिक्रम में ऐसा माना जाएगा कि आप विरोधी पक्ष के विरूद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय को और उससे वसूले गये किसी प्रतिकर के लिए विरोधी पक्ष की क्षतिपूर्ति के लिए आप अपना दायित्व स्वीकार करते है।

दिनांक .....20.....

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – पैंतीस

(नियम 22 का उपनियम (19) देखे)

नोटिस

जबकि ..... के विरूद्ध आवेदक ..... के द्वारा प्रतिकर का दावा किया गया है और उक्त ..... ने यह दावा किया है कि आप सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 85 (2) के तहत उसको उस किसी प्रतिकर को क्षतिपूर्ति करने के दायी हैं जो वह उपर्युक्त दावे के बाबत अदा करने का दायी होता, और जबकि उक्त ..... ने नोटिस तामील हो जाने पर यह दावा किया है कि आप ..... ठेकेदार के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध हैं जिसमें आवेदक ..... प्रतिकर वसूल लेता, आपको एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आप दिनांक .....20..... को मेरे समक्ष पेश हो और उक्त आवेदक के द्वारा किये गये दावे अथवा विरोधी पक्ष ..... द्वारा किये गये क्षतिपूर्ति के दावे को विरोध करें। आपको पेश होने के व्यतिक्रम में यह माना जाएगा कि आप विरोधी पक्ष ..... से वसूले गये किसी प्रतिकर के लिए उसके विरूद्ध दिए गए किसी अधिनिर्णय की विधिमान्यता को स्वीकार करते है।

दिनांक .....20.....

.....

सक्षम प्राधिकारी

प्रारूप – छत्तीस

(नियम 29 का उपनियम (1) देखे)

महिला कर्मचारियों का रजिस्टर

प्रतिष्ठान का नाम

1. क्रम संख्या

2. महिला का नाम और उनके पिता (या, यदि विवाहित हैं तो पति) का नाम

3. नियुक्ति की तारीख

4. कार्य की प्रकृति

5. महीने और वर्ष के साथ तारीख जबसे वह नियोजित हैं, नौकरी से निकाली गई हैं और नियोजित नहीं हैं।

महिना	नियोजित दिनों की संख्या	नौकरी से निकाले गए दिनों की संख्या	नियोजित नहीं किए गए दिनों की संख्या	टिप्पणी
क	ख	ग	घ	ङ

6. महिला द्वारा धारा 62 के अंतर्गत नोटिस दिए जाने की तारीख।

7. सेवा मुक्त/ बर्खास्तगी, यदि कोई हो, की तिथि।

8. धारा 62 के अंतर्गत प्रसव के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

9. शिशु के जन्म की तिथि।

10. प्रसव/ गर्भपात/ गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति/ ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन/ बच्चे की मृत्यु/ गोद लेने के प्रमाण प्रस्तुत करने की तिथि।

11. धारा 65 में संदर्भित रुग्णता प्रमाण प्रस्तुत करने की तारीख।

12. संभावित प्रसव से पहले अग्रिम भुगतान किए गए मातृत्व लाभ की राशि सहित भुगतान की तिथि।

13. तिथि सहित प्रसूति लाभ के अनुवर्ती भुगतान की राशि।

14. धारा 64 के अंतर्गत तिथि सहित बोनस की राशि, यदि भुगतान की गई हो।

15. धारा 65(1) और 65(3) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि।

16. धारा 65(2) के अंतर्गत तिथि सहित अवकाश के समय भुगतान की गई मजदूरी की राशि और अवकाश की अवधि।

17. धारा 62 के अंतर्गत महिला द्वारा नामित व्यक्ति का नाम।

18. यदि महिला की मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे मातृत्व लाभ और/ या अन्य राशि का भुगतान किया गया था, उसकी राशि और भुगतान की तारीख।

19. यदि महिला की मृत्यु होती है और शिशु जीवित रहता है तो, उस व्यक्ति का नाम, जिसे बच्चे की ओर से मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान किया गया था और वह अवधि जिसके लिए यह भुगतान किया गया था।

20. महिला कर्मचारियों के रजिस्टर में प्रविष्टियों को प्रमाणित करते हुए प्रतिष्ठान के नियोक्ता का हस्ताक्षर।

21. निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता के उपयोग के लिए टिप्पणी कॉलम।

प्रारूप – सैत्तीस

(नियम 30 का उपनियम (1) (2), (3) देखे)

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 138 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपराध की कम्पाउंडिंग के लिए पहली बार अपराध करने वाले नियोक्ता को नोटिस

नोटिस संख्या ..... **तारीख :**

मेरे समक्ष रखे गए रिकार्ड एवं दस्तावेजों के आधार पर, अधोहस्ताक्षरी के पास यह मानने के लिए कारण हैं कि आपने, ... प्रतिष्ठान के नियोक्ता होने के कारण (पंजीकरण संख्या .....), सहिता के उपबंधों अथवा योजनाओं अथवा नियमों अथवा उनके अंतर्गत विनियमों के उल्लंघन में नीचे दिए गए विवरणानुसार अपराध किया है :-

भाग – I

1. व्यक्ति का नाम:
2. प्रतिष्ठान का नाम एवं पता:
3. प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या :
4. अपराध का विवरण :
5. संहिता/योजना /नियमों/विनियमों के उपबंध जिनके अंतर्गत अपराध किया गया है:
6. अपराध के संघटन के लिए भुगतान किए जाने के लिए अपेक्षित कंपाउडिंग राशि :
7. कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट राशि जमा करने के लिए खाते का नाम एवं विवरण:

भाग –II

उपर्युक्त के दृष्टिग्त, आपके पास ऊपर वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 15 दिन के अंदर भुगतान करने तथा इस नोटिस के भाग-III में भरकर आवेदन को लौटाने का विकल्प है।

यदि विनिदिष्ट समय में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में बिना कोई अवसर दिए अभियोजन दायर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

(कंपाउंडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग – III

अपराध की कंपाउडिंग के लिए धारा 138 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आवेदन

संदर्भ : नोटिस संख्या …….. तारीख:

अधोहस्ताक्षरी ने भाग-I के कॉलम 6 में विनिर्दिष्ट की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी है तथा भाग-I में उल्लिखित अपराध को कंपाउंड करने के अनुरोध के साथ भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है।

1. जमा की गई कंपाउडिंग राशि का विवरण (इलैक्ट्रॉनिक ढंग से जारी रसीद की प्रति संलग्न की जानी है):

2. अभियोजन, यदि ऊपरलिखित अपराधों के उल्लंघन के लिए दायर किया गया हो, का विवरण:

3. क्या यह अपराध प्रथम अपराध है अथवा आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया था तो उस अपराध का पूर्ण विवरण दें:

4. अन्य कोई सूचना जो आवेदक देना चाहता हो :

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम एवं पदनाम)

तारीख:

स्थान:

भाग – IV

संघटन प्रमाण-पत्र

संदर्भ : नोटिस संख्या …….. तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि संहिता की धारा 133 की उपधारा ….. के अंतर्गत अपराध, जिसके संबंध में श्री ---- (आवेदक), ……. (प्रतिष्ठान का नाम एवं पंजीकरण संख्या) के नियोक्ता को दिनांक : _____ का नोटिस संख्या …….. जारी किया गया था , को उक्त नोटिस के अनुपालन में अपराधों के संघटन के लिए ---------- (रुपये_____) की पूर्ण राशि का भुगतान करने के कारण कंपाउंड कर दिया गया है।

(हस्ताक्षर)

अधिकारी का नाम एवं पदनाम

तारीख:

स्थान:

प्रारूप – अड़तीस

[नियम 31 (3) (ख) देखें]

कैरियर केन्द्रों को रिक्तियां रिपोर्ट करने हेतु प्रपत्र

(प्रत्येक प्रकार के पद के लिए अलग-अलग प्रपत्र प्रयोग किया जाना है)

1	**नियोक्ता का विवरण :** **नाम:** **पिन कोड सहित पता:** **दूरभाष संख्या :** **मोबाइल संख्या:** **ई-मेल पता:** **प्रतिष्ठान का नाम एवं प्रकार (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्वायत्त, निजी, इत्यादि)** **संहिता के अंतर्गत प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या :** **आर्थिक क्रियाकलापों का विवरण**	
2.	**इंडेंटिंग अधिकारी का विवरण:** नाम: पदनाम: दूरभाष संख्या . : मोबाइल संख्या .: ई-मेल पता :	
3.	**रिक्ति(रिक्तियों) का विवरण :** (क)भरी जाने वाली रिक्ति(रिक्तियों) का पदनाम/ नामावली (ख) पद के दायित्वों का वर्णन (जॉब भूमिका/कार्यप्रणाली भूमिका)	

	(ग) अपेक्षित योग्यताएं/कौशल (शैक्षणिक, तकनीकी, अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय/प्राथमिकता योग्य
	(i) शैक्षणिक योग्यता (ii) तकनीकी योग्यता (iii) कौशल (iv) अनुभव		
	(घ) आयु सीमा, यदि कोई हो (आवेदन करने की अंतिम तारीख को आयु)		
	(ङ) प्राथमिकताएं (जैसेकि भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग व्यक्ति, महिलाएं इत्यादि) यदि कोई हों।		
	(च) नियोजन की अवधि (i) 3-6 माह (ii) 6-12 माह (iii) 12 माह	पदों की संख्या	

4	क्या रिक्तियों को भरने में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), भूतपर्वू सैनिक तथा दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी), इत्यादि जैसे व्यक्तियों की किसी श्रेणी को **आरक्षण /प्राथमिकता देने की व्यवस्था करने का कोई दायित्व है: हॉ/नहीं** (यदि हां, तो नीचे दिए गए विवरण के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या बताई जाए)		
	श्रेणी	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
	(क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग)अन्य पिछड़ा वर्ग (घ) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	कुल	*प्राथमिकता अभ्यर्थियों द्वारा (केन्द्र सरकार की रिक्तियों के लिए लागू)

	(ङ) भूतपूर्व सैनिक (च) दिव्यांग व्यक्ति पीडब्ल्यूडी) (छ) महिलाएं (ज) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
6.	**वेतन एवं भत्ते:** सरकारी रिक्तियों के लिए : अन्य विवरण के साथ मूल वेतन/प्रतिमाह वेतन सहित पद के वेतन स्तर/वेतन स्केल, यदि कोई हो, का उल्लेख करें। अन्य के लिए: अन्य विवरण के साथ प्रतिमाह न्यूनतम कुल वेतन, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।		
7.	कार्य स्थल(कस्बे/गांव तथा जिला का नाम, पिन कोड इत्यादि के साथ, जिसमें यह स्थित है)		
8.	आवेदन का तरीका (ई-मेल, ऑन लाइन, लिखित में, इत्यादि) और आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख		
9.	उस अधिकारी का विवरण जिसको आवेदन भेजे जाएं/ अभ्यर्थी सम्पर्क करें: (नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी पता, दूरभाष संख्या, ऑन लाइन के मामले में वेबसाइट के पते का उल्लेख करें)		
10	भर्ती का तरीका {कैरियर केन्द्र, प्लेसमेंट एजेंसी, स्व प्रबंधन के माध्यम से, अन्य कोई तरीका (विनिर्दिष्ट करें) }		
11	क्या कैरियर केन्द्र में पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों की सूची सौंपने को वरीयता देंगे।	हां/नहीं	
12	अन्य कोई प्रासंगिक सूचना		

प्रतिष्ठान/नियोक्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

(कार्यालय प्रयोग के लिए-कैरियर केन्द्र द्वारा भरा जाए)

13	कैरियर केन्द्र का नाम, पता,ई-मेल आईडी	
14	रिक्तियां प्राप्त होने की तारीख	
15	प्रतिष्ठान का एनआईसी कोड	
16	पद का एनसीओ कोड	
17	विशिष्ट रिक्ति आईडी (संख्या)	

कैरियर केन्द्र के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मुहर एवं तारीख के साथ हस्ताक्षर /नाम /पदनाम

टिप्पणी:

1. कैरियर केन्द्र जिसको रिक्तियां रिपोर्ट की जाती हैं, वह रिपोर्ट की गई रिक्ति को एक विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या प्रदान करेगा तथा इसे लिखित में ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से अथवा अन्य किसी मीडिया के माध्यम से तत्काल नियोक्ता को सूचित करेगा परन्तु किसी भी मामले में यह रिक्तियों की रिपोर्टिंग की प्राप्ति की तारीख से तीन कार्य दिवस के पश्चात नहीं करेगा।
2. कोई नियोक्ता, यदि किसी मीडिया में उस रिक्ति का विज्ञापन देता है अथवा किसी एजेंसी अथवा किसी अन्य तरीके से भर्ती करता है, तो वह उस विज्ञापन अथवा भर्ती प्रक्रिया में उस विशिष्ट रिक्ति रिपोर्टिंग संख्या को हमेशा उल्लिखित करे।
3. कैरियर केन्द्र को पहले से दिए गए विवरणों में कोई परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना लिखित में अथवा वैध आधिकारिक ई-मेल अथवा डिजिटल ढंग से (पोर्टल के माध्यम सहित) जैसा भी मामला हो, समुचित कैरियर केन्द्र को दी जाएगी।

प्रारूप - उन्चालीस

[नियम 31 (6) देखें]

ईआईआर प्रपत्र (रोजगार सूचना विवरणी)

..... को समाप्त वर्ष के लिए कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को जमा की जाने वाली वार्षिक विवरणी

सामाजिक सुरक्षा संहिता (अध्याय-XIII – रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) 2020 के अंतर्गत जमा करने के लिए निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है

नियोक्ता का नाम एवं पता	
क्या मुख्यालय है	
शाखा कार्यालय है प्रतिष्ठान का प्रकार (सार्वजनिक/निजी क्षेत्र)	
व्यवसाय का प्रकार / मुख्य क्रियाकलाप	
संहिता के अंतर्गत प्रतिष्ठान की पंजीकरण संख्या	

1. (क) **रोजगार**

अंशकालिक कामगारों तथा प्रशिक्षुओं को छोड़कर कार्यरत प्रोपराइटर्स/पार्टनर्स/आकस्मिक भुगतान एवं संविदा कामगारों, आउटसोर्स कामगारों सहित प्रतिष्ठान की जनशक्ति की कुल संख्या (इन आंकड़ों में वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल होना चाहिए जिसे मजदूरी अथवा वेतन का भुगतान किया जाता है)।

श्रेणी	पूर्ववर्ती वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को	रिपोर्टाधीन वर्ष के अंतिम कार्य दिवस को
पुरूष		
महिला		
अन्य (ट्रांसजेंडर)		
कुल :		
उपर्युक्त कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)		

(ईआईआर- जारी)

2. वर्ष के दौरान हुई रिक्तियों * तथा कैरियर केन्द्र को रिपोर्ट की गई रिक्तियों की संख्या तथा वर्ष के दौरान भरी गई रिक्तियों की संख्या				
हुई रिक्ति	रिपोर्ट की गई		भरी गई	स्रोत (कैरियर केन्द्र/एनसीएस पोर्टल/ सरकारी भर्ती एजेसियां/ निजी प्लेसमेंट संगठन/अन्य)
	कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय)	कैरियर केन्द्र (केन्द्रीय)		
1	2	3	4	5

*सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (अध्याय XIII) के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियामों के अनुसार।

3. **जनशक्ति की कमी:**

समुचित आवेदकों की कमी के कारण रिक्तियां/पद रिक्त रह गए ।

व्यवसाय का नाम अथवा पद का पदनाम	रिक्त रिक्तियों /पदों की संख्या		
	कौशल/योग्यता (शैक्षणिक /तकनीकी /निर्धारित अनुभव)	अनिवार्य	वांछनीय
1	2	3	4

(कृपया उन अन्य व्यवसायों को भी सूचीबद्ध करें जिनके लिए हाल ही में प्रतिष्ठान को समुचित आवेदक प्राप्त करने में मुश्किल हुई थी।)

4. अगले कैलेंडर वर्ष के दौरान व्यावसायिक वर्गीकरण के कारण अपेक्षित अनुमानित जनशक्ति (कृपया नीचे प्रत्येक व्यवसाय में कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग दी जाए)

व्यवसाय	कर्मचारियों की संख्या कृपया जहां तक संभव हो सेवानिवृत्ति/ विस्तार अथवा पुनर्संगठन के कारण अगले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा भरी जाने वाली प्रत्येक व्यवसाय में रिक्तियों की अनुमानित संख्या दें।				
विवरण	**पुरूष**	महिला	**अन्य** (ट्रांसजेंडर)	**कुल**	कुल में से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी)
1	2	3	4	5	6
*					
कुल:					

- कॉलम में (विवरण) – अभियंता (मैकेनिकल), सहायक निदेशक (मैटलर्जिस्ट), अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्री), पर्यवेक्षक (टेलरिंग), इंस्पेक्टर (सैनेटरी), अधीक्षक (कार्यालय), प्रबंधक (सेल्स), प्रबंधक (अकांउट्स), कार्यपालक (मार्केटिंग), डाटा एंट्री आपरेटर .....जैसे वास्तविक शब्दों का प्रयोग करें।

प्रतिष्ठान के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता /नियोक्ता के मुहर एवं तारीख

सहित हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम

सेवा में

कैरियर केन्द्र

.....

टिप्पणी:- 1. यह विवरणी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अंदर प्रतिष्ठानों/नियोक्ताओं द्वारा कैरियर केन्द्र (क्षेत्रीय) को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (अध्याय-XIII – रोजगार सूचना एवं अनुवीक्षण) के अंतर्गत अपने दायित्व के रूप में जमा करानी अपेक्षित है।

2. नियोक्ताओं से सूचना प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य (i) उपलब्ध रिक्तियों/रोजगार के अवसरों; (ii) कार्मिकों का प्रकार जिनका अभाव है और (iii) नौकरी चाहने वालों को व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए भविष्य के जॉब अवसरों का पता लगाना तथा उन्हें नियोक्ताओं से जोड़ना है। यह कौशल आवश्यकताओं का

पता लगाने मे भी सहायक है। नियोक्ता भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार समुचित अभ्यर्थी लेने के लिए कैरियर केन्द्रों को कॉल करने में समर्थ होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप–सचिव.

छत्तीसगढ़ सामाजिक सुरक्षा नियम 2021 आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रारूप

व्यक्ति/संगठन का नाम एवं पता	नियम अथवा उपनियम जिसमें संशोधन प्रस्तावित है।	संशोधित नियम अथवा उपनियम को प्रति स्थापित करने का प्रस्ताव	कारणों का उल्लेख
(1)	(2)	(3)	(4)

Atal Nagar, the 25th May 2021

NOTIFICATION

No. F 10-3/2021/16.-The following draft rules, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 154, 156 and 158 of The code of Social Security, 2020 (36 of 2020) and in supersession of the –

(i) Chhattisgarh Workmen's Compensation Rules 1962;

(ii) Chhattisgarh Workmen's Compensation (Occupational Dieses) Rules 1963

(iii) Chhattisgarh Maternity Benefit Rules, 1965;

(iv) Payment of Gratuity (Chhattisgarh) Rules, 1973;

(v) Chhattisgarh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rule, 2008 ; and

(vi) Chhattisgarh Unorganised Workers Social Security Rules 2008

Made by the State Government in exercise of the powers conferred by the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), The Maternity Benefit Act, 1961 (53 of 1961), The Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972), Workmen's Compensation Act 1923, Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996 (27 of 1996) and Unorganised Workers Social Security Act 2008 (33 of 2008), as the case may be, which are repealed by section 164 of the said, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby notified, as required by section 158, for information of all persons likely to be affected thereby and the

notice is hereby given that the said draft notification will be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to Deputy Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour, mantralaya Mahandi Bhawan Nava raipur or Labour Commissioner, Government of Chhattisgarh , 2nd Floor, Block-3, Indirawati Bhawan, Nava Raipur, Atal Nagar- 492002; Or by email to cglc2012@gmail.com.

Objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft notification before expiry of the period specified above, will be considered by the State Government;

Draft Rules

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Code on Social Security (Chhattisgarh) Rules, 2021.

(2) They extend to the whole of Chhattisgarh .

(3) These rules shall come into force after the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-

(1) In these rules, unless the subject or context otherwise requires, —

(i) **"appeal"** means an appeal preferred under clause (*b*) of sub-section (*7*) of section 37 and sub-section (8) of section 56 ;

(ii) **"Appellate authority"** means -

(a) the State Government or the Deputy Labour Commissioner or the authority specified by the State Government for the purpose of sub-section (8) of section 56 and;

(b) ESI Court constituted by the State Government for the purpose of clause (b) of sub-section 7 of Section 37;

(iii)**"authority"** means the State Government or the authority specified by the State Government under sub-section (3) of section 72;

(iv)**"average daily wages during a contribution period"** under chapter IV of the Code in respect of an employee, means the aggregate amount of wages payable to him during that period divided by the number of days for which such wages were payable;

(v) **"Average daily wages during a wage period"** under chapter IV of the Code means —

(a) in respect of an employee who is employed on time-rate basis, the amount of wage which would have been payable to him for the complete wage period had he worked on all the working days in that wage period, divided by 26 if he is monthly rated, 13 if he is fortnightly rated, 6 if he is weekly rated and 1 if he is daily rated;

(b) in respect of an employee employed on any other basis, the amount of wages earned during the complete wage period in the Contribution period divided by the number of days in full or part for which he has worked for wages in that wage period :

Provided that where an employee receives wages without working on any day during such wage period, he shall be deemed to have worked for 26, 13, 6 or 1 days or day if the wage period be a month, a fortnight, a week or a day respectively.

Explanation. — Where any night shift continues beyond midnight, the period of the night shift after midnight shall be counted for reckoning the day worked as part of the day preceding;

specified

(vi) **"benefit"** means a benefit in Rule 5 of this Rules.

(vii) **"benefit period"** means the period not exceeding six consecutive months corresponding to the contribution period, as may be specified in the Regulations;

(viii) **"Board"** means the **Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board** and the **Chhattisgarh Building and other Construction Workers Welfare Board** constituted under section 6 and section 7 as relevant.

(ix) **"career center"** means District Employment Exchanges of Employment Department of the State Government, or any other centers notified by the State Government.

(x) **"chairperson"** means the Chairperson of the Chhattisgarh Building and Other Constructions workers' Welfare Board, the **Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board** the Standing Committee, the Medical Benefit Committee or the Executive Committee, as the case may be;

(xi) **"chartered engineer"** means a person having an engineering degree and the corporate membership of Institute of Engineers India;

(xii) **"Code"** means the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020);

(xiii) **"Court"** means the employee insurance court constituted under section 48 of Social Security code 2020

(xiv) **"electronically"** means any information or communication submitted by email or uploading on the designated portal or digital payment in any mode for the purpose of Code;

(xv) **"Excluded vacancies"** means those vacancies which have been excluded from the purview of the section 139 of the code under its section 140 (1) (2).

(xvi) **"form"** means a form appended to these rules;

(xvii) **"fund"** means Building and Other Construction Workers Welfare Fund and Social Security Fund, as specified in section 108 and Section 141 as the case may be;

(xviii) **"Government"** means Government of Chhattisgarh

(xix) **"Government Securities"** means Government Securities as defined in the Government Securities Act, 2006 (38 of 2016);

(xx) **"immovable property"** includes land, benefits to arise out of land, things attached to the earth, or permanently fastened to anything attached to the earth;
(xxi) **"Member"** means a member of board.
(xxii) **"movable property"** means property of every description except immovable property;

(xxiii) **"nodal officer"** means a person designated by Building and Other Construction workers' welfare Board or the State Government to facilitate the registration, renewal and updation electronically or otherwise or any such other function of building and other construction workers working in the private sector, State Government, Central Government and public sector undertakings of the Central and the State Governments or local authority. The Nodal officer shall also supervise and monitor functions of the beneficiary registering officers designated by the State Government;

(xxiv) **"nomination"** means nomination made under section 55 of the code;

(xxv) **"Portal"** means portal of government of Chhattisgarh of Labour Department.

(xxvi) **"Registered Medical Practitioner"** means a medical practitioner whose name has been enrolled in a register maintained under any law for the time being in force regulating the registration of practitioners of medicine;

(xxvii) **"register of women employees"** means a register of women employees maintained under rule 30;

(xxviii) **"schedule"** means the schedule of the Code;

(xxix) **"section"** means a section of the Code;

(xxx) **"Secretary"** means the Secretary of the board.

(xxxi) **"specified"** means specified by an order of the Central Government or any State Government or any officer so authorised by such Government;

(xxxii) **"Year"** means the financial Year, that is to say, begginning from first of April and ending with the thirty first of March of the year following.

(2) The words and expressions used in these rules which are not defined therein, but are defined in the Code, shall have their respective meaning as assigned to them in the Code.

CHAPTER II

SOCIAL SECURITY ORGANISATIONS

A. CHHATTISGARH UNORGANISED WORKER SOCIAL SECURITY BOARD

3. Manner of exercising the powers and performance of the functions by the Chhattisgarh Unorganised Social Security Board under sub-section (9), the manner of nomination of members of the Board, their term of office and other conditions of service, procedure to be followed in the discharge of their functions and manner of filling vacancies among the members of the Board under sub-section (12) and time, place and rules of procedure relating to the transaction of business at its meetings under sub-section (14) of section 6.-

(1). Constitution of the Chhattisgarh Unorganised Workers Social Security Board ;-

The '**Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board'** shall be deemed as Board constituted under sub section 9 of section 6.

Constitution of the Board: The '**Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board**' shall consists of:

(i) The Minister of Labour, Chhattisgarh as the ex-officio Chairperson;

(ii) Principal Secretary or Secretary Labour Department as Voice Chairperson;

(iii) One member representing the central government in the ministry of labour and employment;

(iv) Thirty one member to be nominated by the state government out of whom –

1. Seven representing the employee of unorganized workers
2. Seven representing the employer of unorganized workers
3. two members representing the legislative assembly of the Chhattisgarh
4. Five members representing eminent person from civil society
5. Ten member representing the State government departments concerned.

Provided that adequate representation shall be given to person belonging to the Schedule caste, the schedule tribe, the minorities and women.

(v) Member secretary as notified by the state government;

Apart from the chairperson of '**Chhattisgarh Unorganised Workers State Social Security Board**' all other members who will be nominated by the state government will be eminent persons in the fields of labour welfare, management, finance, law and administration.

(2) Terms of Office. –

A member appointed under clauses (iv) of sub rule (1) of rule 3 shall hold office. Subject to the provisions of sub rule (1), a member specified therein shall, unless he resigns his office or dies or otherwise vacate his office at an earlier date hold office for a period for three years from the date of publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette appointing him as a member of the Board shall be eligible for reappointment.

Provided that an outgoing member shall continue in office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(3) Resignation.-

(i) A member appointed under clauses (iv) of sub rule (1) of rule 3 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.

(ii) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

(4) Vacation of office.-

A member appointed under clauses (iv) of sub rule (1) of rule 3 shall be deemed to have vacated his office, if –

(i) He is declared to be of unsound mind or an undercharged insolvent by a competent court, or

(ii) He is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(iii) He is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson or

(iv) Lie ceases to represent the interest for representing which he was appointed.

(v) He removed by the State Government

(5) Filling up of casual vacancies. –

A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death, resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member, in whose place he is appointed.

(6) Manner of filling vacancies.-

When a vacancy occurs or is likely to occur in the membership of the Board, the Chairperson shall submit a report to the State Government and on receipt of such report, the State Government may, by notification, nominate a person to fill the vacancy and the person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in whose place he is nominated.

(7) Change of Address.-

If a member changes his address, he shall notify his new address to the Member-Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official records:

Provided that if a member fails to notify his new address, the address in the official records shall for all purposes be deemed to be the member's correct address.

(8) Meeting of Board and Quorum.-

(i) The Board shall ordinarily meet once in three month:

Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(ii) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 11 members are present, of whom at least one shall be from among those appointed under clause (i), (ii), (iii) and (iv) of sub rule (1) of rule 3.

(9) Notice of meeting and list of business.-

Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting for Board separately;

Provided that when the Chairperson, calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

(10) Chairperson to preside at meetings.-

The Chairperson will preside over all the meetings of the Board and if the Chairperson is unable for any reason to be present in the Board meeting, the Vice-Chairperson will preside over the meeting.

(11) Transaction of Business .-

All questions which come up before any meeting of Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.

(12) Minutes of meeting.-

The proceedings of each meeting of the Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson as soon after the meeting as possible, subject to confirmation in the

next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

(13) Allowances payable to Non-official members.-

Every non-official member shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board and its sub-committees at rates admissible to first class officers of the state government.

(14) Sub-Committees of the Board.-

(i) The Board may appoint such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties.

(ii) Each sub-committee will be headed by the chairperson of the board and will have an equal number of unorganized workers, employers and members of the board representing the state government..

(iii) In the absence of the Chairperson, the members present of the Sub-Committee shall elect one of their own to preside over the meeting.

(iv) No work shall be performed at a meeting of the Subcommittee unless at least one-third of its members are present, of which there shall be one representing the members and at least one unorganized worker, must be among the members representing.

(v) The term of any sub-committee except the sub-committee constituted for the short-term purpose shall be one year from the date of its constitution, but the sub-committee shall continue to function until a new sub-committee is formed, but in any case, no sub-committee shall function beyond the period of two years from the date of its original formation.

(vi) The recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.

(15) Appointment of Secretary, other officers and Staff.-

(i) Board shall, with prior concurrence of the State Government appoint an officer of Indian Administrative Service / an officer not below the rank of a Deputy Labour Commissioner as Secretary of the Board;

(ii) Board may appoint such other officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:

Provided that no post shall be filled up in the Board, unless its creation, has first been approved by the State government.

(16) Duties and functions of Board.-

(i) Under sub-section 15 of section 6 of the Code, the Board shall adopt the following procedure for the performance of its duties, a scheme stipulating the procedures, formats and all other residual matters regarding each facility or group of facilities specified by the Board and the Code. Not expressly provided

in these rules, shall prepare and recommend to the State Government under which the following shall be-

1. Rates at which various facilities will be payable
2. Application Procedure and Format,
3. Procedure for sanctioning and competent authority to grant approval,
4. Procedure for disbursement, and
5. Any other incidental matters

(ii) Board can advise the state government from time to time on the points related to the administration of Code.

(iii) Undertake such other functions as are assigned to it by the state government from time to time.

(17) Recruitment procedure and service conditions of officers and staff of the Board.-

(i) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure, and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.

(ii) If in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of a provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final thereon.

B. CHHATTISGARH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS WELFARE BOARD

4. the terms and conditions of appointment and the salaries and other allowances payable to the chairperson and the other members of the Building Welfare Board and the manner of filling of casual vacancies of such members, under sub-section (4), the terms and conditions of appointment and the salary and allowances payable to the Secretary and the other officers and employees of the said Board under clause (c) of sub-section (5) of section 7;

(1). Constitution of the Chhattisgarh Building and Other Construction Worker Welfare Board.-

The "Chhattisgarh Building and other construction workers welfare board" shall be deemed as Board constituted under sub section 1 of section 7.

Constitution of the Board.—The Board shall consist of;

(i) The Minister of Labour, Chhattisgarh as the ex-officio Chairperson, or A person nominated by the state government to act as Chairperson

(ii) One member to be nominated by the Central Government,

(iii) The Chief Inspector-cum-Facilitator appointed under sub-section (5) of Section 34 of the Occupational Safety, Health & Working Conditions Code-2020, as an ex-officio member,

(iv) Four members to be appointed by the State Government representing Government Departments. of whom two shall be a representative of Labour and one shall be representative of Finance Departments and One shall be representatives of Departments engaged in building or other construction worker,

(v) Five members to be appointed by the State Government representing building workers, and

(vi) Five members to be appointed by the State Government representing employers of building workers.

Provided that the Building Welfare Board shall include an equal number of members representing the State Government, the employers and the building workers and that at least one member of the Board shall be a woman

(2) Term of Office. -

A member appointed under clauses (v) and (vi) of sub rule (1) of rule 4 shall hold office specified therein shall, unless he resigns his office or dies or otherwise vacate his office at an earlier date hold office for a period for three years from the date of publication of the notification in the Chhattisgarh Gazette appointing him as a member of the Board shall be eligible for reappointment.

Provided that an outgoing member shall continue in office until the appointment of his successor is notified in the Official Gazette.

(3) Resignation.-

(i) A member appointed under clause (v) and (vi) of sub rule (1) of rule 4 may resign his office by writing under his hand addressed to the State Government.

(ii) The resignation shall take effect from the date of its acceptance by the State Government.

(4) Vacation of office.-

A member appointed under clauses (v) and (vi) of sub rule (1) of rule 4 shall be deemed to have vacated his office, if –

(i) He is declared to be of unsound mind or an undercharged insolvent by a competent court, or

(ii) He is convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(iii) He is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from the Chairperson or

(iv) lie ceases to represent the interest for representing which he was appointed.

(v) He removed by the State Government

(5) Filling up of casual vacancies.-

A member appointed to fill a casual vacancy, arising due to death resignation or otherwise of the member shall hold office for the remaining period of the term of office of the member, in whose place he is appointed.

(6) Meeting of Board and Quorum.-

(i) The Board shall ordinarily meet once in three month:
Provided that the Chairperson shall, within fifteen days of the receipt of a requisition in writing from not less than one third of the members of the Board, call a special meeting thereof.

(ii) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least 6 members are present, of whom at least one shall be from among those appointed under clause (iv) of sub rule (1) of rule 4.

(7) Notice of meeting and list of business.-

Notice intimating the date, time and venue of every meeting, together with a list of business to be transacted at the meeting, shall be sent by registered post or by special messenger, to each member fifteen days before the meeting :
Provided that when the Chairperson, calls a meeting for considering any matter which in his opinion is of urgent nature, notice of not less than three days shall be deemed sufficient.

(8) Chairperson to preside at meetings.-

The Chairperson shall preside over all meetings of the Board, and if the Chairperson is, for any reason, unable to attend a meeting of the Board, any member nominated by the Chairperson in this behalf, and in the absence of such nomination, any other member elected by the members present from amongst themselves at the meeting, shall preside at the meeting.

(9) Transaction of Business .-

All questions which come up before any meeting of Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting, and in the event of equality of votes, the Chairperson, or in his absence, the person presiding, shall have a second or casting vote.

(10) Minutes of meeting . -

The proceedings of each meeting of the each Board shall be recorded and circulated to all members after approval by the Chairperson as soon after the meeting as possible, subject to confirmation in the next meeting of the Board. After such confirmation, they shall be recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

(11) Allowances payable to Non-official members.-

Every non-official member shall be paid travelling allowance and daily allowance for attending meetings of the Board and its sub-committees at rates admissible to first class officers of the state government.

(12) Sub-committees of the Board.-

(i) The Board may appoint such sub-committees, as it may deem fit for the proper discharge of its duties.

(ii) Each sub-committee will be headed by the chairperson of the board and will have an equal number of building and other construction workers, employers and members of the board representing the state government.

(iii) In the absence of the Chairperson, the members present of the Sub-Committee shall elect one of their own to preside over the meeting.

(iv) No business shall be transacted at a meeting of the sub-committee unless at least three of its members are present of whom one shall be from among members representing employers and another one shall be from among members representing building workers.

(v) The term of a sub-committee, except of a sub-committee constituted for a short term, ad-hock purpose, shall be one year from the date of its constitution:

Provided that the sub-committee shall continue in office until a new subcommittee is constituted;

Provided further that in no case a sub-committee shall continue beyond a period of two years from the date of its original constitution.

(vi) The recommendations of each sub-committee shall be placed before the Board for its decision.

(13) Opening of Regional Offices.-

With the approval of the State Government, the Board may open as many regional offices as it deems necessary for efficient discharge of its functions under the Code.

(14) Duties and functions of the Board.-

Under sub-section 6 of section 7 of the Code, The Board shall be responsible for:

(i) Board will be accountable for following;

(a) All matters related to the administration of the fund, including setting policies for the allocation of funds in it.

(b) Submission of annual budget, annual report and audited accounts to the government under the Code,

(c) Proper maintenance of accounts as per the provisions of the Code and its annual audit

(d) Collection of contribution and other charges in the fund

(e) Performing the functions specified in and under the Code,

(f) The Board shall, from time to time, give such information to the Government as it wishes

(ii) Notification of schemas by the Board stipulating procedural and other residual matters related to the facilities –

The Board shall formulate a scheme which provided in the code and these rules, laying down the procedure formats and all other residual matters regarding each facility or group of facilities

specified and notification of the scheme with prior approval of the State Government under which Will happen ;

(a) Rates at which various facilities will be payable
(b) Application Procedure and Format,
(c) Procedure for sanctioning and competent authority to grant approval,
(d) Procedure for disbursement, and
(e) Any other incidental matters

(15) Appointment of Secretary, other Officers and Staff.-

(i) Board shall, with prior concurrence of the State Government appoint an officer not below the rank of a Deputy Labour Commissioner as Secretary of the Board;
(ii) Board may appoint such other officers and employees, as it may consider necessary for the efficient discharge of its functions:
Provided that no post shall be filled up in the Board, unless its creation, has first been approved by the State government

(16) Recruitment Procedure and Service Conditions of Officers and Staff of the Board.-

(i) Classification, pay scales, allowances, recruitment procedure, and terms and conditions of service of officers and employees of the Board, as may be determined by the Board with the prior approval of the State Government.
(ii) If in any specific case, any dispute or difficulty arises regarding the interpretation or enforcement of a provision, the matter shall be referred to the State Government, whose decision shall be final thereon.

5. Amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries under clause (c), the educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries under clause (d) and the medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant under clause (e) of sub-section (6) of section 7.-

Notwithstanding the welfare schemes mentioned in the sub-section (6) of the section 7 of the Code, the Board shall also formulate following scheme(s) for the building and other construction workers and notification with prior approval of the state government:

(1) pay such amount in connection with premium for Group Insurance Scheme of the beneficiaries;
(2) frame educational schemes for the benefit of children of the beneficiaries; and
(3) meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant.

CHAPTER III
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

CHAPTER IV
EMPLOYEE INSURANCE COURT

6. Manner and time within which second appeal may be filed to the Employees' Insurance Court by the Insured Person or the Corporation under clause (b) of sub-section (7) of section 37.-

The Insured Person or the Corporation may appeal to the Employees' Insurance Court by presenting an application within ninety days of the date of communication of the decision of the Medical Board or of the Medical Appeal Tribunal to the Insured Person or the Corporation, as the case may be:

Provided that the Employees' Insurance Court may entertain an application after the period of ninety days, if it is satisfied that the appellant had sufficient reasons for not presenting the application within the said period.

7. Procedure to be followed by the Employees insurance court under sub section (2) and the rules under sub section (3) of section 50.-

(1) Composition of the Court and place of sitting.-

(i) A court shall ordinarily consist of one judge,

Provided that the government may by notification in the official gazette appoint two or more judges to a court for any particular proceedings of class of proceedings and for such period as may be specified in the notification.

(ii) Subject to the provision of rule 7(3) a court shall sit at such place or places and at such time as the government may specify.

(2) Distribution of business where there are more Courts than one.-

Where more than one Court is constituted for the same local area the Government may, by a general or special order, distribute business among them.

(3) Fixing of time of sitting etc.-

where there is one Court for two or more local areas. -

(i) Where one Court is constituted for two or more local areas the Court shall, subject to the approval of the Government, appoint the time at which the court shall sit in respect of each local area or in respect of any class of proceedings under the Code.

(ii) A notice of the time appointed under clause. (i) shall be published in such manner as the Government may, from time to time, direct.

(4) Procedure where there are more judges than one.-

(i) Where more than one Judge has been appointed to a Court, the Government shall specify their rank and precedence.

(ii) The senior Judge for the time being shall, from time to time, make such arrangements, as he thinks fit, for the distribution of business of the Court among the Judges thereof.

(iii) When two or more Judges sitting together, differ on any question the opinion of the majority of such Judges shall prevail, where there is no majority, the opinion of the senior most Judge shall, unless the Government otherwise directs, prevail.

(5) Abolition, etc., of a Court. -

The Government may, notification in the official gazette abolish any court or by a like notification alter the jurisdiction of any court.

(6) Appointment, salaries, allowances, etc. -

(i) The government may appoint a person qualified under section 48 of the code to be judge of the court.

(ii) A judge shall receive such salary and allowances as the government may from time to time determine.

(iii) A judge shall receive dearness allowance, Compensatory city allowance, house rent allowance and other allowances at such rate and conditions as are applicable to officer of the government of a corresponding rank station at the same place.

(iv) A Judge shall be entitled to leave and leave salary under the leave rules which may from time to time be applicable to other Government servants of similar status and drawing similar emoluments.

(v) A Judge shall be entitled to travelling allowances for journeys performed on official business in accordance with the scale applicable to the class of officers to which in the opinion of the government such judge belongs.

(vi) A Judge shall be subject to such other conditions of service, as the Government may determine.

(vii) Notwithstanding, anything contained in clause (ii) to (v) the pay, allowances and other conditions of service of a Judge, if he is a person already in the service of the government shall be such as the government may by a general or special order, from time to time , determine.

(7) Appointment of other officers and subordinate staff. -

(i) The Government may appoint such ministerial officers and other subordinate staff as may be necessary for the exercise and, performance of the powers and duties conferred and imposed on a Court by or under the Code.

(ii) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall exercise such powers and discharge such duties as the Judge, or, if there are more judges than one, the senior judge, may, subject to any order of the Government from time to time, direct.

(iii) The ministerial officers and the subordinate staff of a Court shall be subject to such conditions of service and draw such salaries and other emoluments and receive such benefits as may be fixed by the Government.

(8) Administrative control of the High Court. –

All Courts shall be subject to the administrative control and superintendence of the High Court of Chhattisgarh, and shall -

(i) keep such registers, books and accounts as the High court may, from time to time, prescribe; and

(ii). comply with such requisitions as may, be made by the High Court or the Government for submission of service records, returns and statements in such forms and in such manner as the authority making the requisition directs.

(9) Seal.–

A Court shall keep a seal of such size, dimensions and design as the Government may direct.

(10) Application.-

(i) Every proceeding under section 49 shall be instituted by presenting an application to the Court.

(ii) Every such application shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof.

(iii) An application shall be presented in **Form I**. It shall be duly stamped in accordance with these rules, and shall contain the following particulars :-

(a) The name of the Court in which the application is brought;

(b) The full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the applicant;

(c) The full name including the father's name, description including age, occupation and place of residence of the opposite party so far as they can be ascertained;

(d) Where the applicant or the opposite party is a minor or a person of unsound mind a statement to that effect and the full name, age, occupation and address of his or her next friend or guardian;

(e) The facts constituting the cause of action and the date when it arose;

(f) The facts showing that the court has jurisdiction;

(g) Particulars giving the address within the jurisdiction of the Court at which notice or summons may be served on the applicant; and

(h) The relief which the applicant claims.

(iv) The application may be rejected if it is not in accordance with clause (iii)

(11) Production of documents.-

(i) when any application is based upon a documents, the document shall be appended to the application.

(ii) Any other document which any party desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing.

(iii) Any document which is not produced at or within the time specified in clause (i) or (ii), as the case may be, shall not, without the permission of the Court, be admissible in evidence on behalf of the party who should have produced it.

(iv) All such documents shall be accompanied by an accurate list there of prepared in the manner prescribed in **Form II**.

(v) Nothing in this rule shall apply to any documents which is produced for the purpose of cross-examining witness or is handed to a witness to refresh his memory.

(12) Register of proceedings. –

All applications shall be entered in a Register in **Form III** called the register of proceedings. Such entries shall be serially numbered for every calendar year according to the order in which the applications are presented.

(13) Place of suing. –

In cases not falling under clause (ii) of sub rule (1) a proceeding against any person shall be instituted in the Court within the local limits of whose jurisdiction.

(i) The opposite party or each of the opposite parties where there are more than one, at the time of commencement of the proceedings actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain, or

(ii) Any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the commencement of the proceeding, actually and voluntarily resides, or carries on business, or personally works for gain provided that in such case either the leave of the court is given, or the opposite parties who do not reside, or carry on business or personally work for gain as aforesaid, acquiesce in such institution; or

(iii) The cause of action, wholly or in part, arose.

(14) Application presented to wrong Court.-

(i) If on receiving an application it appears to the Court that it should be presented to another Court, it shall return it to the applicant after endorsing upon it the dates of the presentation and return, the reasons for returning it and the designation of the Court to whom it should be presented.

(ii) If it appears to the court at any stage subsequent to the presentation of an application, that the application should have been presented to another Court, in the same State, it shall send the application to the Court empowered to deal with it and shall inform the applicant (and the opposite party, if he has received a copy the application under sub rule (16), Accordingly.

(iii) The Court to whom an application is transferred under clause (ii) may continue the proceeding as if the previous proceeding or any part of it had been taken before it, if it is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.

(15) Issue of summons.-

(i) On receiving an application the Court shall, if the same has not been rejected under clause (iv) of sub rule 10, within three days there of, cause to be sent to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the 'opposite party'), a summons in **Form IV** or **Form V**, as the case may be to appear and answer the application in a day, not later than fifteen days from the day of issue of such summons, to be specified therein :

Provided that no such summons shall be issued when the opposite party has appeared at the presentation of the application and admitted the applicant's claim.

(ii) A copy of the application shall also be sent along with the summons under clause (i)

(16) Service of summons or notice.-

(i) A summons or notice may, on payment of the required fee, be sent by the Court by which it is issued either by registered post or in such other manner as the Court thinks fit.

(ii) Where the Court is satisfied that there is reason to believe that the opposite party is avoiding service or that for any reason the summons or the notice cannot be served in the ordinary way, the court shall order the summons or the notice to be served by affixing a copy there of in some conspicuous place in the Court-house, and also upon some conspicuous part of the house in which the opposite party is known to have last resided or carried on business or personally worked for gain or in such other manner as the Court thinks fit and it shall be effectual as if it had been made on the opposite party personally.

(iii) Where a summons or notice is served under clause (ii), the Court shall fix such time for the appearance of the opposite party as the circumstances of the case may require.

(17) Additional matters in the summons. -

The Court shall determine at the time of issuing the summons, whether it shall be for the settlement of the issues only and /or for the final disposal of the application and the summons shall contain a direction accordingly.

The Court may also call upon the parties to produce upon that date any evidence which they wish to render.

(18) Proceedings involving disablement question. -

If in any proceeding before the Court is disablement questions (As defined in the section 37 of the Code) arises and the decisions of a Medical Board or a Medical Appeal Tribunal has not been obtained on the same and the decision of such questions is necessary for determination of the claim or question before the court that court shall direct the Corporation to have the question decided as laid down in section 37 and shall thereafter proceed with the determination of the claim or question before it in accordance with section 49.

(19) Written statement.-

(i) The opposite party may, and, if so required by the Court, shall, at or before the first hearing or within such time as the Court may permit, present a written statement of his defence along with the documents on which he relies and an accurate list there of in Form- II

(ii) Every such written statement shall be verified in the same manner as a pleading in a Civil Court and shall be accompanied by two copies thereof.

(iii) In any written statement submitted under clause (i) the opposite party shall deal specifically with each allegation of fact alleged by the applicant, of which he admits or does not admit or denied the truth. The written statement must also contain all matters which show that the application is not maintainable and all such grounds of defence as, if not raised, would be likely to take the application as for instance, fraud, undue influence or coercion release, payment, performance of facts showing illegality of the transaction.

(20) Failure to present written statement called for by the Court.-

Where any party from whom a written statement is required fails to present the same within the time prescribed by the Court may, pronounce judgment against him or make such order in relation to the proceeding as it thinks fit.

(21) Framing of issues. -

(i) At the first hearing of the application, after the summons has been issued, the Court shall, after considering the application and the written statement, if any,

or after such examination of the parties or any person or any document as may appear necessary, ascertain upon what material proposition of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision appears to depend.

(ii) In recording the issues, the Court shall distinguish between those issue which in its opinion concern points of fact and those which concern points of law.

(iii) The Court may, in like manner, at any time before passing its final order add to, strike out from, or in any way amend, the issues on such terms as it may think fit.

(22) Order where parties are not at issue.-

Where at any hearing of the case it appears that the parties are not at issue on any question of law or of fact the Court may at once pronounce its final order.

(23) Appearance of parties and consequences of non-appearance.-

(i) On the day fixed in the summons for the opposite party to appear and answer the parties shall be in attendance at the Court in person or by their respective legal practitioners or any other person authorised under section 51 and the application shall then be heard unless the hearing is adjourned by the Court.

(ii) When neither party appears when the application is called on for hearing, the Court may make an order that the application be dismissed.

(iii) Where the opposite party appears and the applicant does not appear when the application is called on for hearing, the Court shall make an order that the application be dismissed unless the opposite party admits the claim or part thereof in which case the court shall make an order against the opposite party upon such admission and where party only of the claim has been admitted it shall dismiss the case so far as it relates to the remainder.

(iv) Where the applicant appears and the opposite party after receiving the Summons fails, to appear, when the application is called on for hearing the Court may proceed ex-parte.

(v) Where the application is wholly or partly dismissed under clause (ii) or (iii), the applicant may within thirty days of such dismissal apply in **Form VI** for an order to set the dismissal aside and the Court shall, if it is satisfied that he was prevented from appearing when the proceeding was called on for hearing due to any sufficient cause make an order setting aside the dismissal upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the case or appoint a day for proceeding with the same :

Provided that no order under this clause shall be made in respect of an application which is dismissed under clause (iii) unless notice of the application has been served in **FormVII** on the opposite party.

(vi) In any application in which an ex-parte order has been passed against the opposite party, he may within thirty days from the date of such order apply in Form VI to the Court which passed the order, to set it aside and, if the Court is

satisfied that he was prevented from appearing when the proceedings was called on for hearing due to any sufficient cause, it may after serving notice thereof to the applicant in **Form VII** make an order setting aside the order upon such terms as to costs or otherwise as it thinks fit and may proceed with the hearing of the case or appoint a day for proceeding with the same.

(24) Summoning of witness.-

(i) At any time after framing of the issues the Court may call upon the parties to produce their evidence in support of the issues.

(ii) The Court may, on the application of either party issue a summons in **Form VIII** to any witness directing him to attend or to produce any document.

(ii) The Court may, before summoning any witness on application under clause (ii), require that his reasonable expenses to be incurred in attending the Court be deposit with it.

(25) Grant of time and adjournment of hearing.-

(i) The Court may, if sufficient cause is shown, at any stage of the application, grant time to the parties or to any of them, and may, from time to time, adjourn the hearing of the application.

(ii) In every such adjournment the Court shall fix a day not exceeding fifteen days from the date on which such adjournment is made for the further hearing of the application and may make such order as it thinks fit with respect to the costs occasioned by the adjournment:

Provided that when the hearing of the evidence has once begun the hearing of the application shall be continued from day to day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the hearing beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded.

(26) Right to begin proceeding.-

The applicant has the rights to begin unless the opposite party admits the facts alleged by the applicant and contends that either in point of law or on some additional facts alleged by the opposite party, the application is not entitled to the relief which he seeks, in which case the opposite party has the right to begin.

(27) Statement and production of evidence.-

(i) On the day fixed for the hearing of the application or on any other day to which the hearing is adjourned the party having the right to begin shall state his case and produce his case and produce his evidence in support of the issues which he is bound to prove.

(ii) The other party shall then state his case and produce his evidence, (if any) and may then address the Court generally on the whole case.

(iii) The Party beginning may then reply generally on the whole case.

(iii) Notwithstanding anything contained in this rule the Court may order that the production of evidence or the address to the Court may be in any order which it may deem fit.

(28) Method of recording evidence.-

The evidence of each witness shall be taken down in writing by the Judge or where there is more than one Judge by the junior Judge, or at the dictation of any such Judge in the open Court in the language of the Court, not ordinarily in the form of question and answer but in that of a narrative and, when completed, shall be read over or translated, where necessary, in the presence of such Judge, to the witness, and such Judge shall if necessary, correct the same, and shall sign it.

(29) Recall of a witness.-

The court may at any stage of a proceeding recall any witness who has been examined and may (subject to the law of evidence for the time being in force) put such question to him as the Court thinks fit.

(30) Inspection by Court.-

The Court may at any stage of a proceeding inspect any property or thing concerning which any question may arise.

(31) Pronouncement of order. –

The Court, after the application has been heard, shall pronounce its final order in open Court, either at once or on some future day, of which due notice shall be given to the parties.

(32) Signing of order.-

The final order shall be dated and signed in open Court at the time of pronouncing it and, when once signed, shall not afterwards be altered or added to, save in the case of clerical or arithmetical mistake arising from accidental slip or omission.

(33) Statement of decision on each issue. –

In cases in which issues have been framed the Court shall state its finding or decision, with the reason there for, upon each separate issue, unless the finding upon any one or more of the issues is sufficient for the decision of the case.

(34) Compromise of suit. –

Where it is proved to the satisfaction of the Court that a case had been adjusted wholly or in partly by any lawful agreement or compromise, or where the opposite party satisfies the applicant in respect of the whole or any part of the subject matter of the case, the Court shall order such agreement, compromise or satisfaction to be recorded, and shall pass final order in accordance therewith so far as it relates to the case.

(35) Finality of Order. –

Save as provided in section 52 the order of a Court shall be final and binding upon the parties.

(36) Costs -

(i) The costs of and incidental to the application shall be in the discretion of the Court, and the Court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid, and to give all necessary direction for the purposes aforesaid. The fact that the Court has no jurisdiction to try the case shall be no bar to the exercise of such powers.

(ii) Where the Court directs that any cost shall not follow the event, the Court shall state its reasons in writing.

(37) Contents of the decree.-

(i) A decree in **Form IX** shall be prepared in conformity with the order made by the Court it shall contain the number of the application, the names and descriptions of the parties, and particulars of the claim, and shall specify clearly the relief granted or other determination of the proceeding.

(ii) The decree shall also state the amount of costs incurred in the proceeding and by whom and in what proportion such costs are to be paid.

(iii) The Court may direct that the cost payable to one party by the other shall be set off against any sum which is admitted or found to be due from the former to the latter.

(38) Certified copies of order, decree etc. to be furnished.-

(i) Certified copies of the final order, decree or any other order or matter on record shall be furnished to the parties on application to the Court and at their expenses.

(ii) If any party requires copies of any order, decree or any other matter on record made by or furnished to the Court, as the case may be, to be supplied to him within forty-eight hours of the submission of an application thereof to the Court, he shall pay an additional fee of fifty rupees for each such copy.

(iii) If any party applied for copies of any order, decree or any other matter on record made by of furnished to the court, as the case may be, after the expire of twelve months from the date of such making or furnishing as the case may be, he shall pay an additional searching fee of two rupees.

(39) Execution.-

(i) Any person in whose favour an order has been passed shall, within one year from the date of the order, apply in **Form X** to the Court which made the order for its execution.

(ii) On such, application being made, the court shall send the same together with the necessary record to a Civil Court, of competent jurisdiction, for its execution

and such civil court shall have the same power in executing such order as, if it had been passed by it.

(40) Communication of fact of execution or otherwise. -

The Civil Court to which a decree is sent for execution shall certify to the Court which passed it the fact of such execution or where that Court fails to execute the same and the circumstances attending such failure.

(41) Fees. -

(i) The fee payable on an application in respect of any matter referred to in section 49 shall be Ten rupees.

(ii) The fee payable in respect of any other application except a written statement called for by the Court under these rules shall be Five Rupees**:**
Provided that the fee for an application for obtaining a copy or translation of any document on record or statement, order to decree presented to or made before or by the Court, as the case may be, shall be two Rupees

(iii) The fee for copies of any document on record, or statement or order or decree shall be such as may, from time to time be determined by the Government.

(iv) The fee for any authorisation for the appearance of any person on behalf of any of the parties in a case shall be Ten Rupees

(iv) The fee for filling certified copies of any document in a Court shall be Five Rupees

(v) All fees referred to in this rule shall be collected by means of Court-fee stamps used in ordinary Courts and no document which ought to bear stamps under these rules shall be of any validity unless and unless and until it is properly stamped :

Provided that where any such document is through mistake or inadvertence received, filed or used in a Court without being properly stamped, the Court may, if it thinks fit, order that such document be stamped as it may direct and on such document being stamped accordingly the same and every proceeding relating thereto shall be as valid as it had been properly stamped in the first instance.

(vi) No document requiring a stamp under this rule shall be acted upon in any proceeding in a Court until the stamp has been cancelled.

(42) Payment of Costs of services of summons, etc.-

(i) The cost of service of summons or notices or the expenses of the witnesses in any case or the fee payable in respect of any matter not referred to in the preceding rule shall be such amount as may be specified in each case by the Court; and such amount or any other sum of money payable under these rules shall be paid in such manner and within such time as it may specify therefore.

(ii) Any amount which is left over after meeting the expenses, if any, for which it was intended shall be returned by the Court to the party by whom or on whose behalf the amount was originally paid into the Court.

(iii) The Court shall maintain proper accounts of the amount received and disbursed under clause (i)

(43) Fees and costs of poor persons. -

The Court may, whenever it thinks fit, receive and register proceedings instituted under the Code and applications made under these rules, by persons who are paupers, and may issue summons or notice on behalf of such persons, without payment or on a part payment of the fees and costs mentioned in sub rules 41 and 42.

(44) Provisions in the code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) etc. to apply. –

In respect of matters relating to procedure or admission of evidence for which no specific provision is made in these rules, the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), including the rule made there under and the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), shall so far as may be apply to proceedings under the Act.

8. Manner of commencement of proceedings before the Employees' Insurance Court, fees and procedure thereof under sub-section (1) of section 51.-

Proceeding of Employees' Insurance Courts.-

(1) The proceeding before an Employees' Insurance Court shall be commenced by application by the Corporation, Aggrieved person or the employer of an establishment as the case may be.

(2) Subject to the provisions of Chapter IV of the Code and any rules made by the Government, all proceedings before the Employees' Insurance Court shall be instituted in the Court appointed for the local area in which the insured person was working at the time the question or dispute arose.

(3) If the Court is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before it can be more conveniently dealt with by any other Employees' Insurance Court in the same State, it may, subject to any rules made by the Government in this behalf, order such matter to be transferred to such other Court for disposal and shall forthwith transmit to such other Court the records connected with that matter.

(4) The State Government may transfer any matter pending before any Employees' Insurance Court in the State to any such Court in another State with the consent of the State Government of that State.

(5) The Court to which any matter is transferred under clause(3) or clause(4) shall continue the proceedings as if they had been originally instituted in it.

CHAPTER V
GRATUITY

9. Bank or other financial institution in which the gratuity shall be invested for the benefit of minor under the third proviso to sub-section (1) of section 53.-

In the case of nominee, or an heir, who is minor, the competent authority shall invest the gratuity amount deposited with him for the benefit of such minor in term deposit with the State Bank of India or Nationalized Bank.

Explanation.-"Nationalized Bank" means a corresponding new bank specified in the First Schedule to the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) or a corresponding new bank specified in the First Schedule of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980).]

10. Time, form and manner of nomination by an employee under sub-section (1), the time to make fresh nomination under sub-section (4), the form and manner of modification of a nomination under sub-section (5) and the form for fresh nomination under sub-section (6) of section 55.-

(1) A nomination shall be in **Form-XI** and submitted in duplicate by the employee either by personal service, after taking proper receipt or by registered post acknowledgement due or electronically to the employer,

(i) in the case of an employee who is already in employment for a year or more on the date of commencement of these rules but not submitted the nomination, ordinarily, within ninety days from such date; and

(ii) in the case of an employee who completes one year of service after the date of commencement of these rules, ordinarily within thirty days of the completion of one year of service:

Provided that nomination in **Form-XI** shall be accepted by the employer after the specified period, if filed and no nomination so accepted shall be invalid merely because it was filed after the specified period.

(2) Within thirty days of the receipt of nomination in **Form-XI** under sub rule (1), the employer shall get the service particulars of the employee, as mentioned in the form of nomination, verified with reference to the records of the establishment and return to the employee, after obtaining a receipt thereof, the duplicate copy of the nomination in **Form-XI** duly attested either by the employer or an officer authorised in this behalf by

him, as a token of recording of the nomination by the employer and the other copy of the nomination shall be recorded.

(3) An employee who has no family at the time of making a nomination shall, within ninety days of acquiring a family submit in the manner specified in sub rule (1), a fresh nomination, as required under sub-section (4) of section 55, duplicate in **Form-XI** to the employer and there after the provisions of sub rule (2) shall apply *mutatis mutandis* as if it was made under sub rule (1).

(4) A notice of modification of a nomination, including cases where a nominee predeceases an employee, shall be submitted in duplicate in **Form-XI** to the employer in the manner specified in sub rule (1), and thereafter the provisions of sub rule (2) shall apply *mutatis mutandis*.

(5) A nomination or a fresh nomination or a notice of modification of nomination shall be, signed by the employee or, if illiterate, shall bear his thumb impression and shall be submitted by the employee electronically or by registered post acknowledgement due.

(6) A nomination, fresh nomination or notice of modification of nomination shall take effect from the date of receipt thereof by the employer.

11. Time within which and the form in which a written application shall be made under sub-section (1) and the form of application to the competent authority under clause (b) of sub-section (5) of section 56.-

(1) Application for Gratuity.-

(i) An employee who is eligible for payment of gratuity under the Code, or any person authorised, in writing, to act on his behalf, shall apply, ordinarily within thirty days from the date the gratuity became payable, in **Form-XII** to the employer:

Provided that where the date of superannuation or retirement of an employee is known, the employee may apply to the employer before thirty days of the date of superannuation or retirement:

Provided further that an employee on fixed term employment shall be eligible for gratuity, if he renders service under the contract for a period of one year and he shall be paid gratuity at the rate of fifteen days' wages, based on the rate of wages last drawn by him, for every completed year of service or part thereof in excess of six months.

(ii) A nominee of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within

thirty days from the date of gratuity became payable to him, in **Form-XII** to the employer:

Provided that an application in plain paper with relevant particulars shall also be accepted. The employer may obtain such other particulars as may be deemed necessary by him.

(iii) A legal heir of an employee who is eligible for payment of gratuity under the second proviso to sub-section (1) of section 53 shall apply, ordinarily within one year from the date of gratuity became payable to him, in **Form-XII** to the employer.

(iv) Where gratuity becomes payable under the Code before the commencement of these rules, the periods of limitation specified in clauses (i), (ii) and (iii) sub rule (1) shall be deemed to be operative from the date of such commencement.

(v) An application for payment of gratuity filed after the expiry of the periods specified in this rule shall also be entertained by the employer, if the applicant adduces sufficient cause for the delay in preferring his claim, and no claim for gratuity under the Code shall be invalid merely because the claimant failed to present his application within the specified period. Any dispute in this regard shall be referred to the competent authority for his decision.

(vi) An application under this rule shall be presented to the employer either by electronically or personal service or by registered post acknowledgement due.

(2) Notice for payment of gratuity.-

(i) Within fifteen days of the receipt of an application under sub rule (1) for payment of gratuity, the employer shall-

(a) if the claim is found admissible on verification, issue a notice in **Form-XIII** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the amount of gratuity payable and fixing a date, not being later than the thirtieth day after the date of receipt of the application, for payment thereof, or

(b) if the claim for gratuity is not found admissible, issue a notice in **Form-XIII** to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be, specifying the reasons why the claim for gratuity is not considered admissible.

In the case of denial of gratuity a copy of the notice shall be endorsed to the competent authority.

(ii) In case payment of gratuity is due to be made in the employer's office, the date fixed for the purpose in the notice in **Form-XIII** under sub clause (a) of clause (i) shall be re-fixed by the employer, if a written application in this behalf is made by the payee explaining why it is not possible for him to be present in person on the date specified.

(iii) If the claimant for gratuity is a nominee or a legal heir, the employer may ask for such witness or evidence as may be deemed relevant for establishing his identity or maintainability of his claim, as the case may be. In that case, the time limit specified for issuance of notices under clause (i) shall be operative with effect from the date such witness or evidence, as the case may be, called for by the employer is furnished to the employer.

(iv) A notice in **Form-XIII** shall be served on the applicant either by personal service after taking receipt or by registered post with acknowledgement due or electronically.

(v) A notice under sub-section (2) of section 56 shall be in **Form-XIII.**

(3) Mode of payment of gratuity.-

The gratuity payable under the Code shall be paid through Demand Draft or by crediting in the bank account of the eligible employee, nominee or legal heir, as the case may be:

Provided that intimation about the details of payment shall also be given by the employer to the competent authority of the area.

(4) Application to competent authority for direction under clause (b) of sub-section (5) of section 56.-

(i) If an employer-

(a) refuses to accept a nomination under rule 10 or to entertain an application sought to be filed under sub rule (1), or

(b) issues a notice under clause (i) of sub rule (2) either specifying an amount of gratuity which is considered by the applicant less than what is payable or rejecting eligibility to payment of gratuity, or

(c) having received an application under sub rule (1) fails to issue notice as required under sub rule (2) within the time specified therein, the claimant employee, nominee or legal heir, as the case may be, may, within one hundred eighty days of the occurrence of the cause for the application, apply in **Form-XIV** to the competent authority for issuing a direction under sub-section (5) of section 56 with as many extra copies as are the opposite party:

Provided that the competent authority may accept any application under this sub-rule, on sufficient cause being shown by the applicant, after the expiry of the specified period.

(ii) Application under clause (i) and other documents relevant to such an application shall be presented in person to the competent authority or shall be sent by registered post acknowledgement due or electronically.

(5) **Procedure for dealing with application for direction :**

(i) On receipt of an application under sub rule (4) the competent authority shall, by issuing a notice in **Form-XV**, by electronically or registered post acknowledgment due or in person call upon the applicant as well as the employer to appear before him on a specified date, time and place, either by himself or through his authorised representative together with all relevant documents and witnesses, if any.

(ii) Any person desiring to act on behalf of an employer or employee, nominee or legal heir, as the case may be, shall present to the competent authority a letter of authority from the employer or the person concerned, as the case may be, on whose behalf he seeks to act together with a written statement explaining his interest in the matter and praying for permission so to act. The competent authority shall record thereon an order either according his approval or specifying, in the case of refusal to grant the permission prayed for, the reasons for the refusal.

(iii) A party appearing by an authorised representative shall be bound by the acts of the representative.

(iv) After completion of hearing on the date fixed under clause (i), or after such further evidence, examination of documents, witnesses, hearing and inquiry, as may be deemed necessary, the competent authority shall record his finding as to whether any amount is payable to the applicant under the Code. A copy of the finding shall be given to each of the parties.

(v) If the employer concerned fails to appear on the specified date of hearing after due service of notice without sufficient cause, the competent authority may proceed to hear and determine the application ex parte. If the applicant fails to appear on the specified date of hearing without sufficient cause, the competent authority may dismiss the application:

Provided that an order under clause (v) may, on good cause being shown within thirty days of the said order, be reviewed and the application re-heard after giving not less than fourteen days' notice to the opposite party of the date fixed for rehearing of the application.

(6) Place and time of hearing.-

The sittings of the competent authority shall be held at such times and at such places as he may fix and he shall inform the parties of the same in such manner as he thinks fit.

(7) Administration of oath.-

The competent authority may authorise a clerk of his office to administer oaths for the purpose of making affidavits.

(8) Summoning and attendance of witnesses.-

The competent authority may, at any stage of the proceedings before him, either upon or without an application by any of the parties involved in the proceedings before him, and on such terms

as may appear to the competent authority just, issue summons to any person in **Form-XV** either to give evidence or to produce documents or for both purposes on a specified date, time and place.

(9) Service of summons or notice.-

(i) Subject to the provisions of clause (ii) any notice, summons, process or order issued by the competent authority may be served either personally or by registered post acknowledgement due or electronically or in any other manner as prescribed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(ii) Where there are numerous persons as parties to any proceeding before the competent authority and such persons are members of any trade union or association or are represented by an authorised person, the service of notice on the Secretary, or where there is no Secretary, on the principal officer of the trade union or association, or on the authorised person shall be deemed to be service on such persons.

(10) Maintenance of records of cases by the competent authority.-

(i) The competent authority shall record the particulars of each case under section 56 and at the time of passing orders shall sign and date the particulars so recorded.

(ii) The competent authority shall, while passing orders in each case, also record the findings on the merits of the case and file it together with the memoranda of evidence with the order sheet.

(iii) Any record, other than a record of any order or direction, which is required by these rules to be signed by the competent authority, may be signed on behalf of and under the direction of the competent authority by any subordinate officer appointed in writing for this purpose by the competent authority.

(11) Direction for payment of gratuity.-

If a finding is recorded under clause (iv) of sub rule (5) that the applicant is entitled to payment of gratuity under the Code, the competent authority shall issue a notice to the employer concerned in **Form-XVI** electronically or registered post acknowledgment due or in person specifying the amount payable and directing payment thereof to the applicant under intimation to the competent authority within thirty days from the date of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice shall be endorsed to the applicant employee, nominee or legal heir, as the case may be.

(12) Appeal.-

(i) The Memorandum of appeal under sub-section (8) of section 56 of the Code shall be submitted to the appellate authority with a copy thereof to the opposite party and the competent authority either through delivery in person or under registered post acknowledgement due or electronically.

(ii) The Memorandum of appeal shall contain the facts of the case, the decision of the competent authority, the grounds of appeal and the relief sought.

(iii) There shall be appended to the Memorandum of appeal a certified copy of the finding of the competent authority and direction for payment of gratuity.

(iv) On receipt of the copy of Memorandum of appeal, the competent authority shall forward records of the case to the appellate authority.

(v) Within fourteen days of the receipt of the copy of the Memorandum of appeal, the opposite party shall submit his comments of each paragraph of the memorandum with additional pleas, if any, to the appellate authority with a copy to the appellant.

(vi) The appellate authority shall record its decision after giving the parties to the appeal a reasonable opportunity of being heard. A copy of the decision shall be given to the parties to the appeal by electronically or registered post or in person and a copy thereof shall be sent to the competent authority returning his records of the case.

(vii) The competent authority shall, on receipt of the decision of the appellate authority, make necessary entry in the records of the case maintained by him.

(viii) On receipt of the decision of the appellate authority, the competent authority shall, if required under that decision, modify his direction for payment of gratuity and issue a notice to the employer concerned in **Form-XVI** specifying the modified amount payable and directing payment thereof to the applicant, under intimation to the competent authority within fifteen days of the receipt of the notice by the employer. A copy of the notice be endorsed to the appellant employee, nominee or legal heir, as the case may be, and to the appellate authority.

(13) Application for recovery of gratuity.-

Where an employer fails to pay the gratuity due under the Code in accordance with the notice by the competent authority under sub rule (11) or sub rule (12) , as the case may be, the employee concerned, his nominee or legal heir, as the case may be, to whom the gratuity is payable may apply to the competent authority in duplicate in **Form XVII** for recovery thereof under section 129 of the Code.

12. Qualifications and experience of the officer appointed as the competent authority under sub-section (1) of section 58.-

The competent authority shall be appointed by the State Government by notification.

CHAPTER VI

MATERNITY BENEFIT

13. Authority to whom an appeal may be preferred under sub-section (3) of section 72.-

(1) Complaint under section 72.—

(i) A complaint under sub-section (1) of section 72 shall be made in writing in **Form-XVIII** as the case may be.

(ii) When a complaint referred to in section 72 is received by an Inspector-cum-Facilitator, he shall examine the relevant records maintained by the employer in this behalf, examine any person employed in the establishment and take down necessary statement for the purpose of the enquiry and if he is satisfied that the maternity benefit or the amount has been improperly withheld, he shall direct the employer to make the payment to the woman or to the person claiming the payment under section 63, as the case may be, immediately or within a specified period.

(2) Appeal under section 72.-

(i) An appeal against the decision of the Inspector-cum-Facilitator under sub-section (2) of section 72, shall lie to the Competent Authority.

(ii) The aggrieved person shall prefer an appeal in writing to the prescribed Authority in **Form-XIX** and file other supporting documents.

(iii) When an appeal is received, the prescribed Authority shall call from the Inspector-cum-Facilitator before a fixed date, the record of the case. The prescribed Authority shall, if necessary, also record the statements of the aggrieved person, and of the Inspector-cum-Facilitator and seek clarification if any is required.

(iv) Taking into account the documents, the evidence produced before him and the facts presented to him or ascertained by him, the prescribed Authority shall give his decision.

CHAPTER VII

EMPLOYEE'S COMPENSATION

14. The amount to be deposited towards the expenditure of the funeral of the employee with the competent authority by the employer under sub section (7) of Section 76;

Amount of Funeral :-

If the injury of the employee result in his death, the employer shall, in addition to the compensation under sub section (1) , deposit with the competent authority a sum of not less than Rs. 15,000/- or such amount as may be notified by the State Government for the payment of the same to the eldest surviving dependent of the employee towards the expenditure of the funeral of such employee or where the employee did not have a dependent or was not living with his dependent at the time of his death , to the person who actually incurred such expenditure.

15. Conditions when application for review is made without certificate of a medical practitioner under sub section (1) of Section 79 ;

(1) When application may be made without medical certificates.-

Application for review of a half-monthly payment under Section 79 of the code may be made without being accompanied by a medical certificate :-

(i) by the employer, on the ground that since the right to compensation was determined the workmen's wages have increased;

(ii) by the workmen, on the ground that since the right to compensation was determined his wages have diminished;

(iii) by the workmen, on the ground that the employer, having commenced to pay compensation, has ceased to pay the same, notwithstanding the fact that there has been no change in the workmen's condition such as two warrant such cessation;

(iv) either by the employer or by the workmen, on the ground that the determination of the rate of compensation for the time being in force was obtained by fraud or undue influence or other improper means;

(v) either by the employer or by the workman on the ground that in the determination of compensation there is a mistake or error apparent on the face of the record.

(2) Procedure on application for review.-

If, on examining an application for review by an employer in which the reduction or discontinuance of half-monthly payments is sought it appears to the Competent Authority that there is reasonable grounds for believing that the employer has a right to such reduction to discontinuance, he may at any time issue an order after giving the employee likely to be affected thereby an opportunity of being heard for withholding the half monthly payments in whole or in part pending his decision on the application.

(3) Procedure on application for commutation. -

(i) Where application is made to the Competent Authority under Section 7 for redemption of a right to receive half-monthly payments by the payment of a

lump-sum, the Competent Authority shall form an estimated of the probable duration of the disablement, and shall not a sum equivalent to the total of half-monthly payments will would be payable for the period during which he estimated the disablement will continue, less one-half per cent, of that total for each month comprised in that period :

Provided that fractions of a rupee included in the sum so computed shall be disregarded.

(ii) When, in any case to which clause (i) applies, the Competent Authority is unable to form an approximate estimate of the probable duration of the disablement, he may from time to lime postpone a decision on the application for a period not exceeding two months at any one time.

16. Class of employers and the form of notice book under sub section (4) of Section 82.-

The appropriate government may require that any class of employers as may be prescribed by that government shall maintain at there premises at which employees are employed, a notice book, in such form **(See Form No -XX)** prescribed by that government, which shall be readily accessible at all reasonable times to any injured employee employed on the premises and to any person acting bonafide on his behalf.

17. The frequent interval for medical examination under the proviso to sub section (1) of Section 84.-

(1) Workman not to be required to submit to medical examination save in accordance with rule. –

A workman who is required to submit himself for medical examination shall be bound to do so in accordance with the rules contained in this part and not otherwise.

(2) Examination when workman and medical practitioner both on premises. –

When each workmen is present at the employer's premises and the employer offers to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner who is so present, the workman shall submit himself for examination forthwith.

(3) Examination in other cases. –

In cases to which sub rule (2) does not apply the employer may :-

(i) send the medical practitioner to the place where the workman is residing for the time being, in which case the workman shall submit himself for medical examination on being requested to do so by the medical practitioner; or

(ii) send to the workman any offer in writing to have him examined free of charge by a qualified medical practitioner, in which case the workman shall submit himself for medical examination at the employer's premises or at such other

place in the vicinity as is specified in such offer and at such time as is so specified :

Provided that :-

(a) the time so specified shall not, save with the express consent of the workman, be between the hours of 7 p.m. and 6 a.m.; and

(b) in case where the workman's condition renders it impossible or inadvisable that he should leave the place where he is residing for the time being, he shall not be required to submit himself for medical examination save at such place.

(4) Restriction on number of examination.-

A workman who is in receipt of a half-monthly payment shall not be required to submit himself for medical examination else where than at the place where he is residing for the time being more than twice in the first month following the accident, or more than once in any subsequent month.

(5) Examination after suspension of right to compensation.-

If a workman whose right to compensation has been suspended under sub-section (2) or sub-section (3) of Section 84 of the code subsequently offers himself for medical examination, his examination shall take place on the employer's premises or at such other place in the vicinity as may be fixed by the employer, and at a time to be fixed by the employer not being, save with the express consent of the workman more than 72 hours after the workman has so offered himself.

(6) Examination of women.-

(i) No woman shall without her consent be medically examined by a male practitioner save in the presence of another woman.

(ii) No woman shall be required to be medically examined by a male practitioner if she deposits a sum sufficient to cover the expenses of examination by a female practitioner.

18. The statement to be submitted by the employer in the prescribed form under sub section (1) of section 88.-

(1) The notice to be sent by a Competent Authority under sub-section (1) of Section 88 of the code shall be in Form **XXI** and shall be accompanied by a blank copy of **Form XX**.

(2) The statement to be submitted by an employer under Section 88 shall be in **Form XXII** with **Form XX**.

(3) The report in respect of an accident under sub-section (1) of Section 88 may be sent to the authority to whom the notice of such accident is required to be given.

19. The manner of recording the memorandum in a register by the competent authority under sub section (1) of section 89.-

(1) Form of Memorandum. –

Memorandum of agreement sent to the Competent Authority under sub-section (1) of Section 89 shall, unless the Competent Authority otherwise directs be in duplicate and shall be in as close conformity as the circumstances of the case admit with **Form XXIII or Form XXIV or Form XXV**, as the case may be.

(2) Procedure where Competent Authority does not consider that he should refuse to record memorandum.-

(i) On receiving a memorandum of agreement, the Competent Authority shall, unless he considers that there are grounds for refusing to record the memorandum, fix a date for recording the same, and shall issue a notice in writing in **Form XXVI** to the parties concerned that in default of objections he proposes to record the memorandum on the date so fixed ;

Provided that the notice may be communicated orally to any parties who are present at (he time when notice in writing would otherwise issue.

(ii) On the date so fixed, the Competent Authority shall record the memorandum unless, after hearing any of the parties who appear and desire to be heard, he considers that it ought not to be recorded :

Provided that the issue of a notice under clause (i) shall not be deemed to prevent the Competent Authority from refusing to record the memorandum on the date so fixed even if no objection be made by any party concerned.

(iii) If on such date, the Competent Authority decides that the memorandum ought not to be recorded, he shall inform the parties present of his decision and of the reasons therefore, and if any party desiring the memorandum to be recorded is not prevent, he shall send information to that party in **Form XXVII**.

(3) Procedure where Competent Authority considers he should refuse to record memorandum. -

(i) If, on receiving a memorandum of agreement, the Competent Authority considers that there are grounds for refusing to record the same, he shall fix a date for hearing the party or parties desiring the memorandum to be recorded, and shall inform such party or parties and, if he thinks fit, any other party concerned, of the date so fixed and of the grounds on which he considers that the memorandum should not be recorded.

(ii) If the parties to be informed are not present, a written notice shall he sent to them in **Form XXVIII or Form XXIX**, as the case may be, and the date fixed in such notice shall be not less than seven days after the date of the issue of the same.

(iii) If, on the date fixed under clause (i), the party or parties desiring the memorandum to be recorded show adequate cause for proceeding lo the record of the same, the Competent Authority may, if information has already been given to all the parties concerned, recorded the agreement. If information has not been given to all such parties, he shall proceed in accordance with sub rule (2)

(iv) If, on the date so fixed, the Competent Authority refuses to record the memorandum, he shall send notice in **Form XXVII** to any party who did not receive information under clause (i).

(4) Procedure on refusal to record memorandum. -

(i) If, in any case, the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall briefly record his reasons for such refusal.

(ii) If, the Competent Authority refuses to record a memorandum of agreement, he shall not pass any order directing the payment of any sum or amount over and above the sum specified in the agreement, unless opportunity has been given to the party liable to pay such sum to show-cause why it should not be paid.

(iii) Where the agreement is for the redemption of half monthly payments by the payment of lump-sum, and the Competent Authority considers that the memorandum of' agreement should not be recorded by reason of the inadequacy of the amount of such sum as fixed in the agreement, he shall record his estimate of the probable duration of the disablement of the workman.

(5) Registration of memorandum accepted for record. –

In recording a memorandum of agreement, the Competent Authority shall cause the same to be entered in a register in **Form XXX** and shall cause an endorsement to be entered under his signature on a copy of the memorandum to be retained by him in the following terms, namely :-

"This memorandum of agreement bearing serial No.....of.....20.....

in the register has been recorded this day.....of.....20.....

Signature of Competent Authority "

20. Such other experience and qualification for appointment as a competent authority under sub section (1) of section 91;

Eligibility of the Competent Authority –

(i) Member of State Judicial service for a period of not less then five years; Or

(ii) Advocate with practice not less then five years ; Or

(iii) Gazette officer with service not less than five years having educational qualification and experience in personnel management, human resource development, Industrial relation and legal affairs. Or

(iv) Officer of the Labour Department of Chhattisgarh not below the rank of Assistant Labour Commissioner / Deputy Director, Industrial Health and Safety.

21. the manner in which matters may be dealt with by or before a competent authority under sub-section (1) of section 92.-

(1) Introductory.-

Save as otherwise provided in these rules, the procedure to be followed by Competent Authorities in the disposal of cases under the Act or these rules and by the parties in such cases shall be regulated in accordance with the rules contained in this part.

(2) Applications.-

Any application of the nature referred to in Section 93 may be sent to the Competent Authority by registered post or may be presented to him or to any of his subordinate authorised by him in this behalf and, if so sent or presented, shall unless the Competent Authority otherwise directs, be made in duplicate in the appropriate form, if any, and shall be signed and verified by the applicant in the manner prescribed by Order VI Rule 15 of the Code of Civil Procedure 1908 (V of 1908). **(See From XXXI), (See From XXXII), (See From XXXIII)**

(3)Production of documents.-

(i) When the application for relief is based upon a document, the document shall be appended to the application.

(ii) Any other document which the applicant desires to tender in evidence shall be produced at or before the first hearing.

(iii) Any document which is not produced at or within the time specified in clause(1) or (2) as the case may be, shall not, without the sanction of the Competent Authority be received in evidence on behalf of the applicant.

(iv) Nothing in this rule applied to any document which is produced for the purposes of cross-examining a witness or is handed to a witness to refresh his memory.

(4) Application presented to wrong Competent Authority.-

(i) If it appears to the Competent Authority on receiving the application that it should be presented to another Competent Authority, he shall return it to the applicant after endorsing upon it the date of the presentation and return, the reason for returning it and the designation of the Competent Authority to whom it should be presented.

(ii) It appears to the Competent Authority at any subsequent stage that an application should have been presented to another Competent Authority, he shall send the application to the Competent Authority empowered to deal with it and shall inform the applicant (and the opposite party) if he has received a copy of the application under the sub rule (8) accordingly.

(iii) The Competent Authority to whom an application is transferred under clause (ii) may continue the proceedings as if the previous proceedings or any part of them had been taken before him, if he is satisfied that the interest of the parties will not thereby be prejudiced.

(5) Examination of applicant.-

(i) On receiving the application of the nature referred to in Section 93, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witness and forward the record thereof to the Competent Authority.

(ii) The substance of any examination made under clause (i) shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in Section 97.

(6) Summary dismissal of application.-

(i) The Competent Authority may, after considering application and the result of any examination of the applicant under the sub rule (5) summarily dismiss the application, if, for reasons to be recorded, he is of opinion that there are no sufficient grounds for proceeding thereon.

(ii) The dismissal of the application under clause (i) shall not itself preclude the applicant from presenting a fresh application for the settlement of the same matter.

(7) Preliminary inquiry in to application.-

If the application is not dismissed under the sub rule (6), the Competent Authority may, for reasons to be recorded, call upon the applicant to produce evidence in support of the application before calling upon any other party, and if upon considering such evidence the Competent Authority is of opinion that there is no case for the relief claimed, he may dismiss the application with a brief statement of his reasons for so doing.

(8) Notice to opposite party.-

If the Competent Authority does not dismiss the application under the sub rule (6) or sub Rule (7), he shall send to the party from whom the applicant claims relief (hereinafter referred to as the opposite party), a copy of the application, together with a notice of date on which he will dispose of the application and may call upon the parties to produce upon that date any evidence which they may wish to tender.

(9) Appearance and examination of opposite party.-

(i) The opposite party may, and if so required by the Competent Authority, shall, at or before the first hearing or within such time as the Competent Authority may permit, file a written statement dealing with the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.

(ii) If the opposite party contests the claim, the Competent Authority may, and, if no written statement has been filed, shall proceed to examine him upon the claim, and shall reduce the result of the examination to writing.

(10) Framing of issues.-

(i) After considering the written statement and the result of any examination of the parties, the Competent Authority shall ascertain upon what material

propositions of fact or of law the parties are at variance, and shall thereupon proceed to frame and record the issues upon which the right decision of the case appears to him to depend.

(ii) In recording the issues, the Competent Authority shall distinguish between those issues which in his opinion concern points of fact and those which concern points of law.

(11) Power to postpone trial of issues of fact where issues of law arise.-

When issues both of law and of fact arise in the same case, and the Competent Authority is of opinion that the case may be disposed of on the issues of law only, he may try those issues first, and for that purpose may, if he thinks fit, postpone the settlement of the issues of fact until after the issues of law' have been determined.

(12) Diary.-

The Competent Authority shall maintain under his hand a brief diary of the proceedings on an application.

(13) Judgement.-

(i) The Competent Authority in passing orders, shall record concisely a judgement, and his finding on each of the issues framed and his reasons for such finding.

(ii) The Competent Authority, at the time of signing and dating his judgement, shall pronounce his decision, and thereafter no addition or alteration shall be made to the judgement other than the correction of a clerical or arithmetical mistake arising from any accidental slip or omission.

(14) Summoning of witnesses.-

If an application is presented by any party to the proceedings for the citation of witnesses, the Competent Authority shall on payment of the prescribed expenses and Ice. issue summons for the appearance of such witnesses, unless he considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(15) Right of entry for local inspection.-

A Competent Authority before whom any proceeding relating to an injury by accident is pending may at any lime enter the place where the workman was injured, or where the workman ordinarily performed his work, for the purpose of making a local inspection or of examining any persons likely to be able to give information relevant to the proceedings :

Provided that the Competent Authority shall not enter any premises of any industrial establishment except during the ordinary working hours of that establishment save with the permission of the employer or of some person directly responsible to him for the management of the establishment.

(16) Procedure in connection with local inspection.-

(i) If the Competent Authority proposes to conduct a local inspection with a view to examining on the spot the circumstances in which an accident took place, he

shall give the parties or their representative notice of his intention lo conduct such inspection, unless in his opinion the urgency of the case renders the giving of such notice impracticable.

(ii) Such notice may be given orally or in writing, and, in the case of an employer may be given to any person upon whom notice of a claim can be served under sub-section (2) of Section 88, or to the representatives of any such person.

(iii) Any party, or the representative of any party, may accompany the Competent Authority at a local inspection.

(iv) The Competent Authority, after making local inspection, shall note briefly in a memorandum any facts observed, and shall show the memorandum to any party who desires to see the same, and, on payment of the prescribed fees, shall supply any party with a copy thereof.

(v) The memorandum shall form part of the record.

(17) Powers of summary examination.-

(i) The Competent Authority during a local inspection or at any other time, save at a formal hearing of a case pending before him, may examine summarily any person likely to be able to give information relating to such case, whether such person has been or is to he called as a witness in the case or not, and whether any or all of the parties are present or not.

(ii) No oath shall be administered to a person examined under clause(i).

(iii) Statements made by persons examined under clause(i), if reduced to writing, shall not be signed by the person making the statement, nor shall they except as hereinafter provided, be incorporated in the record or utilised by the Competent Authority for the purpose of arriving at a decision in the case.

(iv) If a witness who has been examined under clause(i) makes in evidence any material statement contradicting any statement made by him in such examination and reduced to writing, the Competent Authority may call his attention to such statement, and shall in that case direct that the parties be furnished with the relevant part of such statement for the purpose of examining or cross-examining the witness.

(v) Any statement or part of a statement which is furnished to the parties under clause (iv) shall be incorporated in the record.

(vi) Where a case is settled by agreement between the parties, the Competent Authority may incorporate in the record any statement made under clause (i), and may utilise such statement for the purpose of justifying his acceptance of, or refusal to accept, the agreement reached.

(18) Agreement to abide by Competent Authority's decision.-

(i) If a party states in writing his willingness to abide by the decision of the Competent Authority, the Competent Authority shall inquire whether the other party is willing to abide by his decision.

(ii) If the other party agrees to abide by the Competent Authority's decision, the fact of his agreement shall be recorded in writing and signed by him.

(iii) If the other party does not agree to abide by the Competent Authority's decision, the first party shall not remain under an obligation so to abide.

(19) Procedure where indemnity claimed under Section 85 (2).-

(i) Where the opposite party claims that if compensation is recovered from him he will be entitled under sub-section (2) of Section 85 to be indemnified by a person not being a party lo the case, he shall, when first called upon to answer the application, present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee, and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person in **Form XXXIV**.

(ii) If any person served with a notice under clause (i) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the opposite party's claim to be indemnified, he shall appear before the Competent Authority on the date fixed for the hearing of the case or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings; and in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and to admit its own liability lo indemnify the opposite party for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after giving notice to the aforesaid opposite party, hear such person and may set-aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms as may be just.

(iii) If any person served with a notice under clause(i), whether or not he desires to contest the applicant's claim for compensation or the opposite party's claim to be indemnified, claims that being a contractor he is himself a principal and is entitled to be indemnified by a person standing to him in the relation of a contractor from whom the workman could have recovered compensation he shall on or before the date fixed in the notice under clause(i) present a notice of such claim to the Competent Authority accompanied by the prescribed fee and the Competent Authority shall thereupon issue notice to such person in **Form XXXV**.

(iv) If any person served with a notice under clause(iii) desires to contest the applicant's claim for compensation, or the claim under clause(iii) to be indemnified he shall appear before the Competent Authority on the date fixed in the notice in **Form XXXV** or on any date to which the case may be adjourned and if he so appears, shall have all the rights of a party to the proceedings in default of so appearing he shall be deemed to admit the validity of any award made against the original opposite party or the person served with a notice under clause(i) and to admit his own liability to indemnify the party against whom such award is made for any compensation recovered from him :

Provided that, if any person, so served appears subsequently and satisfies the Competent Authority that he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Competent Authority shall, after giving notice to all parties on the record, hear such person, and may set-aside or vary any award made against such person under this rule upon such terms as may be just.

(v) In any proceeding in which a notice has been served on any person under clause (i) or clause(iii), the Competent Authority shall, it' he awards compensation, record in his judgement a finding in respect of each of such persons whether he is or is not liable to indemnify any of the opposite parties, and shall specify the party, if any, whom he is liable to indemnify.

(20) Procedure in connected cases.-

(i) Where two or more cases pending before a Competent Authority arise out of the same accident, and any issue involved is common to two or more such cases, such cases may, so far as the evidence bearing on such issue is concerned, be heard simultaneously.

(ii) Where action is taken under clause (i), the evidence bearing on the common issue or issues shall be recorded on the record of one case, and the Competent Authority shall certify under his hand on the records of any such other case, the extent to which the evidence so recorded applies to such other case, and the fact that the parties to such other case had the opportunity of being present, and, if they were present of cross-examining the witnesses.

(21) Certain provisions of Code of Civil Procedure, 1908 to apply.-

Save as otherwise expressly provided in the Act or these rules, the following provisions of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 191)8. namely, those contained in Order V Rules 9 to 13 and 15 to 30, Order IX. Order XII Rules 3 to 10, Order XVI Rules 2 to 21, Order XVII, Order XVIII Rules 1 and 2 shall apply to proceedings before Competent Authorities, in so far they may be applicable thereto :

Provided that :-

(a) For the purpose of facilitating the application of the said provisions, the Competent Authority may construe them with such alterations not affecting the substantive as may be necessary or proper to adopt them to the matter before him;

(b) The Competent Authority may, for sufficient reasons, proceed otherwise than in accordance with the said provisions, if he is satisfied that the interests of the parties will not thereby be prejudiced.

(22) Provisions regarding signature of forms.-

Any form, other than a receipt for compensation, which is by these rules required to be signed by a Competent Authority may be signed under his direction and on his behalf by any officer subordinate to him appointed by him in writing for this purpose.

(23) Apportionment of compensation among dependents.-

The provisions of this part except those contained in sub rules (8), (9) and (19) shall as lar as may be apply in the case of any proceedings relating to the apportionment of compensation among dependents of a deceased workman.

(24) Reasons for postponement to be recorded. –

If the Commissioner finds it impossible to dispose of an application at one hearing he shall record the reasons which necessitate a postponement.

(25) Exemption from payment of costs.-

If the Competent Authority is satisfied that the applicant is unable, by reason of poverty, to pay the prescribed fees, he may remit any or all of such fees. If the case is decided in favour of the applicant, the prescribed fees which, they had not been remitted, would have been due to be paid, may be added to the cost of the case and recovered in such manner as the Competent Authority in his order regarding costs may direct

22. time-limit for disposal of application and costs incidental to the proceeding under sub-section (4) of section 93.-

Time limit of disposal of cases relating to compensation.-

The competent authority shall dispose of the matter relating to compensation under this code within a period of three months from the date of reference and intimate the decision in respect thereof within the said period to the employee.

23. The manner of authentication of memorandum under section 97 .-

Examination of applicant. -

(i) On receiving the application of the nature referred to in Section 93, the Competent Authority may examine the applicant on oath or may send the application to any officer authorised by the State Government in this behalf and direct such officer to examine the applicant and his witness and forward the record thereof to the Competent Authority.

(ii) The substance of any examination made under clause(i) shall be recorded in the manner provided for the recording of evidence in Section 97.

CHAPTER VIII

SOCIAL SECURITY AND CESS IN RESPECT OF BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKERS

24. Time limit to pay the amount of cess and the rate of interest in case of delayed payment of cess under section 101.-

If any employer fails to pay any amount of cess payable under section 100 of the Code, within such time as may be specified in the assessment order, or 30 days from the date of issue of the assessment order, whichever is earlier, such employer shall be liable to pay interest on the amount of cess, to be paid, at the rate of one percent. for every month or part of a month comprised in the period from the date on which such payment was due till such amount is actually paid.

25. Fees for appeal under sub-section (2) of section 105:-

The such appeal, inter-alia, shall be accompanied with— a non-refundable fee equivalent to half percent, but not exceeding rupees twenty five thousand of the amount in dispute or penalty or both, as the case may be, under such appeal; which will be deposited in Labour Department head of account **0230-01-800** in Treasury by e-challan of the State Government.

CHAPTER IX

SOCIAL SECURITY FOR UNORGANISED WORKERS, GIG WORKERS AND PLATFORM WORKERS.

CHAPTER X

FINANCE AND ACCOUNTS

26. Conditions to acquire, hold, sell or otherwise transfer any movable or immovable property under sub-section (1), conditions to invest moneys, re-invest or realise investments under sub-section (2) terms to raise loans and take measures for

discharging such loans under sub-section (3) and terms to constitute for the benefit of officers and staff or any class of them, provident or other benefit funds under sub-section (4) of section 120.-

(1) The Board may, as soon as may be after the coming into force of these rules constitute a fund to be called the **Chhattisgarh Social Security Fund.** In accordance with the provision of the code and these rules. The fund vest in and be administered by the board.

(2) Investment; All moneys belonging to the fund may be invested in nationalised bank or in securities referred to in clause (a) to (d) of section 20 of the Indian Trust Act, 1882 (Central Act 2 of 1882)

(3) According to sub section (3) of Section 120 Board may be receive Loan / fund in advance form the State Governemnt and will be return according to terms and condition for the same

(4) Time to time each of the social security organization with the prior approval of the state government and on such terms as may be describe by the state government , constitute for the benefit of its officers and staff or any class of them, such provident or other benefits fund as it may think fit.

27. Conditions and manner of writing off irrecoverable dues under section 121.-

(1) Where the State Social Security Board is of the opinion that the amount of contribution, cess, interest and damages due to the State Social Security Board has become irrecoverable, The State Social Security Board or any other officer authorised by it in this behalf with prior approval of Government may sanction the writing off of the said amount, subject to the following conditions, namely: —

(i) establishment has been closed for more than five years and the whereabouts of the employer cannot be ascertained, despite all possible efforts;

(ii) decree obtained by State Social Security Board could not be executed successfully for want of sufficient assets of the defaulting employer; or

(iii) claim for contribution is not fully met by —

(a) the Official Liquidator in the event of factories/establishments having gone into liquidation; or

(b) the Competent Authority of payments in the event of unit being nationalised or taken over by the Government.

CHAPTER XI

Authorities Assessment Compliance & Recovery

28. Other powers of Inspector- cum- Facilitator under clause (e) of sub section (6) of Section 122;

The inspector- cum- facilitator can exercise such powers which will be determined by the state government time to time by order.

29. Form and manner for maintenance of records and registers and other particulars and details under clause (a), manner and form for display of notices at the work places of the employees under clause (b) and the manner and period of filing returns to the officers or authority under clause (d) of section 123.-

(1) Register of Women Employees.-

(i) The employer of every establishment in which women are employed shall prepare and maintain a register of women employees in **Form XXXVI** electronically or in hard copy and shall enter therein particulars of all women workers in the establishment.

Further, it shall always be available for inspection under notified inspection scheme for the Inspector-cum-Facilitator.

(ii) The employer may enter in the register of women employees such other particulars as may be required for any other purpose of the Code.

(2) Records.—

Records kept under the provisions Chapter V of the Code and the rules framed there under shall be preserved for a period of two years from the date of their preparation.

(3) Annual returns.-

(i) The employer to which the provisions of Chapter V of the Code applies, on or before the 1st day of February in each year, upload a unified annual return in prescribed **Form- under** rule of the code of the Occupational Safety, Health and Working Conditions (Chhattisgarh) Rules 2021 online on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour, giving information as to the particulars specified, in respect of the preceding year:

Provided that during inspection, the Inspector-cum-Facilitator may require the production of accounts, books, register and other documents maintained in electronic form or otherwise. Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the expression “electronic form” shall have the same meaning as assigned to it in clause (r) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

(ii) If the employer to which the Code applies sells, abandons or discontinues the working of the establishment, then, he shall, within one month of the date of such sale or abandonment or four months of the date of such discontinuance, as the case may be, upload online, on the web portal of the State Government in the Ministry of Labour, a further unified return referred to in clause(i) in respect of the period between the end of the preceding year and the date of the sale, abandonment or discontinuance.

CHAPTER XII
OFFENCES AND PENALTIES

30. Manner of compounding of offences by the authorisied officer specified under sub-section (1) of section 138 and the form and manner of making application for the compounding of an offence under sub-section (4) of section 138.-

(1) The officer authorized by the State Government by notification for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 138 shall issue electronically a compounding notice in **Form-XXXVII** for the offences for which are compoundable under section 138.

(2) The person so noticed may apply in Part III of the **Form-XXXVII** to the officer electronically and deposit the entire compounding amount by electronic transfer or otherwise, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) The Compounding Officer shall issue a composition certificate in Part IV of **Form-XXXVII** within ten days of receipt of the composition amount, to such person from whom such amount has been received in satisfaction of the composition notice.

(4) If a person so noticed fails to deposit the composition amount within the prescribed time, the prosecution shall be instituted before the competent Court or the offence in respect of which the compounding notice was issued, against such person.

(5) Composition after institution of prosecution.-

(i) The Court may compound any compoundable offence at any time after filing of a complaint under section 138 of the Code.

(ii) The provisions of section 320 of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall apply to such compositions.

CHAPTER XIII

EMPLOYMENT INFORMATION AND MONITORING

31. Manner and form of reporting vacancies and form of filing the return by the employer, to the concerned career centre under sub-section (2) of section 139.-

(1) Reporting of Vacancies to Career Centre.-

(i) After the commencement of this Code in any State or area there of, the employer in **every establishment in public sector** in that State or area shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such **Career Centre**, as may be specified in the notification by the State Government.

(ii) The employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, report that vacancy or cause to be reported to such **Career Centre** from such date as may be specified in the notification by the State Government.

(iii) The State Government shall provide for mechanism (including digital) for receipt of vacancies reported by the employers. **Career Centre** to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than three working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

Explanation: (1) "**Establishment in public sector"** means an establishment owned, controlled or managed by -

(i) the Government or a Department of the Government

(ii) a Government company as defined in clause (45) of Section 2 of the Companies Act, 2013(No. 18 of 2013);

(iii) a corporation (including a co-operative society) or an autonomous organization or an authority or a body established by or under a Central or State Act, which is owned ,controlled or managed by the Government; and

(iv) a local authority.

(2)"**Establishment in private sector"** means an establishment which is not an establishment in public sector and with ordinarily 20 or more employees or such number of employees as may be notified by the State Government.

(3) The State Government, having no career centre or digital portal of its own, may specify by notification reporting of vacancies by establishments in an area thereof to the digital portal or to the Career Centre of the Central Government.

(2) Type of vacancies and respective Career Centre for reporting of vacancies.-

(i) The following vacancies, namely-

(a) All vacancies in posts of Technical and Scientific nature carrying a minimum pay or pay level or both as notified by the Central Government, occurring in establishments in respect of which the Central Government is the appropriate Government under the Code; and

(b) Vacancies which an employer may desire to be circulated to the Career Centers outside the State or Union Territory in which the establishment is situated.

shall be reported to such Career Centre(Central) as may be specified by the Central Government *by notification*.

(ii) Vacancies other than those specified in clause (i) of sub rule (2) above, shall be reported to the Career Centre (Regional) concerned.

(iii) Vacancies which have been reported to the Career Centre (Regional) and for which recruitment is to be made on State or Inter-State or all India basis, shall also be reported to Career Centre(Central) or uploaded on a digital portal as specified by the Central Government by notification.

(3)Form and manner of reporting of vacancies.-

(i) The vacancies shall be reported in writing or through valid official email or digitally to the Career Centre specified by the Appropriate Government.

(ii) The vacancies shall be reported in the format given at Form-XXXVIII, furnishing as many details as practicable, separately in respect of each type of vacancy.

(iii) Any change in the particulars already furnished to the Career Centre under clause (a) of sub-rule(3), shall be reported in writing or through official email or digitally as the case may be, to the specified Career Centre.

(4) Time limit in the reporting of vacancies.-

(i) Vacancies, required to be reported to the Career Centre(Regional), shall be reported at least fifteen days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(ii) Vacancies required to be reported to the Career Centre(Central) shall be reported at least forty days before the last date of receipt of the applications of the prospective candidates for purpose of appointment or taking interview or test against the vacancies reported.

(5) Maintenance of record.-

(i) After commencement of this Code in any state or area thereof, the employers in every establishment in the public sector in that state or area shall maintain records manually or electronically or digitally about

(a) Total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on *31st March* of every year;

(b) Persons recruited during the year ending on*31st March;*

(c) Occupational details of its employees on 31st March of every year;

(d) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(e) Approximate number of vacancies likely to occur during the next financial year.

(ii) Appropriate Government may by notification, require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishment in private sector shall maintain records manually or electronically or digitally about

(a) Total number of employees (regular, contractual or fixed term employment) on 31st March of every year;

(b) Persons recruited during the year ending on 31st March;

(c) Occupational details of its employees on 31st March of every year;

(d) Vacancies for which suitable candidates were not available during the year ending on 31st March; and

(e) Approximate number of vacancies likely to occur during the *next financial year*.

(6) Submission of returns.-

An employer shall furnish to the concerned Career Centre(Regional) yearly returns in form EIR(Employment Information Return) as given at **Form-XXXIX** Yearly returns shall be furnished manually or, electronically, or digitally, as the case may be, as specified by the respective State Government in notification, within thirty days of the due date namely *31st March* of the year.

(7) Declaration of Executive Officer.-

(i) The Director of Employment or officer of his equivalent or above rank, controlling the work of Career Centres (Regional) of the respective State Government, will declare in writing an officer looking after the work of Career Centres(Regional) as "Executive Officer" for each district for the purpose of enforcement /implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring) of the Code. He shall be the officer who shall exercise the rights and perform duties referred to in section 139 of the Code, or authorize any person in writing to exercise those rights and perform duties.

(ii) The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Directorate General of Employment, Ministry of Labour & Employment, New Delhi, will declare in writing an officer looking after the work of Career Centres(Central) as "Executive Officer" for the purpose of enforcement /implementation of Chapter XIII (Employment Information and Monitoring)of the Code. He shall be the officer who shall exercise the rights and perform duties referred to in Section 139 of the Code.

(8) Levy of penalty under the Chapter XIII of the Code.-

The Director of Employment or an officer of equivalent or above rank, controlling the work of Career Centres(Regional) of the respective State shall be the competent authority to approve institution or sanction the institution of levy of penalty for an offence under the Code as mentioned in section 133.

(9) Issue of guideline.-

For implementation of provisions of Code on Social Security, 2020 relating to Chapter XIII and rules thereof, the Central Government may issue detailed guidelines which may be supplemented further by the respective State Government as per local needs.

CHAPTER XIV

MISCELLANEOUS

32. Such other sources of funding and the manner of administering and expending of the Fund under sub-section (5) of section 141.-

(1) There shall be established by the state government a social security fund for the welfare of the unorganized workers in which there shall be credited the amount received from.-

i. Wholly funded by the Central Government; or
ii. Partly funded by the Central Government and partly funded by State Government;
iii. Partly funded through contributions collected from the beneficiaries of the scheme or the employers as may be specify in the scheme by the Central Government.
iv. Funded from any source including corporate social responsibility fund within the meaning of the companies act 2013 (18 of 2013) or any other sources as may be specify in the scheme.
v. Any grant or loan received from the central government.
vi. Funded from state government by Budget.
vii. Other sources notified by the State Government.

The State Government may seek financial assistance from the Central Government for the schemes framed by it.

(2) The scheme will be prepared for the unorganised worker registered as a beneficiary and it's family by the unorganized Social Security Board with the prior approval of the state government and the funds will be utilised under the notified scheme.

33. The time within which the Central Board or the Corporation, as the case maybe, shall forward its view to the appropriate Government under sub-section (1),conditions which the exempted establishment or the class of establishments or anemployee or class of employees, as the case may be, shall comply with after suchexemption under sub-section (2) and conditions for management of the trust undersub-section (5) of section 143.-

(1) The State Board, shall forward its views on the application seeking exemption under section 143 of the Code to the appropriate government within six months of receipt of proposal for exemption. If State Board ,is unable to provide its views within the said period, the appropriate government may extend the time limit or take action on the application of exemption, as it may deem fit.

(2) The establishment to which exemption has been granted from the provision of Chapter IV of the Code.-

(i) shall maintain such records regarding the exempted employees and submit such returns and other information to the Corporation as may be specified by the Central Government in the Regulations; and

(ii) in case of change of legal status of an establishment which has been granted exemption under section 143 of the Code, due to merger, demerger, acquisition, sale, amalgamation, formation into a subsidiary, whether wholly owned or not, etc. the exemption shall be deemed to be cancelled and the establishment shall be required to apply afresh for exemption, to the appropriate Government.

*****

FORM – I
(See Sub rule (10) of rule 7)

In the Employers Insurance Court at ……

A B (add description and residence)…… Applicant

Against

C D (add description and residence) …….. Opposite party. Other particulars of the application specified in sub rule 11 ……...

Date …….

…….

Signature of the applicant

(Verification by the Applicant)

The statement of facts contained in this application is, to the best of may knowledge and belief, true and correct.

Date …….

…….

Signature of the applicant

FORM – II
(See Sub rule (11) & (19) of rule 7)

List of document produced by applicant/Opposite party (Title), e.g.. Description, Subject, Name of the court, no. etc.

No.	Description of document	Date of may which the document bear	Signature of party or pleader or any authorized representative.
(1)	(2)	(3)	(4)

FORM – III

(See Sub rule (12) of rule 7)
Resister of Proceedings

Employees' Insurance Court at …….. Register of Proceedings in the yea 20……

Date of presentation of application	No. of Proceedings	Applicant Name	Application description	Place of residence
1	2	3	4	5

Opposite party		Place of residence	Claim		When the cause of action accrued
			Particulars	Amount of Value if any	
Name	Description				
6	7	8	9	10	11

Appearance			Final Order		
Day for the parties to appear	applicant	Opposite party	Date	For whom	For what of amount
12	13	14	15	16	17

Appeal		**Execution**					**Other**
Date of description of appeal, If any	**Judgment of appeal**	**Date of applica-tion**	**Againts whom**	**For what & amount of money**	**Amount of cost**	**Date of order trans-fering to another Civil Court of …..at**	**Re mark if any**
18	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**

FORM – IV

(See Sub rule (15) of rule 7)

Summons for disposal of proceedings (Title)

To

……

(Name, description and place of residence).

Where as ……. Has instituted proceeding against you for …….. you are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agents duty instructed and able to answer all material questions relating to the case, or who shall be accompanied by some person able to answer all such questions at …… O'clock in the …… noon on the ……. Day of ……..20....., to answer the claim, and the day fixed for your appearance is appointed for the final disposal of the proceedings, you must be prepared to produce on that day all the witnesses, upon whose evidence and all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice, that, in default of your appearance on the before mentioned the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this ……. Day of ……20.....

Court

Notice 1. - Should be apprehend your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.

2. If you admit the claim, you should pay the money into Court together with the cost of the proceedings, to avoid execution of the, which may be passed against your person or property or both.

FORM – V

(See Sub rule (15) of rule 7)

Summons for Settlement of issues

To

……

(Name, description and place of residence).

Where as ……. has instituted proceeding against you for …….. you are hereby summoned to appear in this Court in person or by authorized agents duty instructed and able to answer all material questions relating to the proceedings, or who shall be accompanied by some person able to answer such questions at …… O'clock in the …… noon on the ……. day of ……..20....., to answer the claim, and you are directed to produce on that day all the documents upon which you intend to rely in support of your defense.

Take notice that, in default of your appearance on the before mentioned the case will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the seal of the Court, this ……. day of …….20.....

Court

Notice 1. - Should you apprehend your witnesses will not attend of their own accord, you can have a summons from this Court to compel the attendance of any witness, and the production of any document hat you have a right to call on the witness to produce, on applying to the Court and on depositing the necessary expenses.

2. If you admit the claim, you should pay the money into the Court together with the cost of the suit, to avoid execution of the decree, which may be passed against your person or property or both.

FORM – VI

(See Sub rule (23) of rule 7)

Subjects-Application for setting aside the Ex parte order

The ……. above named stated as follow :-

(Ground of Application should be stated)

Date …….

……..

Signature of the applicant

(Verification by the Applicant)

The statement of facts contained in the application is, to the best of may knowledge and belief, true and correct.

Date ……..

Place …… ……..

Signature

FORM – VII

(See Sub rule (23) of rule 7)

Central Form

(Title)

To

Whereas the above named …… has made application to this ……. You are herby warned to appear in the Court in person or by a pleader duly instructed at …….. O' clock in the …… noon, on the ……. Day of ……20..... To show cause against the application failing wherein, the said application will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the Court this …….. day of ……20.....

COURT

FORM – VIII

(See Sub rule (24) of rule 7)

Summons to witness

(Title)

Whereas your attendance is required to …… on behalf of the ……. In the above proceedings you are hear by required (personally) to appear before this Court o the ……. Day of ……. 20..... at O'clock in the ……. Noon, and to bring will you (or to send to this ……. Court)……

A sum of Rs……. Being your travelling and the other expenses and subsistence allowance for one day, is deposited with this Court and will be tendered to you on the day you appear before the Court. If you fail to comply with this order without lawful excuse, you will be subject to the consequence of non-attendance laid down in rule 12 of order XVI of the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908).

Given under my hand and the deal of the Court, this day of 20…….

COURT

Notice 1. If you are summoned only to produce a document and not to give evidence, you shall be deemed to have complied with the summons if you cause such document to be produced in this Court on the day and hour aforesaid.

2. If you are detained beyond the day aforesaid, a sum of Rs …….. will be tendered to you for each day's attendance beyond the day specified.

FORM – IX

(See Sub rule (37) of rule 7)

Decree in case

Claim for

This case coming on this day of final disposal before …… in the presence of …….. for the applicant and of …….. for the opposite party, it is ordered ad decreed the …….. and that the sum of Rs ……. Be paid by the …….. to the ……. On account of the costs of this suit, with interest thereon at the rate of …….. percent per annum from this date to the date of realization. Given under my hand and the deal of the Court, this …..... day of …….. 20.....

Costs of Suits

Rs. Paise	Rs. Paise
Stamp for application	Stamp for power
Stamp for power	Stamp for written statement
Stamp for exhibits	Pleader's fee
Pleader's fee	Subsistence for witness
Subsistence for witness	Service of summons and Notices
Competent Authority's fee	Competent Authority's fee
Service of summons and Notices	
Total ……..	Total ……..

FORM – X
(See Sub rule (39) of rule 7)
Application for the Execution of Decree

In the Court of ……. Decree Holder, hereby apply for execution of the decree herein below set forth.

Number of Proceedings	Name/s of Party/Parties	Date of decree	Whether any appeal preferred from decree	Payment of adjustment made, if any
1	2	3	4	5
III of 1949	A.B. Opposite party		No.	None

Pervious application, if any with date and result	Amount with interest due upon the decree or other relief granted thereby together with particulars of any cross decree	Amount of costs if any awarded	Against whom to be executed
6	7	8	9

Mode in which the assistance of the Court is required	(When attachment and sale of immovable property sought) I pray that the total amount of Rs…… (together with interest on the principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realized by attachment and sale of the opposite party's movable property as per annexed list and paid to me
9	10
	(When attachment and sale of immovable property sought) I pray that the total amount of Rs…… (together with interest on principal sum up to date of payment) and the cost of taking out this execution be realised by attachment and sale of the opposite party's movable property specified at the foot of this application and paid to me

I ……. Declare that what it stated herein is true to the best of my knowledge and belief .
Date the …… day of 20.....
Signature ……..
Decree holder

FORM-XI

[See sub rule (1),(2), (3) and (4) of Rule 10]

Nomination/Fresh Nomination/Modification of Nomination

(Strike out the words not applicable)

To……
……..
(Give here name or description of the establishment with full address)

I, Shri/Shrimati/Kumari……(Name in full here)whose particulars are given in the statement below, hereby nominate the person(s) mentioned below/ have acquired a family within the meaning of clause (33) of section 2 of , 2020 with effect from the ……(date here) in the manner indicated below and therefore nominate afresh the person(s) mentioned below to receive the gratuity payable after my death as also the gratuity standing to my credit in the event of my death before that amount has become payable, or having become payable has not been paid and direct that the said amount of gratuity shall be paid in proportion indicated against the name(s) of the nominee(s).

or

I, Shri/Shrimati/Kumari……(Name in full here) whose particulars are given in the statement below, hereby give notice that the nomination filled by me on date …… and recorded under your reference No…….dated……. shall stand modified in the following manner-

**Strike out unnecessary portion.*

2. I hereby certify that the person(s) mentioned is/are a member(s) of my family within the meaning of clause(33) of section 2 of the , 2020.

3. I hereby declare that I have no family within the meaning of clause (33) of section 2 of the said Code.

4 (a) My father/mother/parents is/are not dependent on me.

(b) My husband's father/mother/parents is/are not dependent on my husband.

5. I have excluded my husband from my family by a notice dated the…… to the competent authority in terms of clause (33) of section 2 of the said Code.

6. Nomination made herein invalidates my previous nomination.

Nominee(s)

S.No.	Name in full with full address of nominee(s)	Relationship with the employee	Age of nominee	Proportion by which the gratuity will be shared
1. 2. 3. So on				

Manner of acquiring a "Family"

(Here give details as to how a family was acquired, i.e., whether by marriage or parents being rendered dependent or through other process like adoption)

Statement

1. Name of employee in full

2. Sex

3. Religion

4. Whether unmarried/married/widow/widower

5. Department/Branch/Section where employed

6. Post held with Ticket No. or Serial No., if any

7. Date of appointment

8. Permanent address:

Village……. Thana……..…… Sub-division……..Post-Office……
Pin-Code……District……State…… E-mail ID……Mobile Number……
Place:
Date:
Signature/Thumb-impression of the
Employee

Certificate by the Employer

Certified that the particulars of the above nomination have been verified and recorded in this establishment.

Employer's Reference No., if any
Signature of the employer/Officer authorised
Designation
Date: Name and address of the establishment or
rubber stamp thereof.

Acknowledgement by the Employee

Received the duplicate copy of nomination in **Form-XI** filed by me and duly certified by the employer.

Date: …….
Signature of the Employee

FORM-XII

[See sub rule (1) of Rule 11]

Application for Gratuity by an Employee/Nominee/Legal Heir

(Strike out the words not applicable)

To,……
(Give here name or description of the establishment with full address)

Sir/Madam,

I, ……..(name of employee/nominee/legal heir) /nominee of late…….(Name of the employee)/ as a legal heir of late…….(Name of the employee), beg to apply for payment of gratuity to which I am entitled under sub-section (1) of section 53 of the , 2020 on account of-

(a) my superannuation/retirement/resignation after completion of not less than five years of continuous service/total disablement due to accident/total disablement due to disease/ on termination of contract period under fixed term employment with effect from the……..or;

(b)death of the aforesaid employee while in service/superannuation on……after completion of……..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from the……or;

(c)death of aforesaid employee of your establishment while in service/superannuation on……(date) without making any nomination after completion of ……..years of service/total disablement of the aforesaid employee due to accident or disease while in service with effect from……

Necessary particulars relating to my appointment are given in the statement below.

1. Name of employee in full, (if, the gratuity is claimed by an employee)
   a. Marital status of employee(unmarried/married/widow/widower)
   b. Address in full of employee
      or
2. Name of nominee/legal heir, (if the gratuity is claimed by nominee/legal heir)
   a. Name of Employee
   b. Marital status of nominee/legal heir(unmarried/married/widow/widower)
   c. Relationship of nominee/legal heir with the employee
   d. Address in full of nominee/legal heir
   e. Date of death and proof of death of the employee
   f. Reference No. of recorded nomination if available

3. Department/Branch/Section where last employed

4. Post held by employee.

5. Date of appointment.

6. Date and cause of termination of service

7. Date of Death

8. Total period of service of the employee

9. Total wages last drawn by the employee.

10. Total gratuity payable to the employee/ share of gratuity claimed by a nominee/legal heir.

11. Payment may please be made by crossed bank cheque/credit in my bank account no…...

Yours faithfully,
Signature/Thumb-impression of the
applicant employee/nominee/legal heir.
Place:
Date:

FORM-XIII

[See sub rule (2) of Rule 11]

Notice for Payment/Rejecting claim of Gratuity

(Strike out the words not applicable)

To,……
…….
(Name and address of the applicant employee/nominee legal heir)

You are hereby informed that

(a) *as required under sub-clause (ii) of clause (a) of clause(2) of rule 35 of the (Central) Rules, 2020, that your claim for payments of gratuity as indicated on your application in **Form-IV** under the said rules is not admissible for the reasons stated below:

Reasons(Here specify the reasons); or

(b) *as required under sub-clause (i) of clause (a) of clause(2) of rule 35the (Central) Rules, 2020 that a sum of Rs. ……..(Rupees……) is payable to you as gratuity/as your share of gratuity

in terms of nomination made by ……..on ……and……recorded in this ……as a legal heir of…….an employee of this establishment.

2.*Please call at ……..on…… (Here specify place)……..(date) at…….(time) for collecting your payment of gratuity crossed cheque.

3. Amount payable shall be sent to you through demand draft or shall be credited in your bank account as desired by you.
4. Brief statement of calculation
   (a) Date of appointment.
   (b) Date of termination/superannuation/resignation/ disablement/death.
   (c) Total period of service of the employee concerned: …….years…….. months.
   (d) Wages last drawn:
   (e) Proportion of the admissible gratuity payable in terms of nomination/as a legal heir:
   (f) Amount payable:

**strike out para, if, not applicable*

Place:

Date: Signature of the Employer/authorised officer.

Name or description of establishment or
rubber stamp thereof.

Copy to: The Competent Authority in case of denial of gratuity.

Copy also to: Office of DG Labour Bureau, Ministry of Labour and Employment, Chandigarh.

FORM-XIV

[See sub rule (4) of Rule 11]

Application for Direction

Before the Competent Authority for Chapter V under the Code, 2020

Application No. Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer concerned with full address)

The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late…… an employee of the above-mentioned employer/a legal heir of late…… and employee of the above-mentioned employer, and is entitled to payment of gratuity under section 53 of the , 2020 on account of his own/aforesaid employee's superannuation on……(date)/his own retirement/aforesaid employees'

resignation on……..(date) completion of……years of continuous service/his own/aforesaid employees' total disablement with effect from …….(date)due to accident/disease death of aforesaid employee on…….

2. The applicant submitted an application under Rule…… of the (Central) Rules, 2020 on the …….but the above-mentioned employer refused to entertain it/issued a notice dated the……. under clause ……of clause of rule …….offering an amount of gratuity which is less than my due/issued a notice dated ……..the under clause……. of sub-rule……of rule……. rejecting my eligibility to payment of gratuity. The duplicate copy of the said notice is enclosed.

3. The applicant submits that there is a dispute on the matter (specify the dispute).

4. The applicant furnishes the necessary particulars in the annexure hereto and prays that the Competent Authority may be pleased to determine the amount of gratuity payable to the petitioner and direct the above-mentioned employer to pay the same to the petitioner.

5. The applicant declares that the particulars furnished in the annexure hereto are true and correct to the best of his knowledge and belief.

Date:

Signature/Thumb impression of the applicant.

ANNEXURE

1. Name in full of applicant with full address
2. Basis of claim (Death/Superannuation/Retirement/Resignation/Disablement of Employee/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
3. Name and address in full of the employee
4. Marital status of the employee (unmarried/married/widow/widower)
5. Name and address in full of the employer
6. Department/Branch/Section where the employee was last employed (if known)
7. Post held by the employee with Ticket or Sl. No., if any (if known)
8. Date of appointment of the employee (if known)
9. Date and cause of termination of service of the employee (Superannuation / retirement / resignation /disablement / death/Completion of contract period under Fixed Term Employment)
10. Total period of service by the employee
11. Wages last drawn by the employee
12. If the employee is dead, date and cause thereof
13. Evidence/witness in support of death of the employee
14. If a nominee, No. and date of recording of nomination with the employer
15. Evidence/witness in support of being a legal heir if a legal heir
16. Total gratuity payable to the employee (if known)
17. Percentage of gratuity payable to the applicant as nominee/legal heir
18. Amount of gratuity claimed by the applicant

Place:

Date: Signature/Thumb-impression of the applicant

FORM– XV

[(See Sub rule (5) and (8) of Rule 11]

Notice for Appearance before the Competent Authority/Summon

(Strike out the words not applicable)

To,
(Name and address of the employer/applicant)

Whereas Shri ……..an employee under you/a nominee(s)/legal heir(s) of Shri…….an employee under the above-mentioned employer, has/have filed an application under clause(4) of rule 35 of the (Central) Rules, 2020 alleging that----

(A copy of the said application is enclosed, if, summon is issued then copy of application is not required)
Now, therefore, you are hereby called upon/summoned to appear before the Competent Authority at ……..(place)either personally or through a person duly authorized in this behalf for the purpose of answering all material questions relating to the application on the ….. day of ……20….. at …….'O' clock in the forenoon/afternoon in support of/to answer the allegation; and as the day fixed for your appearance is appointed for final disposal of the application, you must be prepared to produce on that day all the witnesses upon whose evidence, and the documents upon which you intend to rely in support of your allegation/ defense.

Take notice that in default of your appearance on the day before-mentioned, the application will be dismissed/heard and determined in your absence.

Whereas your attendance is required to give evidence/you are required to produce the documents mentioned in this list below, on behalf of …….. in the case arising out of the claim for gratuity by……. Form…….. and referred to this Authority by an application under section 56 of the , 2020, you are hereby summoned to appear personally before this Authority on the ……. day of ……..20…….. at …… 'O'clock in the forenoon/afternoon and to bring with you for to send to this Authority) the said documents.

List of documents-
1.
2.
3. so on
Given under my hand and seal, this ……..day of ……..20…..
Competent Authority
under the Code, 2020
Note: 1. Strike out the words and paragraphs not applicable.
2. The portion not applicable to be deleted.

3. The summons shall be issued in duplicate. The duplicate is to be signed and returned by the persons served before the date fixed.

4.In case the summons is issued only for producing a document and not to given evidence it will be sufficient compliance to the summons if the documents are caused to be produced before the Competent authority on the day and hour fixed for the purpose.

FORM – XVI
[See sub rule (11) and (12) of Rule 11]

Notice for Payment of Gratuity as Determined by Competent/Appellate Authority
(Strike out the words not applicable)

To,

(Name and address of employer)

1. Whereas Shri/Smt./Kumari…… of an employee…… (address)under you/a nominee(s)/legal heir(s) of late ……an employee under you, filed an application under section 56 of the , 2020, before me; or

Whereas a notice was given to you on …….requiring you to make payment of Rs…… to Shri/Smt./Kumari……as gratuity under the , 2020.

2. And whereas the application was heard in your presence on……..and after the hearing have come to the finding that the said Shri/Smt./Kumari…… is entitled to a payment of Rs…… as gratuity under the , 2020; or

Whereas you/the applicant went in appeal before the appellate authority, who has decided that an amount offs…….. is due to be paid to Shri/Smt./Kumari…….as gratuity due under the , 2020.

Now, therefore, I hereby direct you to pay the said sum of Rs. …….to Shri/Smt./Kumari ……. within thirty days of the receipt of this notice with an intimation thereof to me.

Given under my hand and seal, this …….day of…….20……...
Competent/ Appellate Authority

under the Code, 2020

Copy to:

1. The Applicant- He is advised to contact the employer for collecting payment.
2. The Appellate Authority if applicable.

Note.--- *(Strike out paragraphs if not applicable)*

FORM – XVII
[See Sub rule (13) of Rule 11]
Application for Recovery of Gratuity

Before the Competent Authority for Chapter V under the Social Security Code, 2020

Application No. Date

BETWEEN

(Name in full of the applicant with full address)

AND

(Name in full of the employer/Trust/Insurer concerned with full address)

1. The applicant is an employee of the above-mentioned employer/a nominee of late……
an employee of the above mentioned employer/a legal heir of late ……an employee of the above-mentioned employer, and you were pleased to direct the said employer in your notice dated the ……..under clause(11) or clause(12) of rule 35 of (Central) Rules, 2020 for payment of a sum of Rs…….. as gratuity payable under the , 2020.

2. The applicant submits that the said employer failed to pay the said amount of gratuity to me as directed by you although I approached him for payment.

3. The applicant therefore prays that a certificate may be issued under section 129 of the Code for recovery of the said sum of Rs. …….due to me as gratuity in terms of your direction.

Signature/Thumb-impression of applicant.
Place:
Date:
Note.—Strike out the words not applicable.

FORM – XVIII

[See sub rule (1) of Rule 13]

Complaint to the Inspector-cum-Facilitator

To,

The Inspector-cum-Facilitator
(Under The , 2020)

Sir,

I…… (Name of woman) employed in…… (name and full address of the establishment) or I……, (name), a person nominated under section 72 by or a legal representative of……(name of woman) employed in…….(name and full address of the establishment) having fulfilled the conditions laid down in the , 2020 and the Rules there under, am entitled to Rs…… being maternity benefit and/ or Rs…… being the medical bonus and/ or Rs……. being wages for leave due under section 65 but the same has been improperly withheld by the employer/discharged or dismissed during or on account of her absence from work in accordance with the provisions of this Chapter VI of , 2020.

You are therefore requested, to direct the employer to pay the amount to me/ to set aside the discharge or dismissal done by the employer.

Signature or thumb impression of the Woman/
nominee/ legal representative
Date……
Signature of an Attester in case the woman/
nominee/ legal representative is
unable to sign and affixes thumb impression.
Full address of the women/nominee/legal representative.

FORM-XIX

Appeal

[See sub rule (2) of Rule 13]

To,

The Authority,

(Appointed under the , 2020)
……(Address)

Sir,

I……., the undersigned, woman employee of…… (name and full address of the establishment)

*Feel aggrieved by the order of Inspector-cum-Facilitator under sub section (2) of section 72 for the reasons attached hereto, prefer this appeal under sub-section (2) of section 68 and request that the said employer be ordered to pay the above mentioned amount to me. A copy of the order of Inspector-cum-Facilitator cum Facilitator in this behalf is enclosed; or

Shri……, Inspector-cum-Facilitator, having directed under sub-section (2) of section 72 to pay the maternity benefit or other amount being…… (Nature of amount) to which…… (Name of woman) is said to be entitled/to set aside my discharger dismissal during or on account of absence from work in accordance with the provisions of this Chapter V of the , 2020(Strike out unnecessary portion)*.

I prefer this appeal under sub-section (3) of section 72. In view of the facts mentioned in the memorandum attached hereto and other documents filed herewith it is submitted that the woman is not entitled to the maternity benefit or the said amount and hence the order of the Inspector-cum-Facilitator in the copy of which is enclosed, may be set aside.
**Strike out unnecessary portion.*

Signature or thumb impression of the Women/Aggrieved person

Date……
……..
Signature of an Attester in case the woman is
not able to sign and affixes thumb impression.
Full address of the nominee/legal representative

FORM XX

[See rule 16]

Notice Book of Accidents

[To be filled up by or on behalf of workman]

Date and time of accident…………………………………………………………………………………

Date and time of notice……………………………………………………………………………………….

Name of person injured……………………………………………………………………………………

Address…………………………………………………………………………………………………
……………..

Cause of injury…………………………………………………………………………………………
….

……………………………………..
Signature of thumb-impression
of person giving notice

[To be filled up by the employer or his agent]

Rate of wages…………………………………………………………………………………………
……

Place of accident………………………………………………………………………………………
……

Nature of injuries………………………………………………………………………………………
…

Names of eye-witnesses…………………………………………………………………………...

Note of circumstances…………………………………………………………………………………
…...

Signature of Employer/his Agent

Form XXI

[See Sub rule (1) of Rule 18]

Whereas I have received information that (1) ..... a workman employed by you in (2).....has died, as the result of an accident arising out of and in the course of employment. I hereby require you in accordance with sub section (1) of Section 88 of 2020, to submit to me within 30 days of the receipt of this notice the enclosed form with the particulars required in paragraphs 1 and 2 and the particulars required in either paragraph 3 or paragraph 4 duly filled in. In the event of your admitting liability to pay compensation, the necessary deposits must, under sub section (1) of Section 88 of the Code. be made within 30 days of the receipt of this notice.

.....

Competent Authority For Workmen's Compensation

Form XXII

[See Sub rule (2) of Rule 18]

1. In reply to your notice, dated the.....20.... which was received by me on the ..... 20....., it is submitted that (1) ..... residing at/workmen over/under 15 years of age and I employed in (2).....met with an accident on the.....20....., as a result of which he died on the.....20.....The monthly wages of the deceased amounted to Rs.....
2. The circumstances in which the deceased met his death were as follows :-

   .....
   .....

3. I admit liability to pay as compensation on account of the deceased's death the amount of Rs which was/will be deposited with you on or before the 20....
4. I disclaim liability to pay compensation on account of the deceased's death on the following grounds :-

(1) Insert name of workman.....

(2) Insert name of establishment.....

.....

Employer

Form XXIII

[*See* sub rule (1) of Rule 19]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course old employment in.....The said injury has resulted in temporary disablement to the workman whereby it is estimated that he will be prevented for earning more than of his previous wages for a period of.....month. The said workman has been in receipt of half-monthly payment which have continued from the.....day of.....20.....until the.....day of.....20..... amounting to Rs.....in all.

The said workmen's monthly wages are estimated at Rs..... The Workman is over the age of 15 years/will reach the age of 15 years on..... It is Further submitted that..... the employer of the said workman has agreed to pay, and the said workman has agreed to accept the sum of Rs.

..... in full settlement of all and every claim under the Social Security Code 2020, in respect of all disablement of a temporary nature arising out of the said accident, whether now or hereafter to become manifest. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date.....20...

Signature of employer.....
Witness .....
Signature of Workman .....
Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible (Receipt to be filled in when the money has actually been paid). In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....

Date.....20....

Workman.....

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

Witness.....

Form XXIV

[*See* sub rule (1) of Rule 19]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20..... personal injury was caused to.....residing at.....by accident arising out of and in the course of his employment in ..... The said injury has resulted in permanent disablement to the said workman of the following nature, namely, the said workman's monthly wages are estimated at Rs.....

The workman is over the age of 15 years/will reach the age of 15 years on.....

Rs.....on.....Rs.....on.....

It is further submitted that ..... the employer of the said workman, has agreed to pay, and the said workman has agreed to accept the sum of Rs..... in lull settlement of all and every claim under the Social Security Code 2020 , in respect of the disablement stated above and all disablement now manifest. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date.....20....

Signature of employer.....
Witness.....
Signature of Workman.....
Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under the signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....
Date.....20...

.....
Workman

The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

.....
Witness

Form XXV

[*See* sub rule (1) of Rule 19]

Memorandum of Agreement

It is hereby submitted that on the.....day of.....20.... personal injury was caused to residing at.....by accident arising out of and in the course of employment in.....

The said injury has resulted in temporary disablement to the said workman, who is at present in receipt of wages amounting to Rs..... per month no wages. The said workman's monthly wages prior to the accident are estimated at Rs.....

The workman is subject to a legal disability by reason of.....

It is further submitted that ..... the employer of the workman has agreed to pay and on behalf of the said workman has agreed to accept half-monthly payments at the rate of for the period of the said temporary disablement. This agreement is subject to the condition that the amount of the half-monthly payments may be varied in accordance with the provisions of the said code on account of an alteration in the earnings of the said workman during disablement. It is further stipulated that all rights of commutation under sub section (3) of Section 93 of the said Code are unaffected by this agreement. It is, therefore, requested that this memorandum be duly recorded.

Date 20...

Signature of employer.....
Witness.....
Signature of Workman.....
Witness.....

Note - An application to register an agreement can be presented under the signature of one party, provided that the other party has agreed to the terms. But both signatures should be appended, whenever possible.

Receipt

[To be filled in when the money has actually been paid]

In accordance with the above agreement, I have this day received the sum of Rs.....
Date.....20.....
.....
Workman
The money has been paid and this receipt is signed in my presence.

.....
Witness

Form XXVI

[*See* sub rule (2) of Rule 19]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between ..... and .....whereas..... has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the code, 2020, notice is hereby given that the said agreement will be taken into consideration on ..... 20..... and that any objections to the registration of the said agreement should be made on that date. In the absence of valid objections it is my intention lo proceed to the registration of the agreement.

.....

Competent Authority.

Form XXVII

[*See* sub rule (2) and (3) of Rule 19]

Take notice that registration of the agreement to pay compensation said to have been reached between you.....and.....on the ..... 20.... has been refused for the following reasons :-

.....

.....

.....

.....

Date.....20...

.....

Competent Authority

Form XXVIII

[*See* sub rule (3) of Rule 19]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between.....and.....and whereas.....has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the , 2020, and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely :-

.....

.....

an opportunity will be afforded to you of showing cause on why the said agreement should be registered. If no adequate cause is shown on that date registration of the agreement will be refused.

Date.....20...

.....

Competent Authority

Form XXIX

[*See* sub rule (3) of Rule 19]

Whereas an agreement to pay compensation is said to have been reached between..... and..... and whereas ..... has/have applied for registration of the agreement under Section 89(1) of the , 2020, and whereas it appears to me that the said agreement ought not to be registered for the following reasons, namely :-

.....

.....

an opportunity will be afforded to the said.....for showing cause on.....19.....why the said agreement should be registered. Any representation which you have to make with regard to the said agreement should be made on that date. II adequate cause is then shown, the agreement may be registered.

Date.....19....

.....

Competent Authority

Form XXX

[See sub rule (5) of Rule 19]

Register of Agreements for the Years, 19...

Serial No.	Date of agreement	Date of registration	Employer	Workman	Initials of Competent Authority	Reference to orders rectifying the register

Form XXXI

[See sub rule (2) of Rule 22]

Application for Compensation by Workmen

To,

The Competent Authority for Workmen's Compensation

.....

.....

.....Residing at..... Applicant

versus

.....Residing at..... Opposite party.

It is hereby submitted that :-

(1) The applicant, a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the ..... day of .....20..... received personal injury by accident arising out of and in the course of his employment.
The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary languages the cause of the injury).....
(2) The applicant sustained the following injuries, namely :-
(3) The monthly wages of the applicant amount to Rs.... the applicant is over/under the age of 15 years.
*(4) (a) Notice of the accident was served on the ..... day of.....

(b) Notice was served as soon as practicable.....

(c) Notice of the accident was not served (on due time) by reason of.....

(5) The applicant is accordingly entitled to receive-

(a) Hall-monthly payments of Rs..... from the.....day of 20.... to.....

(b) A lump-sum payment of Rs.....

(6) The applicant has taken the following steps to secure a settlement by agreement, namely ..... but it has proved impossible to settle the question in dispute because.....
*Your are therefore, requested to determine the following questions in dispute, namely :-

(a) Whether the applicant is a workman within the meaning of the Code.....

(b) Whether the accident arose out of or in the course of the applicant's employment.....

(c) Whether the amount of compensation claimed in due, or any part of that amount.....

(d) Whether the opposite party is liable to pay such compensation as is due.....

(e) etc., (as required).....

Date.....20.....

.....

Applicant

*Strike out of the clauses which are not applicable.

Form XXXII

[See sub rule (2) of Rule 22]

Application for order to Deposit Compensation

To,

The Competent Authority for Workmen's Compensation

.....

.....

.....Residing at..... Applicant

versus

.....Residing at..... Opposite party.

It is hereby submitted that :-

(1) .....a workman employed by (a contractor with) the opposite party on the ..... day of..... 20..... received personal injury by accident arising out of and in the course of the employment resulting in his death on the..... day of .....20.... The cause of the injury was (here insert briefly in ordinary language the cause of the injury).....

(2) The applicant(s) is/are dependent(s) of the deceased workman being his.....

(3) The majority wages of the deceased amount to Rs.....

The deceased was under/over the age of 15 years at the time of his death.

(4) (a) Notice of the accident was served on the.....day of....

(b) Notice was served as soon as practicable.

(c) Notice of the accident was not served (in due time) by reason of.....

(5) The deceased before his death received as compensation the total sum of Rs.....

(6) The applicant(s) is/are accordingly entitled to receive a lump-sum payment of Rs.....

You are, therefore, requested to award to the applicant the said compensation or any other compensation to which he may be entitled.

Date.....20.....

.....

Applicant.

*Strike out the clauses which are not applicable.

Form XXXIII

[See sub rule (2) of Rule 22]

Application For Commutation

To,

The Competent Authority for Workmen's Compensation

.....

.....

.....Residing at..... Applicant

versus

.....Residing at..... Opposite party.

It is hereby submitted that :-

(1) The applicant/opposite party has been in receipt of half-monthly payments from.....to.....in respect of temporary disablement by accident arising out of and in the course of his employment.

(2) The applicant is desirous that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.

(3) (a) The opposite party is unwilling to agree to the redemption of the right to receive half-monthly payments.

(b) The parties have been unable to agree regarding the sum for which the right to receive half-monthly payments should be redeemed.

You are therefore requested to pass orders :-

(a) directing that the right to receive half-monthly payments should be redeemed.

(b) fixing a sum for the redemption of the right to receive half-monthly payments.

Date.....20....

Applicant

Form XXXIV

[See sub rule (21) of Rule 22]

Notice

Whereas a claim for compensation has been made by.....applicant, against.....and the said .....has claim that you are liable under Section 93(3)(4) of the , 2020, to indemnify him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party. In default of your appearance you would be deemed to admit the validity of any award made against the opposite party and your liability to indemnity the opposite party for any compensation recovered from him.

date.....20....

.....

Competent Authority

Form XXXV

[See sub rule (21) of Rule 22]

Notice

Whereas a claim for compensation has been made by.....applicant, against and the said.....has claimed, that.....is liable under Section 93 (3)(4)of the , 2020, to indemnity him against any compensation which he may be liable to pay in respect of the aforesaid claim, and whereas the said.....on notice served has claimed that you.....stated to him in the relation of a contractor from whom the applicant ..... could have recovered compensation you are hereby informed that you may appear before me on.....and contest the claim for compensation made by the said applicant or the claim for indemnity made by the opposite party.....in default of your appearance you will be deemed lo admit the validity of any award made against the opposite party.

.....and your liability to indemnity the opposite party.....for any compensation recovered from him :-

Date.....20....

.....

Competent Authority

FORM – XXXVI

*[*See sub rule (1) of Rule 30*]*

REGISTER OF WOMEN EMPLOYEES

Name of establishment

1. Serial Number.
2. Name of woman and her father's (or, if married, husband's) name.
3. Date of appointment.
4. Nature of work.
5. Dates with month and year in which she is employed, laid off and not employed.

Month	No. of days employed	No. of days laid off	No. of days not employed	Remark
a	b	C	d	e

6. Date on which the woman gives notice under section 62.
7. Date of discharge/dismissal, if any.
8. Date of production of proof of pregnancy under section 62.
9. Date of birth of child.
10. Date of production of proof of delivery/miscarriage/Medical Termination of pregnancy/ tubectomy operation /death / adoption of child.
11. Date of production of proof of illness referred to in section 65.
12. Date with the amount of maternity benefit paid in advance of expected delivery.
13. Date with the amount of subsequent payment of maternity benefit.
14. Date with the amount of bonus, if paid, under section 64.
15. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(1) & 65(3).
16. Date with the amount of wages paid on account of leave under section 65(2) and period of leave granted.
17. Name of the person nominated by the woman under section 62.
18. If the woman dies, the date of her death, the name of the person to whom maternity benefits and/or other amount was paid, the amount thereof, and the date of payment.
19. If the woman dies and the child survives, the name of the person to whom the amount of maternity benefit was paid on behalf of the child and the period for which it was paid.
20. Signature of the employer of the establishment authenticating the entries in the register of women employees.
21. Remarks column for the use of the Inspector-cum-Facilitator.

FORM -XXXVII

[See sub rule (1)(2)(3) of Rule 30]

Notice to the Employer who committed an offence for the first time for compounding of offence under sub-section (1) of section 138 of the , 2020

Notice No…… Date:

On the basis of records and documents produced before me, the undersigned has reasons to believe that you, being the employer of the establishment…….. (Registration No……..), have committed offence for the violation of provision of the Code or the Schemes or the Rules or the Regulations framed thereunder as per the details given below:-

PART – I

1. Name of the Person:
2. Name and Address of the Establishment :
3. Registration No of the Establishment:
4. Particulars of the offence:
5. Provisions of the Code/Scheme/Rules/Regulations under which the offence is committed:
6. Compounding amount required to be paid towards composition of the offence:
7. Name and Details of Account for depositing the Amount specified in Column 6:

PART –II

In view of the above, you have an option to pay the above-mentioned amount within fifteen days from the date of issue of this notice and return the application duly filled in Part – III of this notice.

In case the said amount is not paid within the specified time, necessary action for filing of prosecution shall be initiated without giving any further opportunity in this regard.

(Signature of the Compounding Officer)

Date:
Place:

PART – III

Application under sub-section (4) of section 138 for compounding of offence

Ref: Notice No…….. **Date:**

The undersigned has deposited the entire amount as specified in Column 6 of Part-I and the details of payment are given below with a request to compound the offences mentioned in Part-I.

1. Details of the compounding amount deposited (Copy of electronically generated receipt to be attached):

2. Details of the prosecution, if filed for the violation of above-mentioned offences may be given:

3. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence:

4. Any other information which the applicant desires to provide:

Signature of the applicant
(Name and Designation)

Dated:
Place:

PART – IV

Composition Certificate

Ref: Notice No…….. **Date:**

This is to certify that the offence under sub-section ….. ofsection 133 of the Code in respect of which Notice No. Dated: _____ was issued to Sh……. (Applicant), the employer of ……. (name and Registration Number of establishment) has been compounded on account of remission of full amount of Rs …….. (Rupees _____) towards the composition of offences to the satisfaction of the said Notice.

(Signature)
Name and Designation of the Officer

Date:
Place:

FORM-XXXVIII

[See sub rule (3) of Rule 31]

Form for Reporting Vacancies to Career Centres

(Separate forms to be used for each type of posts)

1	**Particulars of the employer:** Name: Address with pin code: Telephone No. : Mobile No.: Email address : Name & Type of Establishment (Central Government, State Government, PSU, Autonomous, Private, etc) Registration No of establishment under Code: Economic activity details:		
2.	**Particulars of the indenting Officer:** Name: Designation: Telephone No. : Mobile No.: Email address :		
3.	**Particulars of vacancy(ies):** (a) Designation/nomenclature of the vacancy(ies) to be filled (b) Description of duties of the post (job role/functional role)		
	(c) Qualifications/Skills required (educational, technical, experience)	Essential	Desirable/Preferable
	(i) Educational Qualifications (ii) Technical Qualifications (iii) Skills (iv) Experience		
	(d) Age Limits, if any (Age as on last date of application)		
	(e) Preferences (such as Ex-servicemen, persons with disabilities,		

	women, etc) if any		
	(f) duration of employment (i) 3-6 months (ii) 6-12 months (iii) 12 months and more	Number of posts	
4	**Whether there is any obligation for arrangement for giving reservation/ preference** to any category of persons such as Scheduled Caste(SC), Scheduled Tribe(ST), Economically Weaker Sections(EWS), Other Backward Classes(OBC), Ex-serviceman and persons with disabilities (pwd) , etc, in filling up the vacancies: **Yes/No** (if yes, give the number of vacancies to be filled by such categories of persons as detailed below)		
	Category	Number of vacancies to be filled	
	(a) Scheduled Caste (b) Scheduled Tribe (c)OBC (d)EWS (e) Ex-Serviceman (f) Persons with disabilities (pwd) (g) women (h) Others(specify)	Total	*By Priority candidates *(Applicable for Central Government vacancies)
6.	**Pay and Allowances:** For Government vacancies: Mention pay level/pay scale of the post with basic pay/pay per month with other details if any For others: Mention minimum total emoluments per month with other details, if any.		
7.	Place of work (Name of the town/village and district, pin code ,etc. in which it is situated)		
8.	Mode of Application(email, online, in writing, etc) and Last date for receipt of applications.		
9.	Particulars of officer to whom the applications be sent/candidates should approach (Mention Name, designation, email id, address , telephone No., website address in case of online)		

10	Mode of Recruitment {Through Career Centre, Placement Agency ,self-management, any other mode(specify) }	
11	Would like to prefer submission of list of eligible candidates registered with Career Centre	Yes/No
12	Any other relevant information	

Signature, Name & Designation of Authorised Signatory of establishment/ employer with seal& date

(For Official Use- to be filled by Career Centre)

13	Name, address, email id of the Career Centre	
14	Date of receipt of Vacancies	
15	NIC Code of the establishment/	
16	NCO Code of the post	
17	Unique Vacancy ID(number)	

Signature, Name& Designation of Authorised Signatory

of Career Centre with seal & date

NOTE:

1. Career Centre to which the vacancies are reported, would provide a unique vacancy reporting number for the vacancy reported and convey it to the employer in writing, through email or digitally or through any other such media immediately but in any case not later than 3 working days from the date of receipt of reporting of vacancies.

2. An employer, if advertises that vacancy in any media or makes recruitment through any agency or any other mode, may invariably quote that unique vacancy reporting number in that advertisement or recruitment process.

3. Any change in the particulars already furnished to the Career Centre, shall be reported in writing or through valid official email or digitally(including through a portal) as the case may be, to the appropriate Career Centre.

FORM-XXXIX

[See sub rule (6) of Rule 31]

Form EIR (Employment Information Return)

Yearly Return to be submitted to the Career Centre (Regional) for the Year ended…….

The following information is required to be submitted under the Code on Social Security (Chapter XIII – Employment Information &Monitoring) 2020.

Name & Address of the Employer	
Whether – Head Office	
Branch Office Type of Establishment (Public /Private Sector)	
Nature of business/Principal activity	
Establishment Registration No. under the Code	

1. (a) **EMPLOYMENT**

Total number of *manpower of establishment* including working *proprietors/partners//contingent* paid and contractual workers, out-sourced workers excluding part-time workers and apprentices. (The figures should include every person whose wage or salary *is paid).*

Category	On the last working day of the previous Year	On the last working day of the Year under report
MEN		
WOMEN		
Other (Transgender)		
TOTAL :		
PWD(persons with disabilities) out of above total		

(EIR-continued)

2. **Number of vacancies* occurred and reported to Career Centre during the year and the number of vacancies filled during the year**				
Occurred	Reported		Filled	Source (Career Centre/ NCS Portal/ Govt. Recruiting Agencies/ Private Placement Organisations/ others)
	Career Centre (Regional)	Career Centre (Central)		
1	2	3	4	5

*As per provisions of Code on Social Security, 2020(Chapter XIII) and Rules made there under,

3. **MANPOWER SHORTAGES:**

Vacancies/posts remained unfilled because of shortage of suitable applicants.

Name of the occupation or designation of the post	Number of unfilled vacancies/posts		
	Skill/ qualifications (educational /technical/experience) prescribed	Essential	Desirable
1	2	3	4

(Please list any other occupations also for which this establishment had any difficulty in obtaining suitable applicants recently.)

4. Estimated Manpower Requirement by Occupational Classification during the next calendar year (Please give below the number of employees in each occupation separately).

Occupation	**Number of employees** Please give as far as possible approximate number of vacancies in each occupation you are likely to fill during the next financial year due to retirement/ expansion or re-organisation.

Description	**Men**	Women	**Others** (trans-gender)	**Total**	PWD (persons with disabilities) out of total
1	2	3	4	5	6
*					
Total :					

* In the column(description) -Use exact terms such as Engineer (Mechanical),Assistant Director(Metallurgist);Research Officer (Economist);Supervisor (Tailoring),Inspector(Sanitary), Superintendent (Office) , Manager(Sales), Manager(Accounts), Executive(Marketing), Data Entry Operator.....so on.

Signature, Name & Designation of Authorised Signatory
of establishment/ employer with seal & date
To

The Career Centre,
……..

Note:- 1. This return is to be rendered to the Career Centre (Regional) within 30days after the end of the *financial year* concerned by establishments/employers vide their obligation under the Code on Social Security, 2020 (Chapter XIII-Employment Information and Monitoring).

2. The main purpose in obtaining the information from employers is to know (i) the vacancies/employment opportunities available; (ii) type of personnel who are in short supply; and (iii) future job opportunities for providing vocational guidance to the jobseekers and connecting them with the employers. This is helpful in ascertaining the skill needs also. Employers too will be able to call on the Career Centres for getting suitable candidates as per their requirements.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SRIVASTAV, Deputy Secretary.

Social Security (Chhattisgarh) Rules 2021 Profarma for the objections and suggestions

Name and address of the person	Specifying the rule or sub-rule which is proposed to be modified	Specifying the revised rule or sub-rule proposed to be submitted	Reasons
(1)	(2)	(3)	(4)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.